8 मार्च, 1986
फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 48, गुरुवार, 8 मई, 1986/18 वैशाख, 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	...	7—9
राज्य सभा से संदेश	...	...	9—10
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	10—18
(एक) जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है वहां बारानी खेती प्रौद्योगिकी आरम्भ करने की मांग			
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	10
(दो) जलप्लावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने और ऐसे क्षेत्रों में फसलों को बर्बादी से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग			
श्री राम पूजन पटेल	...	...	11
(तीन) सकरी-हसनपुर रेल लाइन संबंधी निर्माण कार्य कराने की मांग			
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	11
(चार) मध्य प्रदेश राज्य में समस्याग्रस्त गांवों और नगरों में जलपूर्ति योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 13.56 करोड़ रुपये की धनराशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग			
कुमारी पुष्पा देवी	...	...	12
(पांच) स्वर्गीय श्री सिबते हसन की स्मृति में एक स्मारक बनाने की मांग			
श्री अजीज कुरैशी	...	...	13
(छः) कमला (टैक्सटाइल) मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, को और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता			
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	14
(सात) रेल प्रशासन द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले रेलवे फाटकों के ऊपर पुलों का निर्माण करने की मांग			
श्री डालचन्द्र जैन	...	...	15

विषय पृष्ठ

(आठ) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में दूर संचार सेवाओं में सुधार की मांग

प्रो० नारायण चन्द पराशर 15

(नौ) हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में हाल में आए भूकम्प के शिकार हुए लोगों को राहत के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी 16

(दस) राजामुन्द्री और नागपुर को सीधे मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने की मांग

श्री श्रीहरि राव 16

(ग्यारह) चर्मशोधन कार्य में प्रयुक्त होने वाले गलचर्म अर्क का निर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने की मांग

श्री पी० कुलनदईवेलू 17

(बारह) उड़ीसा के क्षार प्रभावित जिलों के लिए पर्याप्त संख्या में जीपों पर लगे रिंग खरीदने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री शरत देव 18

(तेरह) आंध्र प्रदेश में भयानक सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री बी०एन० रेड्डी 18

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, के प्रारूप के बारे में संकल्प 19—102

—[जारी]

श्री पी०एम० सईद 19

श्री अनादि चरण दास 20

श्रीमती प्रभावती गुप्त 22

श्री काली प्रसाद पांडेय 23

श्री जी०जी० स्वैल 24

श्री मुकुल वासनिक 26

श्री राम स्वरूप राम 28

श्री सरफराज अहमद 29

श्री डी०बी० पाटिल 30

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर 32

श्री सी० जंगा रेड्डी 34

विषय			पृष्ठ
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	...	...	35
श्री राज कुमार राय	...	...	37
डा० फूलरेणु गुहा	...	...	40
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	...	...	41
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	44
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	45
सैयद शाहबुद्दीन	...	...	46
श्री दिलीप सिंह भूरिया	...	...	48
श्री एम०एल० शिकराम	...	...	49
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	...	50
श्री जी०एस० बसवराजू	...	...	55
श्री पी० नामग्याल	...	...	57
श्री शरत देव	...	...	61
श्री पी०वी० नरसिंह राव	...	...	71
पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक	...	...	102—132
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	...	...	102
श्री सी० माधव रेड्डी	...	...	107
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	110
श्री शान्ताराम नायक	...	...	112
श्री रेणु पद दास	...	...	113
श्री हरीश रावत	...	...	114
श्री सोमनाथ रथ	...	...	114
श्री पी० कुलनदईवेलू	...	...	116
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	...	117
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	118
श्री राम प्यारे पनिका	...	...	118
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	...	...	119
श्री अजीज कुरैशी	...	...	120
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	...	121
डा० प्रभात कुमार मिश्र	...	...	125
श्री डी०बी० पाटिल	...	...	126
खण्ड 2 से 26 और 1			
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	...	...	131

विषय			पृष्ठ
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	...	...	132—154
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	..	...	132
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	135
श्री के०पी० सिंह देव	...	...	136
श्री मतीलाल हंसदा	...	...	139
श्री मनोरंजन भक्त	...	...	141
श्री शरत देव	...	...	142
श्री डाल चन्द्र जैन	...	...	143
डा० मनोज पांडे	...	...	144
श्री पीयूष तिरकी	...	...	145
श्री ब्रह्म दत्त	...	...	146
श्री पी० नामग्याल	...	...	147
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	148
श्री जी०एस० बसवराजु	...	...	149
श्री मूलचन्द डागा	...	...	150
खण्ड 2 से 5 और 1			
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	...	...	153
आयकर (संशोधन) विधेयक	...	...	154—169
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	154
श्री अमल दत्त	...	...	156
श्री मूल चन्द डागा	...	...	158
डा० चिन्ता मोहन	...	...	159
श्री गिरधारी लाल डोगरा	...	...	160
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	...	...	161
खण्ड 2 से 4 और 1			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	165

लोक सभा

गुरुवार, 8 मई, 1986/18 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आज चूंकि सत्र का आखिरी दिन है अतः कृपया हमारी बात सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, आप हमारी बात सुनें। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अवकाश के समय हम आपको पूर्ण विश्राम देंगे, तथा हम भी विश्राम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी कोई समस्या है, जो मैं समाधान कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताइये।

प्रो० मधु दण्डवते : कल दोनों सभा के संसद सदस्य राष्ट्रपति जी से मिले थे तथा गया जिले के अरवाल में हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ जो घटना घटी थी, उसकी सूचना उन्हें दी थी·····

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना कार्य कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते :·····गोली बारी में 19 व्यक्ति मारे गये थे। इसी सभा में मैंने स्वयं पीपरा हादसे पर चर्चा आरम्भ की थी·····

अध्यक्ष महोदय : यदि वही मामला होता, तो मैं अनुमति दे देता।

प्रो० मधु दण्डवते : यह उससे भी बुरा है। मैं राष्ट्रपति जी की बात को उद्धृत नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा था कि जब वह गृह मंत्री थे तो उन्होंने ऐसे मामलों पर चर्चा की थी·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सर्वदलीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने यही सुझाव दिया था—जांच-पड़ताल होनी चाहिए। यदि मैं संतुष्ट हो गया, तो मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल ही राज्य सभा में उसी विषय पर अनुमति दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। मैं उनकी तरह नहीं चलूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हर सभा स्वतंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : न तो मैंने उनसे कहा है कि वे हमारा अनुकरण करें और न मैं स्वयं उनका अनुकरण करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य सभा में जो भी हुआ, मैं उसका हवाला नहीं देना चाहता हूं। मैं उसका हवाला देना चाहता हूं, जो इस सभा में हुआ है। 1980-81 में पीपरा त्रासदी के बारे में मैंने स्वयं ही चर्चा आरम्भ की थी।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई मामला हुआ है, तो मैंने सहमति दी है। इसकी अनुमति मैंने हरिजनों के मामलों में दी थी तथा साम्प्रदायिक झगड़ों के मामलों में दी थी; इन दोनों ही विषयों को मैंने लिया था। यदि मैं इस बात से संतुष्ट हो जाता हूं तो यह विशेष रूप से हरिजनों के विरुद्ध था; तो मैंने अनुमति दे दी होती किन्तु उन तथ्यों पर नहीं जो अब तक मुझे पता चले हैं—जो कल तक मेरे समक्ष आये हैं। यह जब कभी भी अगले सत्र के दौरान आयेगा; मैं अनुमति दे दूंगा। कोई समस्या ही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह पुलिस का कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। क्या आप इसे लम्बित रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : लंबित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप इसे पुनः दे सकते हैं। मैं सदा तैयार हूं। मैंने यह कहा है कि उचित काम करने को सदा तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप तैयार हैं, हम तैयार हैं किन्तु चर्चा करना स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब हम दोनों ही तैयार हैं तो चर्चा भी हो सकती है और मैंने उसकी स्वीकृति भी दी है। मुझे कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है, हम इसे अगले सत्र में लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा, जब मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैंने बंगला देश से जनजाति के लोगों के आने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : अब उसे नहीं लिया जा सकता है। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा। आप इसे अगली बार लायें। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और मैं उसी पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दूंगा।

श्री अजय विश्वास : जनजाति के हजारों लोग आ चुके हैं और आने वाले हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप कहते हैं, उसके अनुसार यदि मुझे तथ्यों की जानकारी मिली, तब मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कुछ दिन पहले मैंने एच०वी०जे० पाइप लाइन के दूर-संचार भाग के बारे में एक सूचना दी थी और कल भी मैंने सूचना दी है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता। आप जानकारी मांग सकते हैं। आप चर्चा करने की मांग भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आज अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर चली जायेगी··· (व्यवधान)

आप मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने को कह सकते हैं जिससे कि जो भावना बन गई है, वह दूर हो सके।

अध्यक्ष महोदय : हम लोगों के बीच यह सबसे बुरा भाग है। जब मैंने स्पष्ट कह दिया है, तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि इस प्रकार का कोई भी मामला है और यदि मैं संतुष्ट हो जाता हूं, तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद हमें अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाये बिना मैं जल्दबाजी में यह नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मुझे इस बात का आश्वासन मिल सकता है कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री महोदय शंका समाधान करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। दूसरों की बात भी सुनने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपका तथा सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महीने की 21 तारीख को 4½ लाख रक्षा कर्मचारी, रक्षा प्रतिष्ठान के सिविल कर्मचारी, सभी कर्मचारी संघों ने एक साथ मिलकर हड़ताल करने का निर्णय लिया था। इससे बचने के लिए सरकार को उनके साथ बात-चीत करनी चाहिए तथा कोई समझौता करना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वे बातचीत करेंगे। उन्हें बातचीत करने दीजिए यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : श्रीलंका की समस्या के बारे में आपने कार्य मंत्रणा समिति में हमसे वायदा किया था कि इस पर चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली बार अनुमति दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : कल और परसों मैंने इस मामले पर जोर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : हम आपके साथ हैं। पूरी सभा आपके साथ है। अगली बार हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मंत्री श्री चिदाम्बरम श्रीलंका गये थे। वहां वह एक सप्ताह तक रहे। उन्होंने वहां तमिल उग्रवादी तथा वहां की सरकार से बातचीत की थी। वे वास्तव में क्या प्रस्ताव रख रहे हैं ? वे एक वक्तव्य तो रखें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अभी नहीं। यह कार्य समय से पूर्व होगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रीलंका में स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। यहां तक कि समाचार-पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है·····

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : श्रीलंका के दैनिक "दी आइलैण्ड" में कुछ विस्तार के साथ प्रकाशित हुआ है। मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते जबकि मैं आपकी बात सुन रहा हूं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं पिछले तीन दिन से वक्तव्य देने के लिए जोर डाल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप मेरी बात अवश्य सुनें। वे कुछ बात-चीत कर रहे हैं। यह बात समय से पूर्व होगी और इसीलिए मैं इसके लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं। किन्तु मैं हमेशा तैयार हूं। हम बाद में चर्चा करेंगे।

श्री एन०बी०एन० सोमू : श्रीलंका के दैनिक समाचार पत्र "दी आई लैण्ड" में पूरा ब्यौरा प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : "आनन्द बाजार पत्रिका," जिसकी बंगाल में सबसे अधिक बिक्री होती है के कल के अंक में तथा "स्टेट्स मैन" के आज के अंक में श्री जनार्दन पुजारी के बारे में, एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जो यूनाइटेड बैंक के कुछ कर्मचारियों से मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकते हैं और मैं उन्हें लिखूंगा।

श्री नारायण चौबे : महोदय, कृपया इस मामले पर ध्यान दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए। कोई समस्या नहीं है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : मैं विरोधी दल के नेताओं को तथा अन्य सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बार सही प्रक्रिया अपनाई है। बिना दोहराये वे एक-एक करके अपने मुद्दे उठा रहे हैं और जिससे आपको और मुझे परेशानी हो रही है। मैं आपके प्रति अपनी सहानुभूति अभिव्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ही है। अंतिम विजय ही अंतिम विजय है।

प्रो० एन०जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। यदि वे मुझसे सहमत होंगे तो वे मेरी क्षोभ प्रकट करने की उस बात से भी सहमत होंगे जो परेशानी आपको हमारे कारण हुई है और जिस प्रकार हमने आपको कष्ट पहुचाया है तथा जिसके परिणाम-स्वरूप कल आपने हमारे व्यवहार के प्रति अप्रसन्नता अभिव्यक्त की थी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यही कारण है कि मैं उन्हें पूज्य कहता हूं क्योंकि वह सबसे पुराने सदस्य हैं तथा वह यहां के लिए लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। हम सभी के प्रति उनके मन में प्रेम है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनेक अवसरों पर इस प्रकार की पारस्परिक नाराजगी के अवसर आये हैं किन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने एक मात्र इसका आनन्द उठाया है और मैंने कार्य करने का इससे अधिक सुगम अन्य कोई मार्ग नहीं देखा। मेरे विचार में सारे संसार में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, जिसने गत साढ़े छः वर्ष से इस प्रकार इस सभा में हमारा सहयोग दिया हो इस कार्य निष्पादन के प्रति मैं गौरव का अनुभव करता हूं। ऐसी उत्तेजना तो कभी-कभी ही श्री चौधरी में देखने को मिलती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप मुझे सुनिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : जब हमारे पूज्य हैं, तब आप बच्चों पर कृपा रखें।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सब एक हैं। मैं आपमें से ही एक हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, अगर इधर चौधरी साहब परेशान करते हैं तो आप भी चौधरी हैं।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परेशान नहीं करता, प्यार करता है।

··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परेशान नहीं करता, वह बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

वह बहुत अच्छा मित्र है।

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव (अमलापुरम) : बिहार में हरिजनों को सताया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं।

श्री ए०जे०वी०बी महेश्वर राव : अगले सत्र में ?

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात है, तो हम देखेंगे। यदि इसका सम्बन्ध कानून और व्यवस्था बनाये रखने से है, तो यह राज्य का विषय है।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं इस मामले को दो दिन से उठाने की चेष्टा कर रहा हूं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इन्जीनियर सांकेतिक हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार उनसे बात करे।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : वे नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब हम क्या कर सकते हैं ? मैं दोनों से अपील ही कर सकता हूं। यही बात प्रो० मधु दण्डवते ने कही थी तब आपने भी कही थी। इसके बारे में बात-चीत की जाये, इस पर चर्चा की जाये और इसे सुलझाया जाये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष के प्रति धन्यवाद का अपना प्रस्ताव रखने के लिए, हम प्रो० रंगा के आभारी हैं।

11.10½ अ०पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मैं राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 अप्रैल, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 613(अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2691/86]

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल), विनियोग लेखे आदि तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित अधिसूचना संख्या सं०का०नि० 731(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जापानी यैन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी यैन में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय-दर के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2692/86]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1984-85 संबंधी प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2693/86]

[श्री जनार्दन पुजारी]

(3) वर्ष 1984-85 संबंधी विनियोग लेखे, रेल, भाग-1—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2694/86]

(4) वर्ष 1984-85 संबंधी विनियोग लेखे, रेल, भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2695/96]

(5) वर्ष 1984-85 संबंधी ब्लाक लेखे (ऋण लेखाओं के पूंजी विवरणों सहित), तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2696/86]

(6) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2697/86]

भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा, के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण तथा मैसर्स बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि को सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे 21 मार्च, 1986 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—2698/86]

(3) मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—2699/86]

———

11.12 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे चाय (संशोधन) विधेयक, 1986, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 अप्रैल, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

———

अध्यक्ष महोदय : कल यह निर्णय लिया गया था कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे पर कुछ और सदस्य भी भाग लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े और समय की अनुमति दी जाए। कितने समय की·····

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हमारे पास निर्धारित समय में से केवल 10 मिनट बचे हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : सत्र को बढ़ाया क्यों गया था ?

श्री गुलाम नबी आजाद : इसके लिए सत्र को नहीं बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करें कि भोजनावकाश नहीं हो और उत्तर 12.30 म०प० पर दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि उत्तर को गिलोटिन न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंजूर है। मैं किसी मांग का गिलोटिन करना नहीं चाहता। तो मंत्री जी 12.30 म०प० पर जवाब देंगे। अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री चिंतामणि जेना.....

11.13 म०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है वहां बारानी खेती प्रौद्योगिकी आरम्भ करने की मांग

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : महोदय, जब हमारा देश खाद्य तेलों और दालों संबंधी अपनी जरूरत के लिए अन्य देशों पर निर्भर करता है तो हमें देशी शुष्क भूमि खेती प्रौद्योगिकी को अपनाकर देश में 1100 लाख हेक्टेयर गैर-सिंचित भूमि पर एक से अधिक फसल उगानी चाहिए खासकर तब जबकि हम हर साल अपनी विकास परियोजनाओं और रिहायशी मकानों का निर्माण, आदि करने के कारण कृषि भूमि को खोते जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार गैर-सिंचित भूमि पर कुछ तिलहन फसलें उगाई जा सकती हैं। उक्त संस्थान के मतानुसार उन क्षेत्रों में साल में कम से कम दो फसलें उगाई जा सकती हैं जहां न केवल सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण बल्कि पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लिए आवश्यक बिजली की सप्लाई के अभाव के कारण खेती करने में मुश्किल होती है। ऐसे मामलों में सरसों जैसी नकदी फसल उगाकर ग्रामीणों की आय बढ़ाकर इन क्षेत्रों को सोने की खान बनाया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि अर्ध-बंजर क्षेत्रों में पिछले दशक में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में तेजी से कमी आई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने देश के अर्ध-बंजर क्षेत्रों की पांच फसलों अर्थात सोरघम, बाजरा, चिक मटर, 'पीजन' मटर और मूंगफली की पैदावार को बढ़ाने के लिए भूमि और जल प्रबन्ध के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है जिससे प्रति एकड़ 5000 रुपए अतिरिक्त आय होगी।

इस तकनीक के अन्तर्गत खेतों में कहीं-कहीं कूंड बना दिए जाते हैं जिससे भूमि कटाव में कमी आती है और वर्षा के मौसम में बचा पानी भंडार टैंकों में इकट्ठा हो जाता है और उसका

उस समय उपयोग किया जा सकता है जब वर्षा न हो रही हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विशेषज्ञों का विचार है कि इन पांच फसलों को मुख्यतः खाद्य के लिए उगाया जाता है न कि व्यापार के लिए। इसलिए अधिकारियों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। इन फसलों को उगाने वाले गरीब किसान उर्वरक और सिंचाई की लागत का भुगतान नहीं कर सकते जिसका उपयोग उनके साथी अमीर किसान करते हैं। मजबूर होकर उन्हें बारिश पर निर्भर करना पड़ता है जिसका कोई भरोसा नहीं होता और जिसके माध्यम से तीन की बजाय केवल एक फसल ही उगाई जा सकती है।

ऐसी स्थिति में मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वह इस वास्तविक समस्या पर स्वयं विचार करें और इस नई पद्धति का शुष्क भूमि खेती में व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाए और समय बद्ध ढंग से इसमें प्रगति की जाए जिससे उत्पादन तीन गुना हो सकता है।

(दो) जलप्लावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने और ऐसे क्षेत्रों में फसलों को बरबादी से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामपूजन पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन, भारत सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कर रहा हूं। इस देश में दैवी आपदाओं, अति-वृष्टि, ओला और सूखा से करोड़ों कृषक प्रतिवर्ष तो प्रभावित होते ही हैं जिसके कारण सरकार को अरबों रु० व्यय करने पड़ते हैं, साथ ही साथ आज नहरों के रिसाव से कृषकों की लाखों एकड़ फसल एवं भूमि की भी बरबादी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा सहायक के कारण भी अत्यधिक नुकसान हो रहा है। नहर के रिसाव से कृषकों की फसल नष्ट होती है, फिर भी कृषकों से ही सिंचाई की वसूली की जाती है, जब कि इस नुकसान का किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। लाखों एकड़ भूमि में जल-भराव होने के कारण खेती नहीं हो पाती। मैं समझता हूं कि जिन कृषकों की फसलें नष्ट हो जायें और जल-भराव के कारण बुआई न हो पाये, उन किसानों को मुआवजा देना सरकार का परम-कर्तव्य है। इसी आपदा के अन्तर्गत मेरा क्षेत्र फूलपुर (उत्तर प्रदेश) भी आता है। यहां पर शारदा सहायक नहर जाल की तरह बिछ चुकी है परन्तु जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण कृषक अत्यधिक त्रसित हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी और नहर के रिसाव से जल भराव हो जाता है, जिससे किसान एक-एक दाने का मोहताज हो जाता है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को देश के ऐसे अल्प-आय वाले कृषकों पर महान कृपा करके शीघ्र-अति-शीघ्र सर्वेक्षण कराकर, जल-भराव के निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कृषक अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य कर सके और देश के हित में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा सकें।

[अनुवाद]

(तीन) सकरी-हसनपुर रेल लाइन सम्बन्धी निर्माण कार्य कराने की मांग

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के अन्तर्गत

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

समस्तीपुर पूर्वोत्तर रेलवे का प्रभागीय मुख्यालय है। दुर्भाग्य से केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है। 1977 में इसे दो शाखाओं में विभाजित करके एक नया सोनपुर डिवीजन बनाया गया था। बड़ी हैरानी की बात है कि समस्तीपुर स्टेशन पर रुकने वाली या वहां से गुजरने वाली बड़ी लाइन की गाड़ियों पर सोनपुर डिवीजन नियंत्रण रखता है। पहले समस्तीपुर और हावड़ा के बीच तीन और समस्तीपुर से दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी चला करती थी। इन सबको बन्द कर दिया गया है। इसके अलावा, समस्तीपुर से गुजरने वाली असम मेल को भी बंद कर दिया गया है।

1981 में समस्तीपुर में एक रेलवे वर्कशाप की स्थापना की गई थी जहां तीन हजार से अधिक कामगार काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे अधिकतर मशीनों को गोरखपुर भेज दिया गया। यहां तक कि अब इंजिन, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की छुट-पुट मरम्मत करने के लिए भी उन्हें समस्तीपुर से गोरखपुर भेजा जाता है। इससे कामगारों की काफी छटनी हुई। मिथिला क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या वैसे ही बहुत है। अब इससे और बढ़ गई है।

समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में विकास कार्य की भी बहुत उपेक्षा की गई है। ऐसा समझा जाता है कि केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय छोटी लाइन के साथ-साथ बड़ी लाइन बिछाने पर विचार कर रहा है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि परियोजना को शीघ्रता से लागू किया जाए, ताकि मिथिला क्षेत्र के लोग राहत महसूस कर सकें।

साथ ही मैं केन्द्रीय परिवहन मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि सकरी-हसनपुर लाइन का काम पूरा किया जाए जिसका सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और सरकार ने भूमि अर्जित कर ली है। यह परियोजना भी समस्तीपुर रेलवे डिवीजन की है।

(चार) मध्य प्रदेश राज्य में समस्या ग्रस्त गांवों और नगरों में जलपूर्ति योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 13.56 करोड़ रुपए की धनराशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : पिछले तीन दशकों से मध्य प्रदेश के हर गांव में पेयजल की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद अगर वर्षा न हो तो मध्य प्रदेश के बहुत से राज्यों में पेयजल की समस्या बहुत विकट हो जाती है। यहां तक कि अगर वर्षा ठीक से हो तो भी राज्य में गर्मियों के मौसम में पेयजल की समस्या बहुत विकट हो जाती है। नवीनतम सर्वेक्षण से पता चलता है कि 13000 समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर लगभग 8000 गांवों और 130 कस्बों को, जहां सामान्य योजना के अन्तर्गत काम जारी है, पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति से निपटने के लिए 5000 गांवों में नलकूप खोदना जरूरी है। शेष 2086 गांवों में कुओं को गहरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए और जहां ऐसा करना संभव न हो वहां टैंकरों और बैलगाड़ियों से पानी पहुंचाना चाहिए। सागर और उज्जैन जैसे कुछ शहरों में जल-आपूर्ति की स्थिति अभी तक खराब है।

जल-आपूर्ति योजना को लागू करने पर होने वाले व्यय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 18.28 करोड़ रुपए की मांग की थी। लेकिन 1984-85 और 1985-86 में 486 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य की जरूरतों को देखते हुए यह सहायता बहुत कम है। इसलिए 13.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नितान्त जरूरी है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि समस्याग्रस्त गांवों और कस्बों में जल आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी जाए।

(पांच) स्वर्गीय श्री सिबते हसन की स्मृति में एक स्मारक बनाने की मांग

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : अध्यक्ष महोदय, श्री सिबते हुसैन इस महाद्वीप के एक जाने-माने विद्वान्, लेखक समालोचक और विचारक थे। अपनी प्रगतिशील और रचनात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध इस उर्दू लेखक की तुलना फैज अहमद फैज और सज्जाद जाहिर आदि जैसे साहित्यिक महानुभावों से की जाती है। जिन्होंने अपने प्रगतिशील चिंतन और रचनात्मक लेखन से साहित्य की महिमा बढ़ाई है और जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।

उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में भी भाग लिया था। "आजादी की नज्में" नामक उनके एक कविता संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस किताब को जब्त कर लिया था क्योंकि इसमें राजद्रोह का प्रचार किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व जवाहर लाल नेहरू ने जब "नेशनल हेराल्ड" शुरू किया था तो उस समय वह उसके संपादकीय स्टाफ में भी थे।

स्वतंत्रता के बाद वह पाकिस्तान चले गए और जीवन भर अपने लेखों के माध्यम से पाकिस्तान के तानाशाही शासन, और इसके शासकों की धर्म निरपेक्ष, प्रजातंत्र और प्रगतिशील विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे और विश्व को रहने का बेहतर स्थान बनाने के लिए अपने प्रगतिशील और रचनात्मक लेखों तथा चिंतन के माध्यम से उनसे अन्तिम दम तक लड़ते रहे।

वह प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से एक थे। वह इसके स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए थे और दुर्भाग्य से लगभग समारोह के समाप्त होने के बाद 15 दिन पूर्व उनका देहान्त हो गया।

उनके गौरवपूर्ण अतीत और सेवा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए।

संस्कृति मंत्रालय को इस दिशा में कार्यवाही करने की पहल करनी चाहिए इसके अतिरिक्त फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर जैसे व्यक्तियों की स्मृति में जिन्होंने नए समाज की स्थापना के लिए महान रचनात्मक योगदान किया, स्मारक बनाया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मंत्री महोदय को कुछ आश्वासन देने चाहिए।

[हिन्दी]

हम लोगों को भूल जाओ, मगर फौज को तो मत भूलो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इनके लबों पर तो तबस्सुम है, हम तो कुछ भी बोल जाते हैं।

[अनुवाद]

ये सुझाव प्रशंसनीय हैं। यह बात उचित है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : यह मामला मेरे पास आएगा। मैं इस पर विचार करके उत्तर दूंगा। मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

(छः) कमला (टैक्सटाइल) मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री विजय एन० पाटिल (एरंडोल) : महोदय, कमला मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (टेक्सटाइल मिल्स) ने आई०डी०बी०आई० से अपनी वित्तीय समस्याओं के संबंध में एक मुश्त सहायता देने का अनुरोध किया है। प्रबंधक इस मिल को चालू रखने के लिए पिछले दो वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने इस मिल में 1.5 करोड रुपए से भी अधिक राशि लगाई है ताकि यह मिल चालू रहे। अतः प्रबंधकों ने आई०डी०बी०आई०, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों और पूजीपतियों से भी वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया ताकि मिल रुग्ण न हो। यह अनुरोध 1984 में किया गया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आई०डी०बी०आई० इस समस्या की गंभीरता की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वह मिल की समस्याओं की ओर तुरन्त ध्यान दें और संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दें कि वे इस मिल को आवश्यक वित्तीय सहायता दें ताकि इस मिल को रूग्ण होने से बचाया जा सके और श्रमिक बेरोजगार न हों।

(सात) रेल प्रशासन द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले रेलवे फाटकों के ऊपर पुलों का निर्माण करने की मांग

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे की यह नीति है कि जहां भी ओवर ब्रिज अथवा अंडर ब्रिज बनाना आवश्यक हो, एप्रोच रोड बनाने का व्यय-भार राज्य सरकार तथा नगर निगम आदि संस्थाएं उठायें। इस नीति के कारण अनेकों महत्वपूर्ण स्थानों पर आज तक

ओवर ब्रिज अथवा अंडर ब्रिज नहीं बन पाये हैं। प्राय: राज्य सरकारें उनके लिए व्यय-भार उठाने में असमर्थ होती हैं, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि रेलवे विशेषरूप से नेशनल हाई-वे पर जिला मुख्यालयों के नजदीक के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज व अंडर ब्रिज स्वयं बनाये।

उदाहरण के तौर पर सागर (मध्य प्रदेश एवं दमोह में रेलवे क्रासिंग पर इलाहाबाद, बम्बई, कानपुर, बम्बई, नागपुर बम्बई को रोड ट्रेफिक रेल लाइन क्रास कर जाता है। उस लाइन पर लगभग 10 पेसेन्जर ट्रेन तथा 30 गुड्स ट्रेन चलती हैं। यदि 10 मिनट ! ट्रेन के लिये फाटक बंद रहता है तो 400 मिनट यानी 6-7 घंटे फाटक बंद रहता है। उससे कितना राष्ट्रीय नुक्सान होता है ? रेलवे लाइन रेलवे प्रशासन ट्रक परमिट पर ओवर ब्रिज तथा एप्रोच रोड बनाने की कुछ फीस निश्चित कर सकता है।

नेशनल हाई-वे पर जितने जिला मुख्यालयों के नजदीक रेलवे क्रांसिंग सड़क पर हैं, वहां ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज नहीं होने के कारण यातायात में बहुत अधिक रुकावट होती है तथा दुर्घटनाएं होती हैं जिससे जन-साधारण को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज रेलवे प्रशासन वगैर राज्य सरकार या नगर निगम के योगदान के बनाये।

[अनुवाद]

(आठ) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में दूर संचार सेवाओं में सुधार की मांग

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में जो सामुदायिक हित का स्थान है। सामान्यतः दूर संचार तथा विशेष रूप से ट्रंक सेवाओं में काफी सुधार की आवश्यकता है। कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी और बैजनाथ में तथा ऊना जिले में चिंता पूर्णी में वर्तमान एस०ए०एक्स० (मैक्स 3) को सी०बी०एन० एम०/सी० बी०एम० एक्सचेंजों में बदले जाने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा सूची भी काफी बड़ी है — ज्वालामुखी में 31 और चिंतपूर्णी में 48 जो इस समय 100 लाइनों वाले एस०ए०एक्स० हैं। अतः मैं संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्राथमिकता के आधार पर इन 3 एक्सचेंजों को बदले जाने की स्वीकृति दें और इसे विशेष मामला मानकर इनकी शीघ्र स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराएं 7वीं पंचवर्षीय योजना में, विशेष मामलों के रूप में उपर्युक्त तीन एक्सचेंजों को बदलने के बाद तीन अन्य एक्सचेंजों—हमीरपुर जिले में भुरान्ज और बरसार तथा ऊना जिले में अम्ब के परिवर्तन की भी स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसी तरह पिछले 3 वर्षों में चालू वित्तीय वर्ष सहित, हिमाचल प्रदेश में जिन 59 डाकघरों का दर्जा घटा दिया गया था उन्हें पुन: बहाल किया जाए और जो 6 डाकघर बन्द कर दिए गये थे, उन्हें पुनः खोला जाए क्योंकि वह दुर्गम क्षेत्र हैं और जनसंख्या काफी कम छितरी बसी हुई है।

[श्री नारायण चन्द पराशर]

भविष्य में और डाकघरों का दर्जा घटाया नहीं जाना चाहिए अथवा उन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भर्ती पर लगे प्रतिबंध के कारण हम नए डाकघर नहीं खोल सकते अथवा किसी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ा सकते, यद्यपि वर्तमान निदेशों के आधार पर नए डाकघर खोले जाने के 100 से ऊपर न्यायसंगत प्रस्ताव दिए गए हैं।

मेरा संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन दोनों निवेदनों को स्वीकार करें।

(नौ) हिमाचल प्रदेश की कांगडा घाटी में हाल में आए भूकम्प के शिकार हुए लोगों को राहत के लिए 10 करोड़ रुपए सहायता देने की मांग

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (कांगड़ा) : मैं सदन का ध्यान 26 अप्रैल, 1986 को कांगड़ा घाटी में आए भूचाल के कारण हुए भारी नुकसान की ओर दिलाना चाहती हूं।

मैंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और जो अनुमान लगाया है उससे कहीं अधिक हानि वहां हुई है। मकानों और भवनों को हुआ नुकसान लगभग 65 करोड़ रुपए आंका गया है, क्योंकि 5000 से ऊपर मकान पूरी तरह नष्ट हो गए है।

चामुन्डा और शाहपुर के बीच पडने वाले करीब 50 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जबकि करीब 50% मकान गिर गए हैं तथा शेष मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान गिर गए हैं और धर्मशाला, शाहपुर, कांगड़ा, पालमपुर और बैजनाथ नगरों में करीब 80% भवनों में दरारें पड़ गई हैं।

इस भूचाल के कारण उत्पन्न हुए संकट से हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कांगड़ा जिले के भूचाल पीड़ितों को तुरन्त सहायता देने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल, जो यहां हुई हानि का अनुमान लगा रहा है, की रिपोर्ट आने से पहले ही कम-से-कम 10 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दें ताकि इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए लोग बरसातें शुरू होने से पहले अपने मकानों की मरम्मत करवा सकें और उनका पुनर्निर्माण करवा सकें। इसके लिए सीमेंट और इमारती लकड़ी आदि भी रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए भी कार्यवाही की जाए।

(दस) राजामुन्द्री और नागपुर को सीधे मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने की मांग

श्री श्रीहरि राव (राजामुंद्री) : इस समय राजामुन्द्री और नागपुर को सीधे मार्ग से जोड़ने वाला कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यदि कोई सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है तो इससे न केवल राजामुन्द्री और नागपुर के बीच की दूरी कम से कम 200 किलोमीटर कम हो जाएगी

अपितु यह चार राज्यों को भी आपस में जोड़ेगा क्योंकि यह सड़क उन राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा प्रदेश से भी गुजरेगी जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं।

इस सड़क के निर्माण से इन राज्यों की आदमजातियों की प्रगति तथा विकास तेजी से होगा और इससे उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से जुड़ने में सहायता मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और वे अपने वन उत्पादों को नजदीकी बाजारों में भेज सकेंगे। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।

इस राजमार्ग का एक लाभ यह होगा कि नक्सलवादी तथा अन्य डाकू जो इस आदिवासी प्रदेश में शरण लेते हैं, बच नहीं सकेंगे।

इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर अधिक खर्च नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पूरी नई सड़क नहीं बनानी होगी।

अत: मेरा परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को प्राथमिकता दें ताकि चार राज्यों के आदिवासी लोगों को मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ जोड़ा जा सके।

(ग्यारह) चर्मशोधन कार्य में प्रयुक्त होने वाले गलचर्म अर्क का निर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने की मांग

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : देश में चर्मशोधन कार्य में प्रयुक्त होने वाले गलचर्म अर्क निर्माण करने वाला एकमात्र उद्योग, जो काफी माल निर्यात करता है और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, मेट्टापुलियम, तमिलनाडु में है। टैन इंडिया इस समय लगभग 2000 जनजातीय लोगों और श्रीलंका से आए लोगों को रोजगार देता है, जो कि नीलगिरी तथा कोडाइकनाल के आरक्षित वनों, जो हमारे उद्योग के लिए मूल कच्चा माल के स्रोत हैं, में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त इस कारखाने में 600 कार्मिक नियुक्त हैं जबकि यह उद्योग प्रगति कर रहा है, वर्तमान निर्यात नीति का इस स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वर्तमान बजट में व्यापारियों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए गलचर्म अर्क पर आयात शुल्क 87% से घटा कर 40% कर दिया गया है इसके अलावा चमड़े के आयातकों को यह छूट दी गई है कि वह मूल कच्चा माल अर्थात गलचर्म अर्क आयात शुल्क अदा किए बिना आयात कर सकते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं कि ये सुविधाएं देने से चमड़ा उद्योग को अपना आयात बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा किंतु दुर्भाग्य से इससे देशी उद्योग काफी हद तक विदेशी प्रतियोगियों के हाथों में विवश हो गया है। हाल ही में दी गई रियायतों से आयातित माल की कीमत कम हो जाएगी जबकि पंजीकृत आयातकों के मामले में, आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर देने से उनके माल की कीमत हमारे वर्तमान विक्रय मूल्य की तुलना में 3000 से 3500 रुपए तक कम हो जाएगी।

[श्री पी० कुलमवईवेलू]

इस तरह इस नीति के परिणामस्वरूप, वे वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में असमर्थ हैं और उनके पास 75 लाख रुपए का तैयार माल जमा हो गया है। जब तक यह माल नहीं उठाया जाता कम्पनी को आगे अपना उत्पादन बन्द करना पड़ेगा और 2500 श्रमिकों के बेरोजगार होने के अलावा राजस्व की भी भारी हानि होगी।

(बारह) उड़ीसा के क्षार प्रभावित जिलों के लिए पर्याप्त संख्या में जीपों पर लगे रिग खरीदने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : पिछले बरसात के मौसम में आखिरी दिनों में अपर्याप्त वर्षा के कारण महानदी, ब्राह्मणी और अन्य नदियों के प्रमुख बांधों के अधिकांश जलाशयों का जल-स्तर औसत से नीचे चला गया है। इस कारण संबंधित नदियों में मीठे पानी का प्रवाह अपर्याप्त हो गया है। इस कारण इन नदियों के अंतिम मुहाने और तट के निकट बसे लोग इन नदियों पर निर्भर हैं क्योंकि उनके लिए पेय जल का मुख्य स्रोत यही है। इन लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन नदियों का पानी खारा हो गया है। कटक, बालेश्वर, गंजाम तथा पूरे जिलों में क्षार के कारण कुएं तथा तालाब भी बेकार साबित हुए हैं। रिग मशीनों के द्वारा खोदे गये ट्यूब वैल फलदायक सिद्ध हुए हैं। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह क्षार से प्रभावित जिलों के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में जीप माउंटेड रिग्स की खरीद के लिए विशेष धन दें अथवा क्षार प्रभावित क्षेत्र के लिए ऐसे रिग्स उपलब्ध कराए।

(तेरह) आन्ध्र प्रदेश में भयानक सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश राज्य इस वर्ष असाधारण सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। स्थिति ने भयानक रूप धारण कर लिया है। चूंकि राज्य में पिछले छः वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ी है, पूरे तेलंगाना और रायल सीमा क्षेत्रों में न पेय जल ही है और न पशुओं के लिए भूसा है। 19 जिलों में 1100 मंडलों में 685 को सूखा पीड़ित घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने अभी तक पहले ही 608 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए दो ज्ञापन दिए हैं। केन्द्रीय दल ने अक्तूबर, 1985 और दिसम्बर, 1985 के दौरान राज्य के बहुत से सूखा पीड़ित जिलों का दौरा किया। मार्च, 1986 के अन्त तक खर्च की जाने वाली 32.29 करोड़ रुपये की नाममात्र केन्द्रीय सहायता दी गई है। समय की मांग यह है कि सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को चालू किया जाए ताकि सूखा पीड़ित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हों। अतः निवेदन यह है कि स्थिति, जो आने और खराब होने वाली है, का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता का 1-4-86 से 31-7-86 तक बढ़ा दें।

11.38 म०पू०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, के प्रारूप के बारे में संकल्प

(— जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री पी०वी० नरसिंह राव द्वारा 6 मई, 1986 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी अर्थात्

"यह सभा 2 मई, 1986 को सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

अब, श्री पी०एम० सईद।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर हमारे बहुत से सदस्यों ने पहले ही विचार प्रकट किए हैं। यह दस्तावेज अच्छी तरह तयार किया गया है और सरकार देश के विकास के लिए मानव संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए वचनबद्ध है।

महोदय, हमने सदन में पहली बार ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। 1968 में भी हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप था। यदि आप इसकी ओर देखेंगे तो समस्या अगर बढ़ती नहीं है, तो बनी तो रहती है। महोदय, यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सख्ती से निगरानी की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए, तो जिस स्थिति में हम इस समय हैं उससे बचा जा सकता है। आज भी 40 प्रतिशत स्कूलों की इमारतें पक्की नहीं हैं। इसी प्रकार 40 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं। लगभग 60 प्रतिशत स्कूलों में पेय जल की सुविधा नहीं है और 45 प्रतिशत अध्यापकों को—ऐसे स्कूल जहां एक ही अध्यापक है —3 से 4 कक्षाओं को पढ़ाना होता है और 1990 तक जब हमें 22 लाख अध्यापकों की और आवश्यकता होगी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी।

फिर भी, शिक्षा के लिए धन सदा एक समस्या बना रहा है, इस समय हमें बताया गया है कि यह भी पर्याप्त मात्रा में पूरा होगा। निस्संदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी वर्गों, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है। महोदय, शायद हमारा ही देश ऐसा है जहां नई पीढ़ी को हमारा अपना इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। नई पीढ़ी उस महान युग-प्रवर्तक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती जिससे हमें अपनी स्वतंत्रता मिली। स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है। महोदय, स्वतन्त्रता के पश्चात और अभी तक, मैं समझता हूं कि यह एक अभूतपूर्व बात है, और आप स्वयं देख सकते हैं कि विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार की बात नहीं हुई है। अतः इस नयी शिक्षा नीति में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे

[श्री पी०एम० सईद]

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। दूसरे; मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों को राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। महोदय, मैं इस बात को दो उद्देश्यों के कारण बल देता हूं। पहला तो यह है कि हमारे बच्चों में अनुशासन की भावना आनी चाहिए। दूसरे, हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जाये।

अध्यक्ष महोदय : आरंभ से ही।

श्री पी०एम० सईद : महोदय, अपने अनुभव से मैं आपके सामने यह बात रखता हूं कि इस देश में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण अनिवार्य है क्योंकि इससे देशभक्ति और अनुशासन की भावना भी जागृत होनी चाहिए। यह हमारे देश में वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, अपने क्षेत्रों की बात करते हुए, कठिनाई यह है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे सबकी बात सुननी है। मैं मजबूर हूं।

श्री पी०एम० सईद : महोदय, केवल दो मिनट। हमारी कठिनाई यह है कि पिछले दिसंबर में हमने अधिक अध्यापकों की मांग की, किन्तु अभी तक, हमें कोई स्वीकृति नहीं मिली है। इस प्रकार आप नयी पाठ्यचर्या की भावना पैदा करेंगे। फिर आप उन लोगों के सम्बन्ध में कहिए जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। किस आधार पर ? आप यह भी कहते हैं कि पदों पर और नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। वह पदों की मंजूरी नहीं देते हैं। अतः विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं निश्चय ही राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सीधे केन्द्र के नियंत्रण में हैं और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह संस्था आदर्श बनी रहे।

महोदय, शिक्षा मंत्री संघ राज्य क्षेत्र की इन विशेष समस्याओं की ओर ध्यान दें। धन्यवाद !

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री एक अच्छी शिक्षा नीति की दलील सदन के सामने रखे हैं। तीन दिन से इस सदन में राष्ट्र की शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। हम बचपन में पढ़े थे कि—

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।

यह बात बिलकुल ठीक है। जिसको शिक्षा प्राप्त हो जाती है उसको सब कुछ मिल जाता है और जो एक वंशानुगत खाई है, जनरेशन गैप है उसकी भी थोड़ी-सी पूर्ति होती है। तो सबको

शिक्षा प्रदान करने की जो हमारी सरकार की इच्छा है इस वजह से मैं उनको फिर दोबारा बधाई देता हूं।

मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों के लिए आपने खास प्रबन्ध किया है। उसमें मेरा एक सुझाव है कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य, कम्पल्सरी होनी चाहिए। उसके लिए कुछ खास कदम उठाना चाहिए। उसके लिए जितने इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और जितनी धनराशि की जरूरत हो उसका प्रबंध करना चाहिए।

[अनुवाद]

पैरा 4.5 में लिखा है।

"सफाई कार्य, चर्म उतारने, तथा चर्म कमाने जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा और उसके आगे शुरू की जाए। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना, इनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध लक्ष्य-कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे।"

[हिन्दी]

मेरा ऐसा कहना है कि दस साल के लिए एक खास प्रोग्राम हमारे आदिवासी और हरिजनों के लिए बनाना चाहिए जिससे कि हर एक परिवार से कम से कम एक लड़का या लड़की प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सके।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं एडल्ट एजूकेशन के बारे में कि यह एडल्ट एजूकेशन देहात के लिए ठीक नहीं है। मेरा यह अनुभव है, हमने 77-88 में 60-60 करके वालंटियर आर्गनाइजेशन के माध्यम से स्कूल चलाया लेकिन मैंने यह देखा कि गांवों में पढ़ने का ऐटमास्फेयर नहीं रहता है क्योंकि जब कोई पढ़ने के लिए जाता है तो शाम को मालिक लोग उसको किसी दूसरे काम में लगा देते हैं या उनके घर से लड़की या लड़का आकर बोलता है कि बाबा तुम चलो, बच्चे को पकड़ो तो मां रसोई बना सकेगी। ऐसी हालत से अगर इसको चलाते हैं तो शहर में चलाइए। देहात में यह सारा पैरा बरबाद जाता है।

नान-फार्मल स्कूल देहात में ज्यादा चलाने चाहिएं। उससे सचमुच कुछ फायदा होता है और हर पचास परिवार के लिए एक-एक बालवाड़ी भी खोलना चाहिए।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए ज्यादा टैकनिकल स्कूल खोले जाने चाहिएं और जो स्कूलों में प्रेयर होती है वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो जिससे ऐसा न हो कि हिन्दू प्रेयर हो तो मुसलमान यह न कहे कि यह तो हिन्दू प्रेयर है, वह प्रेयर सबके लिये समान रूप से होनी चाहिए।

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोती हारी) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जो दस्तावेज इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं स्वागत करते हुए अपने शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई देती हूं कि उन्होंने हरेक पहलुओं पर विचार किया है। प्री-प्राइमरी स्टेज से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को एक नया आयाम और एक नया मोड़ दिया है, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद भी आज शिक्षा के मामले में हम दोराहे पर खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मनुष्य के भविष्य और वर्तमान का निर्माण करती है और यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल सिद्धान्त है। हमारे ऋषि और मनीषियों ने बहुत सोच समझकर शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक साधन माना है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मानव संसाधन मंत्रालय ने मनुष्य के विकास के लिए एक साधन माना है। मैं कई उल्लेखनीय बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र करना चाहती हूं। उन्होंने पूरे राष्ट्र से निरक्षरता को हटाने का संकल्प लिया है कि 15 से 35 साल के सब लोगों की निरक्षरता को मिटा देंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं, उनको मालूम ही होगा कि यूनैस्को की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सबसे ज्यादा निरक्षर लोग विश्व में 38 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में हैं। एडल्ट एजूकेशन के सैन्टर हमारे यहां है और काफी रुपया उन पर खर्च किया जाता है। क्या इनके पास आंकड़े हैं ? मैं चाहती हूं कि इसका सर्वेक्षण कराया जाए और पता लगाया जाए कि पैसे कहां गए और निरक्षरता की इतनी टोली हमेशा बढ़ती गई।

दूसरी बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले औद्योगीकरण की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज शिक्षा का औद्योगीकरण किया जा रहा है। मैं निर्भय रूप से इस बात को कहना चाहती हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो विपरीत चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक तरफ सम्पन्न और सुविधा भोगी लोगों के लिए लोगों की परिकल्पना के अनुरूप शिक्षा को रूप दिया गया है, सांचे में ढाला गया है, जिसकी झलक आम भारतीय में नहीं मिल सकती है और दूसरी तरफ विकलांगों को, हरिजनों को, आदिवासियों को, महिलाओं को और ऐसे बच्चों को, जो घर में अपने छोटे भाई-बहनों की देखरेख करती हैं, उन लोगों के लिए इस नीति को बनाया गया है। इस प्रकार दो विपरीत दिशाओं में शिक्षा नीति चल रही है। मैं चाहती हूं कि इस खाई को पाटा जाए। इसके बारे में मैं विशेष ध्यान पूर्व प्राथमिक एजूकेशन की तरफ ले जाना चाहती हूं। बड़ी खुशी की बात है कि प्री-प्राइमरी एजूकेशन की तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है। सबसे पहली शिक्षा बालक की माता होती है।

मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषोवेद शतः

हमारे ऋषियों और मुनियों ने भी कहा है कि शिक्षा ऐसी हो

सः शिक्षा वा विमुक्ते

विद्या ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य बनाए और उसका निर्माण करे। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्राइमरी एजूकेशन पर नर्सरी स्कूल गांवों में खुले हैं। आपको जो बालबाड़ी है, वह सुगठित हो और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए।

दूसरी बात मैं प्राइमरी एजूकेशन के बारे में कहना चाहती हूं। 1850 करोड़ रुपये खर्च करने की इनकी योजना है, लेकिन 1850 करोड़ रुपये से क्या होगा। प्राथमिक विद्यालयों की आज दर्दनाक हालत है। आप एक संकल्प लीजिए कि कम से कम पांच साल में हिन्दुस्तान के हर एक सात-आठ लाख गांवों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो झोंपड़ियों में चल रहे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, जहां पेड़ भी नहीं हैं और आप जिस इलाके से आते हैं, वह रेगिस्तानी इलाका है, वहां चिलचिलाती धूप में बैठकर लड़के पढ़ते हैं। इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि पांच साल में सभी प्राथमिक विद्यालयों को पक्का बना देंगे। आपने कहा है कि दो कमरे बनायेंगे।

एक बात मैं और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है, ग्रामीण विद्यालयों का। मैं कहना चाहती हूं कि चम्पारण में.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रुकिये। बस। महोदया, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरा यह आदेश है।.....

श्रीमती प्रभावती गुप्त : **.....

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व का इतिहास साक्षी है, यदि मनीषियों का युग देखा जाए, तो पहले इन्सान पेड़ का फल, नहर का पानी और समुद्र का पानी पीकर अपना जीवनबसर कर लिया करता था। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता चाहे कम्प्यूटर युग में, चाहे इलैक्ट्रोनिक युग में प्रविष्ट हुई, लेकिन हमारी शिक्षा नीति काफी जरजर हो चुकी थी। मैं माननीय मंत्री, श्री नरसिंह राव का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति को सदन में विचार के लिए लाकर निश्चित रूप से एक नये युग की शुरूआत की है।

लेकिन कल श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने अपने भाषण के क्रम में एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अच्छी और खराब शिक्षा के बारे में कहा और यह कहा कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजा गया। जब तक हिन्दुस्तान में अच्छे और बुरे स्कूलों की परिभाषा रहेगी, जब तक ऊंच-नीच की भावना प्रज्जवलित होगी, जब तक अमीर अपनी अमीरी पर नाज करते हुए एयर-कन्डीशन्ड कमरों में रह कर अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजेंगे और गरीब

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री काशी प्रसाद पाण्डेय]

के बच्चे दो वक्त की रोटी भी नसीब न होकर आंसू बहाते हुए खुले आसमान के नीचे पढ़ेंगे तब तक समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। आप देखें कि एक तरफ तो इस शिक्षा नीति में 15 हजार करोड़ रुपये की कमी है और दूसरी तरफ आप सर्वेक्षण कराएं और मैं दावे के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि आप यह देखें कि जब गवर्नमेंट एक जिला शिक्षा अधीक्षक को बच्चों के भविष्य के लिए कापियों के लिए 15 से 20 लाख रुपये एक साल में आवंटित करती है, तो जिला शिक्षा अधीक्षक अपने पाले हुए लोगों को टेंडर एलोट कर देता है और अंजाम यह होता है कि 10 और 15 लाख रुपये में से सिर्फ एक लाख रुपया ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है और बाकी अधिकारियों की पोकेट में चला जाता है। हिन्दुस्तान के मुल्क में जहां पश्चिम चम्पारण में गांधी जी ने यह सोचा था कि गांधी के आंदोलन से अंग्रेजी सभ्यता हिन्दुस्तान से इंगलिस्तान सदा के लिए चली गई लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट हाऊस में और बाहर इंगलिस्तान की सभ्यता बरकरार है।

आप यह शिक्षा नीति इस सदन में लाए लेकिन कहीं आपने यह नहीं दर्शाया कि शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा होगी। जिस भाषा में हम पलते हैं और हिन्दुस्तान का नाम भी हिन्दी से शुरू होता है, आज हिन्दुस्तान में उसकी उपेक्षा होती है। बहुत से सदस्यों ने इस बारे में कहा है। तेलगु देशम वालों ने कहा कि तेलगु भाषा होनी चाहिए और दूसरों ने कहा कि बंगला भाषा होनी चाहिए। मैं सभी भाषाओं की कद्र करता हूं। ये हमारी भाषाएं हैं। अंग्रेज सदन के लिए इंगलिस्तान चले गये लेकिन आज भी इंगलिस्तान की सभ्यता हिन्दुस्तान में बरकरार है। ऐसा क्यों है ? आपने कभी यह कोशिश नहीं की कि हिन्दुस्तान की हमारी जो भाषा है और हिन्दी राष्ट्र भाषा है, वह आगे बढ़े। मेरा यह सुझाव है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि खासकर पश्चिम चम्पारण में गरीब बच्चे भवनों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो वे आगे चलकर मान सिंह और सुल्ताना का रूप धारण कर सकते हैं। आज पश्चिम चम्पारण की हालत आप देखिये। पंजाब में आपने ब्लू स्टार आपरेशन चलाया और पश्चिम चम्पारण में बिहार सफार ब्लैक पेंथर अभियान चला रही है। जब वहां पर उन मासूम बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, तो वे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज को सामने लाने के लिए मैं शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। यह एक पतला-सा दस्तावेज है जिसमें एक प्रकार का कार्य-वाही कार्यक्रम है। मुझे इस बात का विश्वास है कि इसके कार्यान्वयन की संभावना है, क्योंकि

जैसा कि राज्य मंत्री ने कल कहा कि इसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा है और इसीलिए कल स्वयं प्रधानमंत्री भी इस सदन में बहुत समय तक रहे थे।

महोदय, मंत्रालय के पास एक सही उदाहरण है :

किसी विशेष तारीख तक किसी विशेष आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा, व्यवसायिकीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा जिन्हें सामान्य ढंग से स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय नीति-शास्त्र तथा ऐसे ही अन्य विषय। हम इन चीजों से विवाद नहीं कर सकते। वे सभी सही स्थान में हैं।

मैं केवल यही कहूंगा कि इस बात का खतरा है कि सारा चौपट हो जायेगा अथवा कार्यान्वयन के स्तर पर सारा परिश्रम बेकार हो जायेगा।

12.00 मध्याह्न

मैं अन्य मामलों की ओर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय का अभाव है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दे दिया।

मैं विशेषकर अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के संबंध में कहना चाहूंगा जिनके लिए इस दस्तावेज में एक अलग भाग है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूं। मैं एक अनुसूचित जनजाति चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां भी सारा काम ठीक तरह से हो रहा है। आप जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की बात करते हैं। आप अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की बात करते हैं, आप आवासीय तथा आश्रम स्कूलों आदि की बात करते हैं। मैं मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनेक ग्रामों के बारे में मालूम है कि कौन-सा अनुसूचित जनजातीय निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें कागज पर स्कूलों की व्यवस्था की गई है किन्तु वास्तव में वहां कोई भी स्कूल नहीं है; या हो सकता है स्कूल का बहाना हो अथवा एक प्रकार का मुर्गीखाना अथवा पशुशाला है जो स्कूल के नाम पर चल रहा है। किन्तु कागजों पर वहां स्कूल है। अध्यापकों के सम्बन्ध में भी देखा गया है कि या तो अध्यापक नियुक्त नहीं होते हैं और साथ ही पैसा निकाला जाता है अथवा ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है, जिनकी कोई शिक्षा नहीं है।

कभी कभी ऐसे लोगों को जो अनपढ़ होते हैं अध्यापक बताकर पैसा ले लिया जाता है। मै सरकार से; जिसकी मंशा अच्छी है, कहूंगा कि वह इन सब बातों पर नजर रखने के लिए एक मशीनरी बनाये और यह देखे कि धन निर्धारित उद्देश्य पर ही खर्च हो। आप मात्र राज्य सरकार पर निर्भर नहीं कर सकते। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद के हाथ में हैं। वहां पर काफी कुप्रबन्ध हैं तथा अध्यापकों के आन्दोलन हुए हैं तथा

[श्री जी०जी० स्वैल]

सभी प्रकार की बातें हो रही हैं। किसी प्रकार की निगरानी तो होनी चाहिए यह पता लगाना चाहिए क्या ये स्कूल वास्तव में वहां हैं और क्या वास्तव में अध्यापकगण वहां पर हैं।

आपके पास ब्लैक बोर्ड आपरेशन कार्यक्रम है। जब तक आपके पास इसे करने के लिए सही मायनों में सक्षम अध्यापक नहीं होंगे, संपूर्ण कार्यक्रम बेकार सिद्ध होगा।

मैं सुझाव दूंगा कि सभी आदिवासी क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल होने चाहिएं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां पर प्राथमिक स्कूल हैं और सही अध्यापक वहां पर हैं। अध्यापक योग्य होने चाहिएं। उन्हें उचित वेतन दिया जाना चाहिए। उन्हें सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली कतिपय सुविधायें उन्हें भी दी जानी चाहिएं, जैसे जब वे बीमार होते हैं तो चिकित्सा की सुविधा आदि। केवल तभी आपको अच्छे अध्यापक मिलने संभव हैं।

आवासीय तथा आश्रम विद्यालयों का विचार अच्छा है। मेरा सुझाव है कि इन कार्यों को अधिकतर सैकेन्ड्री स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। आप इस लक्ष्य के लिए केन्द्रीय स्थल का चयन कीजिए तथा इन स्कूलों को वहां पर शुरू कीजिए। लेकिन इस सारे कार्य में महत्वपूर्ण बात होस्टल आवास है ! जब तक छात्रों की कहीं पर ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी वे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते। होस्टल, खेल मैदान तथा अन्य बातों की व्यवस्था कीजिए। केवल तभी काम चलेगा।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के लोग काफी शिक्षित है। यह काम मिशनरियों द्वारा आवासीय स्कूलों से हुआ है—जरूरी नहीं कि इसाई मिशनरियों द्वारा ही बल्कि भारतीय मिशनरियों जैसे रामकृष्ण मिशन द्वारा भी। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने स्कूलों के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। आप अपने कार्यक्रमों पर अमल करवाने का अधिकांश कार्य उन पर सौंप सकते हैं।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। नयी शिक्षा नीति का प्रारूप पढ़ने के बाद मैं महसूस करता हूं कि अगर इस नीति को ठीक प्रकार से लागू किया जाये तो निश्चित ही यह हमारे देश के युवा वर्ग के व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास करेगी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को तैयार करती हैं, लेकिन साथ ही, हमने देखा कि वर्तमान प्रणाली ज्यादातर कई अन्य लोगों के लिए रुकावट सिद्ध हुई है और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने में सहयोगी नहीं रही। इस प्रणाली ने छात्र समुदाय का जो मेरे विचार से किसी भी शिक्षा नीति के मुख्य लाभभोगी हैं, प्रतिनिधित्व करने या उनकी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निरन्तर एक तरफ तो चरित्र में गिरावट आयी और दूसरी तरफ देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। इससे

निराशा ने जन्म लिया और निराशा ने देश में बहुत से छात्र आन्दोलनों को जन्म दिया। जिनमें कुछ निहित स्वार्थों ने छात्र समुदाय को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। अतः हम देखते हैं कि इन छात्र आन्दोलनों के कारण कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

जब प्रधान मंत्री ने देश को एक नयी शिक्षा नीति देने की अपनी मंशा की घोषणा की तो खास तौर से छात्र समुदाय और सामान्य रूप से सारा राष्ट्र बहुत प्रसन्न हुआ तथा प्रधान मंत्री का धन्यवाद किया। आज नयी शिक्षा नीति का प्रारूप हमारे सामने है। विरोधी पक्ष के लोग तथा विरोधी पक्ष के छात्र संगठन इस शिक्षा नीति की आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में नयी शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है ? यह नीति, जिस पर राष्ट्र ने सारे वर्ष चर्चा की है, शिक्षा मंत्रालय ने गोपनीय तरीके से तैयार नहीं की है और न ही ऐसे लोगों ने तैयार की है जिन्होंने अपनी बुद्धि का दरवाजा बन्द कर रखा हो। यह नीति लोगों की भावना को दर्शाती हैऔर इस कारणवश जब हमने देखा कि हमारे देश के छात्र समुदाय तथा युवाओं के चरित्र में गिरावट आयी है, इस नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम में समायोजन किया जाये ताकि शिक्षा को सामाजिक, नैतिक और सदाचार संबंधी मूल्यों को विकसित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया जा सके। यह नीति जो छात्र समुदाय में देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास करेगी वह उनमें संवैधानिक—उपबंध भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्यों—के प्रति भी सचेत करेगी। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित करने का वायदा है और इस बात को विशेष रूप से कहा है कि 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को दाखिला दिया जायेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। सरकार ने भी यह महसूस किया है कि स्कूल हैं लेकिन इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, डैस्क, बैंच नहीं हैं और, इसलिए सरकार ने 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' की घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि इस आपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ सरकार 'डैस्कों, कुर्सियों, किताबों, खेल के मैदानों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक चीजों के बारे में भी आपरेशन शुरू करेगी।

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। यहां छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं एकमात्र सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समानता को कायम रखना है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इस नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों, अपंगों, अल्प संख्यकों, प्रौढ़ों को शिक्षित करने पर जोर दिया गया है। इसने सभी वर्गों की शिक्षा पर जोर दिया है। लेकिन अन्तिम बात जो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं वह है कि किसी भी नीति को अच्छा नहीं कहा जा सकता अगर

[श्री मुकुल वासनिक]

उसे ठीक से लागू न किया जा सके, और ठीक प्रकार से लागू करने के लिए अनिवार्य है कि उचित निगरानी तथा समीक्षा के लिए कोई व्यवस्थातंत्र हो। हम महसूस करते हैं कि सिर्फ एक अध्यापक ही बता सकता है कि छात्र पढ़ता है अथवा नहीं और केवल छात्र ही बता सकता है कि अध्यापक ठीक से पढ़ाता है अथवा नहीं। अतः शिक्षा नीति में निगरानी करने, समीक्षा करने तथा निर्णय करने की व्यवस्था में छात्रों का प्रतिनिधित्व निश्चय ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो नयी नीति बनी है, उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देश में 1968 में जो नयी शिक्षा नीति बनी थी उस शिक्षा नीति से हमारी साक्षरता बढ़ी है। 1951 की साक्षरता प्रतिशत को लेते हैं तो 16.67 परसेंट थी और 1981 की सैन्सस के अनुसार 36.23 परसेंट है। अभी भी मैं देखता हूं कि निरक्षरों की संख्या इस देश में 44.6 करोड़ है। मैं अदब के साथ पूछना चाहूंगा। कि निरक्षर कौन हैं। ये निरक्षर वही गांव में रहने वाले गरीबों के लड़के हैं जिनको दो जून भी खाना नहीं मिलता। उनके रहने के लिए घर नहीं है, गांव के नजदीक स्कूल नहीं है। यही 44 करोड़ निरक्षर लोग हैं। सन् पचास में आपने वायदा किया था कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार "इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक-बालिकाओं को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास किया जायेगा।" सन् पचास में यह बात कही थी और अब फिर 38 वर्ष की आजादी के बाद आप नयी शिक्षा नीति ले आए हैं पुनः इस बात को दोहराया है कि चौदह वर्ष तक के बालक/बालिकाओं को हम शिक्षित कर देंगे। मुझे शक है कि आपके नेक इरादे होने के बावजूद भी जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो सकेगी या नहीं।

मैं आपका ध्यान हिन्दुस्तान के उन तमाम हरिजन-आदिवासियों के बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने आज तक स्कूल नहीं देखा। गांवों में स्कूल बने हुए हैं लेकिन समाज में ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है कि उनके बच्चों को पढ़ने के प्रति डिसकरेज किया जाता है। उनको पढ़ने से रोका जाता है।

12.13 म०प०

[श्री अंनुल बशर पीठासीन हुए]

अगर आप चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षित करें और समाज की मेन-स्ट्रीम में ले आएं तो कम से कम सौ घर जहां पर हरिजन-आदिवासियों के हैं, वहां पर एक प्राईमरी स्कूल वैल-इक्वीप्ड करके दीजिए। आप दो तरह के सिटीजन पैदा कर रहे हैं। आप गांव

में देखिए न तो भवन ठीक है, न ब्लैक-बोर्ड है और न किताबों की व्यवस्था है। दूसरी ओर आप पब्लिक स्कूल चलाकर कहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। मैं समझता हूं कि समतामूलक समाज की स्थापना इस शिक्षा नीति से नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आप पब्लिक स्कूल बंद कर दें या फिर गांवों के स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल जैसा बना दें। एक ही समय में दो तरह की बातें आप नहीं कर सकते। मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहता हूं। हरिजन-आदिवासियों के बच्चों की ड्राप-आउट की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके पीछे मुख्य कारण गरीबी का है। उनके रहने के लिए घर नहीं है। मैंने पिछली दफा कहा था कि फूड फार एजूकेशन चलाइए। गोदामों में गेहूं सड़ रहे हैं तो क्या उन बच्चों को आप नहीं दे सकते। इस तरह से इन्सेन्टिव देंगे तो मैं समझता हूं उन आदिवासी और गरीब बच्चों का शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करूंगा कि फूड फार एजूकेशन आप चलायें तभी आपका काम पूरा हो सकेगा।

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है मैं उसका समर्थन करता हूं। नीतियां कभी खराब नहीं बनती, नीतियां तो हमेशा अच्छी बनती हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि उनका कहां तक सही ढंग से पालन हो रहा है, वह जिनके लिए बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही है या नहीं, इस बात को हमें देखना होगा। सरकार जो जनता तक पहुंचाना चाहती है उसके बीच में कौन रुकावट डाल रहा है, कौन उन चीजों को पहुंचने में रोक रहा है, इस पर हमको ध्यान देना होगा। हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इसलिए समय के साथ-साथ हमारी शिक्षा नीति में भी बदलाव आ रहा है, यह एक अच्छी बात है। किसी भी डेवलपिंग देश में, जो तरक्की की ओर बढ़ रहा है, शिक्षा नीति में बदलाव आना जरूरी है। मैं आपका ध्यान राज्य सरकारों द्वारा जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलाये जा रहे हैं, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। कहीं स्कूल भवन है तो शिक्षक नहीं है, और कहीं शिक्षक हैं तो स्कूल भवन नहीं है। एक स्कूल में अगर 10 शिक्षक हैं तो उसमें से 4-5 आपको मिलेंगे और आधे से ज्यादा शिक्षक बिना छुट्टी के स्कूल से गायब पाये जायेंगे। एक दिन आते हैं और हफ्ते भर की हाजिरी बनाकर वह गायब हो जाते हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है, अगर विजिलेंस कमेटी है तो क्या उसकी बैठक होती है या नहीं, यह हमें देखना होगा। शिक्षकों के अन्दर सेंस आफ रिसपोंसेबिलिटी की फीलिंग डवलप करनी होगी। उन्हें जिम्मेदार बनाना होगा, क्योंकि देश की तरक्की में वह एक कड़ी है। जो हमारी नई नीतियां हैं उसमें काफी अच्छी बातें कही गई हैं। माडल स्कूल की चर्चा की गई है, जो काफी सराहनीय है। सारे भारत में एक स्तर पर पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है चाहे वह किसी धर्म के हों या उनका कोई भी रंग हो, यह एक सराहनीय बात है।

महिलाओं की शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स इनफार्मल एजूकेशन, एडल्ट एजूकेशन की तरफ ध्यान दिया गया है, ट्राइबल एरिया में आश्रम स्कूल की व्यवस्था करने की बात की गई है, यह एक अच्छा कदम है और हमें चाहिए कि

[श्री सरफराज अहमद]

इसका समर्थन करें। मैं आपका ध्यान बिहार के पिछड़े इलाके, जो आदिवासी बाहुल्य है, छोटा नागपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। उस छोटा नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है जो रांची यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है और बिहार के दूसरे हिस्सों में चार या पांच यूनिवर्सिटीज हैं, उस छोटा नागपुर क्षेत्र में—एक यूनिवर्सिटी की और आवश्यकता है जिसका मुख्यालय हजारी बाग में हो जो नार्थ छोटा नागपुर के नाम से जानी जाये और जो नार्थ छोटा नागपुर में और संथाल परगना के जो पिछड़े इलाके हैं, जो विकसित नहीं है वह सब जिले उसके दायरे में हों। पूरे नार्थ छोटा नागपुर में एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान इस पिछड़े क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार आज पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान दे रही है, छोटा नागपुर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां एक यूनिवर्सिटी की और आवश्यकता है।

जो वोकेशनल एजूकेशन की बात की गई है, यह काफी जरूरी है। सबसे बड़ी बात मैं फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सेंस आफ रिसपोंसिबिलिटी शिक्षकों के अन्दर बहुत बड़ी चीज है, यह हमारे देश की बैक बोन है, किसी देश की तरक्की करने और इसको आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा) : चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मेरा पहला मुद्दा यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य की जानी चाहिए और सरकार ने इसे प्रारूप में स्वीकार किया है कि इसे सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि जहां तक शिक्षा का संबंध है राज्यों के लिए स्वायत्तता होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसे रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि मैं सभी तरह के पब्लिक स्कूलों, विशेष स्कूलों और प्रारूप में प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों के विरुद्ध हूं। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा संस्थाएं हैं। पहली जहां अच्छे अध्यापक, अच्छा प्रशिक्षण आधुनिक साधन अच्छी प्रयोगशालाएं आदि जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और दूसरी किस्म की वे संस्थाएं हैं जहां इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसके कारण इन दोनों किस्मों की शिक्षा संस्थाओं के बीच बहुत अन्तर है। अत: शिक्षा प्रणाली में इस तरह का असंतुलन नहीं होना चाहिए।

सरकार ने घोषणा की है कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी। लेकिन जब तक इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तब तक 'श्यामपट्ट क्रांति' सफल नहीं हो सकती। यह बहुत अच्छा नारा है—'श्यामपट्ट क्रांति'। 1971 के गरीबी हटाओ जैसे कई नारे थे। परन्तु गरीबी हटाई नहीं गई। यह बहुत अधिक है। इसी तरह श्यामपट्ट क्रांति के बारे में भी मुझे संदेह है क्योंकि सातवीं योजना के लिए राष्ट्रीय गोष्ठी आरंभिक शिक्षा के लिए जिस व्यवस्था की

सिफारिश की गई थी वह योजना में रखी गई राशि तक थी और गैर-योजना व्यय 23,199 करोड़ रुपया था। शायद राष्ट्रीय गोष्ठी के ध्यान में श्यामपट्ट क्रांति थी। इसको सफल बनाने के लिए इस प्रकार की भारी धन राशि की आवश्यकता है। परन्तु यदि आप सातवीं योजना में बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था को देखें तो आप आश्चर्य चकित होंगे तथा आप इस निष्कर्ष पर आएंगे कि जब तक उस सीमा तक आवंटन नहीं किया जाता तब तक श्यामपट्ट क्रांति सफल नहीं हो सकती। आर०के० भण्डारी द्वारा एक अनुमान लगाया गया जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए 21,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वास्तविक स्थिति क्या थी ? वास्तविक स्थिति यह है कि अपेक्षित 23,199 करोड़ रुपए के स्थान पर केवल 1830 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यदि श्यामपट्ट क्रांति को सफल बनाना है तो इस तरह की अल्प व्यवस्था सहायता नहीं कर सकती। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं। कल उन्होंने बताया है कि शताब्दी के अन्त तक अर्थात 2000 ई० तक देश में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी। परन्तु हमारे देश में निरक्षरता इतनी अधिक सीमा तक है और योजना प्रारूप के अनुसार जिसे देश में चर्चा के लिए परिचालित किया गया था, शताब्दी के अन्त तक 100 करोड़ जनसंख्या में से 50 करोड़ लोग निरक्षर होंगे। यदि निरक्षरता की सीमा इतनी अधिक है तो धन की व्यवस्था भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, अन्यथा श्यामपट्ट क्रांति को विफल होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वह असफल हो, उसे सफल होना चाहिए। श्यामपट्ट क्रांति की सफलता के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षित महिलाओं को अन्यथा निकट भविष्य में पीड़ित होने की संभावना है। 2000 ई० के अन्त तक हमारे देश में 50 करोड़ लोग निरक्षर होंगे। वे परिस्थितियों, गरीबी तथा अन्य कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायेंगे। उन्हें इस शिक्षा क्षेत्र से अलग रखा गया है। नीति विवरण के पृष्ठ 1 के पैरा पर यह बताया गया है :—

> "भारत आर्थिक और तकनीकी विकास की दृष्टि से उस स्थान पर पहुंच गया है, जहां ऐसे प्रबल प्रयास की जरूरत है जो अब तक तैयार किये गये साधनों का भरपूर इस्तेमाल करके जनता के हर वर्ग को फायदा पहुंचाएं। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम है।"

यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताया गया है कि हमने कुछ किया है, सभी लाभ उन लोगों को जाने चाहिएं जो कुछ सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा सर्वोच्च लक्ष्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक यह सर्वोच्च विकल्प उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जो निरक्षर हैं। जिन्हें स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला है। यदि उन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता है तो वे परिस्थितियों के कारण अनिवार्य रूप से छोड़ देते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा जो सर्वोच्च लक्ष्य है, वह सभी लोगों को मिल सकें। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आरम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था सबको हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रही हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : चेयरमैन साहब इनके बाद हमको देंगे ?

सभापति महोदय : देखा जाएगा अब जैसा होता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : साहब मैं कल दिन भर बैठा हूं और कल से इंतजार कर रहा हूं। मैं तो अकेला हूं साहब।

सभापति महोदय : अकेले होने का तो फायदा है, सब पर तो आप बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)...

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : आपने शिक्षा को बढ़ावा दिया है और काफी सुधार किया है, यह बात सही है कि सब जगह आज शिक्षा का ऊंचा स्तर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज शिक्षा के ऊपर हम यहां बोल रहे हैं उसमें सब लोगों की एक ही शिकायत है कि गरीब बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और उनके रहन-सहन में, उनकी पढ़ाई में जो कमियां हैं, वे आपके सामने आ रही हैं।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के प्राइमरी और हायर सेकेंड्री स्कूल की तरफ दिलाना चाहती हूं। वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और अगर आप वहां पर प्राइमरी स्कूलों की हालत को देखें तो आपको पता लगेगा कि न बिजली का प्रबन्ध है और न पानी का प्रबन्ध है और न ही पढ़ाई का। यह जरूर है कि आप बड़े-बड़े स्कूलों की तरफ देखते हैं, बड़े-बड़े स्कूलों की तरफ ही आपकी नजर होती है। वहां पर बहुत अच्छे-अच्छे और प्यारे बच्चे ड्रेस पहनकर जाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जे०जे० कालोनियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहां पर आपने नहीं देखा होगा कि वहां के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है।

सभापति महोदय, कल मंत्री महोदया ने बताया था कि पब्लिक स्कूल को इस तरह से जोड़ रहे हैं ताकि गरीब बच्चे भी उनसे सम्बद्ध रहें, वे भी उनमें शिक्षा पा सकें।

आप तो जा रही हैं, जरा बैठिए, सुनिए तो सही।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मुझे सुनाएं।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : मंत्री जी, मैं आपको कहूंगा कि पब्लिक स्कूल जो हमारे दिल्ली में हैं, चाहे शहरों में हैं, कहीं भी आप देखिए, पब्लिक स्कूल का जो स्तर है, वह

बहुत ऊंचा उठा हुआ है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि हम गरीब बच्चों को उनके साथ जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ वहां का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पब्लिक स्कूल में फीस कितनी ली जाती है वहां का स्टेंडर्ड आफ एजूकेशन कितना ऊंचा है, वहां जो बच्चे जाते हैं, उनकी ड्रेस देख लें, कम-से-कम पांच सौ रुपए की ड्रेस एक बच्चे की बनती है।

वहां की फीस देख लें, कम से कम डेढ़ सौ से ढाई सौ रुपये से कम नहीं है। आप बतायेंगे कि गरीब बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगे ? एक तरफ गरीब और अमीर बच्चों का लगाव आप कर रहे हैं, तो जब तक इसमें परिवर्तन आप नहीं करेंगे, तब तक आप इनको आपस में जोड़ नहीं सकते। गरीब बच्चों के लिए आपको आरक्षण देना पड़ेगा। अगर आप वाकई में गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं उनको बराबरी में लाना चाहते हैं तो आपको उनको आरक्षण देना चाहिए।

मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : लेना चाहिए।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : नहीं लेना चाहिये। अगर शुरू से ही हम उनको राजनीति की तरफ ले जायेंगे तो उनकी शिक्षा ठीक से नहीं होगी। शिक्षा ऐसी चीज है—चोर न चोरी कर सके, नहीं राग हर ले।

अगर हम में शिक्षा होगी तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो शारीरिक दण्ड, बच्चों की मार-पिटाई होती है, वह नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो पुस्तकें दी जाती हैं, उनका रेट कम होना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी, हरेक वर्ग के बच्चे उनको खरीद सकें।

अध्यापकों को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो स्कूल में पढ़कर बाहर लायक बनकर आयेंगे तो उनके लिये हम सहानुभूति करेंगे। बी०ए० से बच्चे सीधे आई०ए०एस० में चले जाते हैं, तो लायक बच्चे ही उसमें सीधे जाते हैं। गरीब नहीं जा पाते।

नर्सरी स्कूल के बच्चों में कम-से-कम इतना देखना चाहिए कि उनकी देखभाल किस तरह से होनी चाहिये। एक तरफ बच्चे सरकारी नर्सरी स्कूल में जाते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों की भी थोड़ी देखभाल होनी चाहिए।

महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अगर महिला पढ़-लिखकर घर में आयेगी और बच्चे चाहे दो हों, एक हो, या तीन हों, अगर विद्या मां में होगी तो उसी के अनुसार वह बच्चों को बनायेगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। श्री सी० जंगा रेड्डी।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : अभी तो मुझे बहुत कहना है, बहुत थोड़ा समय आपने दिया है।

सभापति महोदय : नहीं नहीं, आप बैठ जाइये, और मिनिस्टर साहब से कह दीजिए।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : मैं बच्चों की शिक्षा के लिए बोल रही हूं, मुझे एक बात कहनी है।

सभापति महोदय : सभी लोग बच्चों के लिए बोल रहे हैं, आप आधा मिनट में अपनी बात खत्म कीजिये।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : मैं कहना चाहती हूं कि स्कूलों में दाखिले के वक्त जब बच्चे जाते हैं तो आप यह देखिए कि कितना डोनेशन ये पब्लिक स्कूल वाले मांगते है। जो बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल हैं, वहां 15, 15 और 20, 20 हजार रुपए डोनेशन के बच्चे के दाखिले के लिए मांगते हैं। आप उन बच्चों को इनमें कैसे पढ़ायेंगे जिनको दो टाइम रोटी नहीं मिलती, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है ? वह कैसे बराबरी करेंगे ? मेरी दरख्वास्त है कि अगर वाकई में आप बराबरी लाना चाहते हैं तो इन पब्लिक स्कूलों को बन्द कीजिए या बराबर का स्तर लाइये।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आये और उन्होंने घोषणा की वह शिक्षा में तबदीली लायेंगे। मैंने सोचा कि कुछ नई तबदीली आ जायेगी और इस देश की कुछ उन्नति होगी, सुधार होगा।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से आशा करता था कि वह कुछ नई बातें लायेंगे लेकिन इसको पढ़ने से पता लगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। नई शीशी में पुरानी शराब डालकर रखी है और उसे हमको पिलाया जा रहा है। बेसिक एजूकेशन का हमने प्रयोग किया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठाया। जो बुनियादी शिक्षा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे रूरल यूनिवर्सिटी वह भी नहीं हुआ।

मैं यही चाहता हूं कि आप यह बतायें कि मैट्रिकुलेशन के बाद किस प्रकार की शिक्षा बेरोजगारी से लिंक करते हैं। आपने पूरी त्रुटियां बताईं एक और 3 में बिल्कुल कुछ नहीं किया। कोठारी कमीशन ने जो त्रुटियां बताईं, वही आपने बताईं। महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात नहीं की, केवल एक डाक्यूमेंट के रूप में देकर, हमें समिति में चर्चा के लिए बुलाया। इसमें क्या नई बात है ? हम कह सकते हैं कि नवोदय पाठशाला। जो पब्लिक स्कूल बड़े लोगों के लिए हैं, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाये। मैं चाहता हूं कि हर तालुके में 5,10 गांव के लिए एक रेजिडैशल स्कूल बनायें ट्राइबल्स के लिए।

आपने स्पष्ट रूप से बताया कि 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ने के लिए कम आते हैं। क्या कारण है आपने अनिवार्य शिक्षा लागू किया और वह फेल हो गई। बच्चों को खाने के लिए मिलता नहीं है, अनिवार्य रूप से कैसे पढ़ेंगे ?

हम तीन पहलू देखते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा जितना पैसा आप यूनिवर्सिटी में खर्च करते हैं, प्राथमिक में खर्च क्यों नहीं करते ? आपने बताया कि 6 से 14 साल के बच्चे 77 परसेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर न उनके लिए घर है, न स्कूल है, न ब्लैक बोर्ड है, न चाक-पीस है, न अध्यापक समय पर जाता है। अध्यापक की संख्या बढ़ी है, मगर पढ़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। आप केवल अध्यापकों को पैसे देते हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

आप कान्करेंट लिस्ट में इसे लाये। एमरजैंसी में जो संविधान का संशोधन किया, उसके बारे में आप लोगों ने कितना पैसा खर्च कर दिया स्टेट को ? पहले 6 परसेंट देते थे, अब एक परसेंट तक आ गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कितना पैसा शिक्षा के लिए देना चाहते हैं ? कितने स्कूल खोलने वाले हैं नवोदय में ? नवोदय में क्या मीडियम होगा, वहां क्या पढ़ाना चाहते हैं, बताइये। जो बुर्जुग लोग, बड़े लोग, सरकारी अफसर और केन्द्र के कर्मचारी होते हैं, आप यह उनके लिए बताते हैं। नवोदय मिडिल स्कूल का क्या हुआ ? एक साल पहले डिक्लेयर हुआ, डेढ़ साल हो गया लेकिन उसका पता नहीं। आप एक्स-रे कर लें, माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो स्कूल का पता नहीं मिलेगा। मैंने कलैक्टर से पूछा तो जवाब दिया कि मैंने प्रपोजल भेजा है, लेकिन सेंट्रल में पड़ा है। कारण है कि बिल्डिंग बनने के बाद वहां पर पाठशाला खोलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप नवोदय शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बनाइये और जितना गोदामों में आपके पास गेहूं है, वह बच्चों को खिलाइये। 5 साल प्राइमरी एजूकेशन के लिए पूरा पैसा खर्च कीजिए। नान-फार्मल एजूकेशन मुझे समझ में नहीं आता। एडल्ट एजूकेशन में जब समय मिलता है तो जाकर पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, कहां पर पढ़ा रहा है। केवल आंकड़ों के लिए हम चाहते हैं कि पूरे रैजिडैन्शल आश्रम पाठशालाएं बनें ताकि एस०सी०एस०टी० के लोग उसमें पढ़ सकें।

आपने जो बता दिया कि मैडिकल एजूकेशन और एग्रीकल्चरल एजूकेशन को पूरी एजूकेशन में एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह होने वाली बात नहीं है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन के बारे में ठोस कदम उठाये। इसके साथ-साथ वोकेशन एजूकेशन पर भी अधिक ध्यान देना आवश्यक है। जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनको इस काम में सरकार की सहायता करनी चाहिए। अगर हम 21वीं सदी की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही अपनी एजूकेशन पालिसी में सुधार लाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब चेयरमैन साहब, मै आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एजूकेशन पालिसी पर बोलने के लिए 2-3 मिनट दिये हैं। हालांकि

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

मुझे इस विषय पर बोलने के लिए 10-15 मिनट मिलना चाहिए था। फिर भी जो कुछ भी समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं।

दो दिन से इस एजूकेशन पालिसी पर जो बहस चल रही है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जब इमारत बनायी जाती है तो उसकी बुनियाद को पहले मजबूत बनाना पड़ता है। अगर हमारी प्राइमरी एजूकेशन की बुनियाद ही कमजोर होगी तो आगे चलकर बच्चे की बुनियाद भी कमजोर होगी।

हमने देहातों के अन्दर देखा है कि वहां पर बच्चे मारे-मारे फिरते हैं। न वहां पर स्कूल हैं और न ही कालेज हैं। अगर स्कूल बनाते भी हैं तो उन स्कूलों को कोई भी मदद नहीं दी जाती है। यह हालत हमारे एजूकेशन की है। यह बहुत अच्छा है कि आप नई एजूकेशन पालिसी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसको ठीक ढंग से कार्यान्वित भी करना आवश्यक है।

दिल्ली जैसी जगह में हमने देखा है कि अगर कोई साधारण इनकम का आदमी अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहता है तो आसानी से दाखिल नहीं हो सकता है। इन स्कूलों का स्टेंडर्ड भी इतना बढ़ गया है कि आम आदमी इन स्कूलों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जितने भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल हैं वह खुले आम कहते हैं कि 25 हजार रुपया दो और अपने बच्चे को दाखिल कर लो। इस किस्म की चीज यहां पर चल रही है।

जो अल्पसंख्यकों के इस्लामी मदरसे हैं उनको बहुत कम तादाद में ऐड दी जाती है और न ही कोई तवज्जह दी जाती है।

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, उसका पैसा खुद प्रिंसिपल और टीचर आपस में मिलकर खा जाते हैं। इस ओर भी आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है।

आज नारा लगाया जाता है कि अंग्रेजी को यहां से जाना होगा, लेकिन इस हाऊस में मैंने देखा है कि सारे भाषण अंग्रेजी में ही होते हैं। जो अंग्रेजी में स्पीच देता है, उसके लिए कहा जाता है कि यह एक अच्छा स्पीकर है और उसकी ही आवाज सुनी जाती है। हिन्दी, उर्दू और दूसरी अन्य भाषाओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। जब अंग्रेज यहां से चले गये तो कहा गया कि अंग्रेजी भी चली गई है, इसलिए अपनी भाषा बोलो। ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि इंग्लिश इज इन्टरनेशनल लैंग्वेज। नो डाउट।

एक माननीय सदस्य : आप भी अंग्रेजी बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं समझ पाते हैं।

अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जो इस्लामी मकतब हैं, आप उनकी तरफ तवज्जह दें। आप बिल्डिंगें बनायें, बच्चों को वजीफे दें ताकि सब बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। शेड्यूल्ड कास्ट और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको भी देखना होगा कि वह उन तक पहुंचे। आप देहातों में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वह एक पोलिटिकल सेंटर बने हुए हैं। आज हर नेता इसलिए स्कूल खोलता है क्योंकि उसने इलेक्शन के वक्त में टीचरों से काम लेना होता है। यह एक गलत चीज है।

मेरा एटा जिला एक पिछड़ा जिला है। वहां न कोई कालेज है, न स्कूल है और न ही कोई यूनिवर्सिटी है। इसको भी आपको देखना होगा।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी को 12.40 पर बोलना था परन्तु अब पहले ही 15 मिनट बीत गये हैं।

[हिन्दी]

यह फैसला पहले हो चुका है।

श्री राजकुमार राय (धोसी) : मैं चाहता हूं कि शिक्षा नीति पर बोलने का सबको मौका दिया जाये। संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि सब सदस्य इस पर अपनी राय जाहिर करेंगे। अतः एक घण्टा और बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय : बहुत से लोग इस पर बोल चुके हैं। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री राजकुमार राय : सभापति महोदय, यह बड़ी ज्यादती होगी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे मौके रोज-रोज नहीं आते हैं। इस कारण दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अतः इस विषय को अधिक समय दिया जाना चाहिए तथा हमारे माननीय मंत्री के बोलने और उनकी राय देने से पहले हमारे माननीय साथियों की राय लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मंत्री जी को भी इसमें कोई एतराज नहीं है।

सभापति महोदय : यह फैसला हो चुका है कि साढ़े 12 बजे मंत्री जी बोलेंगे।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि अब हमें चर्चा के लिए एक और घंटे का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : अत: इस चर्चा के लिए अब एक घंटा बढ़ाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। कल इस हाऊस के एक मुअज्जिज मैम्बर ने इस हाऊस की फ्लोर पर मुझ पर जातीय हमले किये। मैं उस समय हाऊस में मौजूद नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में जातीय बातें कही गई हैं। मुझे इस पर बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

यह पूर्ण रूप से अनुचित है।

श्री राजकुमार राय : यह गलत उदाहरण होगा। संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा भी इसका आश्वासन दिया गया था। सदन में भी उन्होंने आपको सूची दी थी और संबंधित मंत्री जी इसके बारे में जानते हैं।

सभापति महोदय : चर्चा के लिए अब समय एक घंटा और बढ़ाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक घण्टे का और समय बढ़ा दिया है।

150 वर्ष पहले की मैकाले की नीति पर हमारे प्रधान मंत्री और मानव संसाधन मंत्री विचार कर रहे हैं। वह देश को एक नई दिशा देने वाली शिक्षा नीति प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है।

माननीय, इस देश में राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग बना, लेकिन शिक्षा की कोई सही नीति नहीं बन सकी।

आज देश के 5246 डिग्री कालेजों में, 140 यूनिवर्सिटीज में और कई लाख कालेजों में बहुत बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। इस कारण कोई ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे सबको लाभ मिल सके। आज हम गरीबों, पिछड़े वर्गों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत आभार है। लेकिन सारी नीति जो है, मैं मानता हूं कि नीति कोई बुरी नहीं होती है, उसका इम्पलीमेंटेशन बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि :

[अनुवाद]

अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस सरकार के पास सक्षम शक्ति है।

[हिन्दी]

यह निश्चित रूप से संकल्प करेगी और जो राष्ट्र में विश्वास किया जा रहा है उसे पूरा करेगी।

लेकिन कुछ विसंगतियां हैं इस राष्ट्र के सामने। देश के सारे प्राइमरी स्कूल ढहे पड़े हैं। गिरे पड़े हैं। लड़के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले सारी जगहों पर प्राइमरी स्कूलों के भवन बना दिए जाएं और उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

माध्यमिक शिक्षा में इस कदर नेतागीरी है, अध्यापकों को चाहे जितना वेतन दे दिया जाए, उनके भुगतान की शर्तें चाहे जितनी अच्छी कर दी जाएं मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड आपरेशन कर रहे हैं वैसे ही टीचर आपरेशन करें और यह देखें कि वह समय से जाकर अच्छी उपस्थिति देकर अपने स्कूलों में पढ़ा सकें। साथ ही उनकी जो कठिनाइयां हैं, शिक्षकों की, उसे दूर करें।

इस शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शिक्षा नीति की व्यवस्था नहीं की गई है। उनकी बहुत दिनों की मांग है। उस पर भी विचार किया जाए।

माननीय राजीव जी और माननीय मानव संसाधन मंत्री देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही उच्च एजूकेशन टास्क बनाया है। इस टास्क को देखने से ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो और श्रम-प्रधान स्कूल हों ताकि पुराने जमाने की तरह से जैसे हमारे स्कूलों से क्लर्क पैदा होते रहे हैं और पढ़ने के बाद नौकरी खोजते रहे हैं वैसी स्थिति न रहे। इस नई शिक्षा नीति से अनएम्पलायमेंट की समस्या हल होगी और स्टूडेंट्स एजीटेशन पर भी अंकुश लगेगा, लोग सही शिक्षा पा सकेंगे और कान्स्ट्रक्टिव एजूकेशन होगा जिससे पूरे राष्ट्र को एक अच्छा समाधान मिल सकेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल करके केन्द्र और राज्यों के बीच सहभागिता के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नई प्रणाली को बनाने के प्रयास का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को लचीला होना चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। स्कूल पाठ्यचर्या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सहायक हो। विशिष्ट क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अध्यापकों के स्तर में भी सुधार लाने की बहुत भारी आवश्यकता है।

तेजी से बढ़ते हुए विकास, सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास संसाधन हैं परन्तु हमें कुछ आदर्शवाद के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को जो हमारे स्वाधीनता संग्राम की विशेषता थी, पुन: अपनाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और मानविकी, शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य दोनों का समावेश करना चाहिए जिससे अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सके जिनका राष्ट्रीय एकता में अटूट विश्वास हो और देश के लिए प्यार और लोगों के लिए प्यार हो।

शिक्षा में संकीर्ण राजनीति का कोई स्थान नहीं है। शैक्षणिक स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता पर बिना कोई प्रतिबन्ध लगाए शिक्षा को राजनीति से परे रखा जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन में अव्यवस्था को दूर करने के लिए संसद में एक अखिल भारतीय माडल एक्ट पास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए एक नेशनल कोर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और कार्य संबंधी नैतिकता तथा अनुशासन विकसित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी को प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। निरक्षरता दूर हो और प्रौढ़ शिक्षा बढ़े। देश में अध्यापकों की संख्या लाखों में हैं। उनमें से अनेक शिक्षक अध्यापन कार्य में इसलिए चले आए हैं क्योंकि इन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल सका।

अधिकांश प्रतिशत अध्यापकों को नए विषय पढ़ाने से संबंधित अपेक्षित जानकारी नहीं है। अत: सेवा में रहते हुए उनके लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था ध्यानपूर्वक और सही ढंग से की जानी चाहिए।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब तक छात्रों और अध्यापकों के बीच अनुपात को कम नहीं कर सकें तब तक परीक्षा की प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में कुछ प्रयास किए गए हैं कि निम्न स्तर पर परीक्षा को हटा दिया जाये। विश्व के विभिन्न भागों में परीक्षा नहीं होती है। परन्तु हमारे देश में हमारे

पास यहां ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले वर्ष शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान तत्कालीन मंत्री जी ने हमारा यह सुझाव स्वीकार किया था कि प्रत्येक स्कूल के पास एक शिशु देखभाल केन्द्र होना चाहिए।

अन्त में, मैं महिला शिक्षा के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जोर देता हूं। अधिक संख्या में छात्राएं स्कूलों में पढ़ें, इसके लिए स्कूल के निकट या स्कूल के अन्दर एक शिशु देखभाल केन्द्र होना चाहिए ताकि छात्राएं अपने भाइयों तथा बहनों को वहां छोड़कर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों को उन बच्चों के बारे में जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो माता-पिता को ऐसे बच्चे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

पाठ्यचर्या में महिला विषयक अध्ययन को केवल छात्राओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए शुरू किया जाना चाहिए।

छात्राओं को शिक्षा दिलाने के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि उनमें आत्म-विश्वास जागृत हो सके और आरम्भ से ही उन्हें पता चल सके कि समाज में उनके समान अधिकार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं।

12.58 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

*श्री के० राम चन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं तेलगु में बोल रहा हूं।

महोदया, सरकार द्वारा पुर:स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन मैंने बड़ी सावधानी पूर्वक किया है। इस नीति को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इतना ही नहीं कि इसमें कोई नवीनता नहीं है अपितु ऐसी अनेक बातों के सम्बन्ध में इस नीति में कुछ भी नहीं है जो 'शिक्षा की चुनौती' रहीं हैं। इसमें सभी बातें पुरानी हैं यह शब्द जाल है। कमियों पर पर्दा डालने के लिए नीति सम्बन्धी दस्तावेज में गुंजायमान और लच्छेदार भाषा का

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

प्रयोग किया गया है। महोदया, मेरा यह मत है कि नीति दस्तावेज में जिन अनेक बातों का उल्लेख किया गया है, उनको कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन है। मुझे इस बात में सन्देह है कि यह सरकार इस नीति को कार्यान्वित कर भी पायेगी ? क्या सरकार का इरादा इसे निष्ठापूर्वक लागू करने का है ? क्या इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है ? क्या इस नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए निष्ठावान कर्मचारियों का तन्त्र है ? इस नीति को सफल बनाने के लिए उपरोक्त बातों की उपलब्धता के बारे में मुझे संदेह है।

महोदया, प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली बड़ी ही निराशाजनक है। यह निरुत्साहित करने वाली है। छात्रों की बात तो छोड़ दीजिये, शिक्षक तक अज्ञानी जान पड़ते हैं। वास्तव में शिक्षक कुछ जानते ही नहीं हैं। यह बड़े खेद की बात है कि आरम्भिक शिक्षा ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में है। महोदया, यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि "स्थानीय और कार्य निष्पादन से सबंद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ गुणवत्ता, उद्देश्य और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का तरीका पुनर्गठित किया जाएगा।" शिक्षकों का वेतनमान और सेवा शर्तें उनकी सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के अनुरूप करना होगा ताकि विद्वान व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हों।

यदि हमारे माननीय मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, तो मैं उन्हें बधाई दूंगा तथा उनका आभार मानूंगा। महोदया, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। यद्यपि इसके बारे में उन्हें भली-भांति विदित है किन्तु यह कोई नई बात नहीं है। तेलगु साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री गुराजदा अप्पा रेड्डी का कथन है, "मानव, तू अपनी देश-भक्ति की शेखी क्यों बघारता है। देश के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करके तू अपनी देश-भक्ति को उजागर कर दे।" इसलिए महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जाये जिससे कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सके। उन्हें यह बात सिद्ध कर देनी चाहिए कि वह कोरी गप्प नहीं मारते अपितु ठोस कार्य करने में विश्वास करते हैं। शिक्षा नीति के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अन्य मामलों में न सही किन्तु कम से कम प्राथमिक शिक्षा के मामले में नीति को कार्य रूप में परिणित किया जाए। यह बात सुनिश्चित की जाये कि प्राथमिक स्कूल शिक्षक के रूप में योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाये। यदि प्रारम्भिक शिक्षा को संचालित करने के लिए सही शिक्षकों का चयन किया गया तो मैं इस सुयोग्य कार्य करने के लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह नीति उसकी भावना के अनुरूप कार्यान्वित करायें। तभी प्रारम्भिक शिक्षा का एक सुन्दर रूप दिया जा सकेगा।

1.00 म०प०

महोदया, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के बारे में बहुत कुछ कहा है। हर साल लगभग 76 प्रतिशत छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकार का कहना है कि सरकार बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम करेगी और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ायेगी। थोथे वायदे करने के और दावा करने के बजाय यह अच्छा होगा कि इस बात का मूल कारण पता लगाया जाये कि बच्चे बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं। गांवों में माता-पिता दोनों ही रोजी-रोटी कमाने के लिए काम पर जाते हैं। माता-पिता 10 या 15 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं कमा पाते हैं। उनका जीवन-यापन बड़ा कठिन है। काम पर जाते समय वे अपने 5 या 6 साल के बच्चे को घर में छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ जाते हैं अथवा उससे अपने पशुओं को चराने के लिए कह जाते हैं। यही कारण है कि देश में इतने अधिक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका सम्बन्ध आर्थिक स्थिति से है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। इस समस्या का समाधान किये बिना बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या नहीं सुलझ सकती है। इस समय गांव का कोई भी निर्धन व्यक्ति वेतन के रूप में 5 या 10 रुपये प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता है। इसलिए सर्व-प्रथम उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठाना होगा। उनमें साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार को उनकी गरीबी दूर करनी होगी। इसलिए सरकार को बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या और आर्थिक समस्या को एक साथ रखकर सोचना होगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि उनकी आय बढ़ सके।

महोदया मैं भर्थरीहरि को उद्धृत करना चाहूंगा जिनका कथन है—"कितना ही विद्वान व्यक्ति क्यों न हो यदि उसमें बौद्धिक संतुलन नहीं है तो उसकी सारी विद्वता व्यर्थ है।" इसी प्रकार जो शिक्षा सन्तुलन रखना नहीं सिखाती है, वह बेकार है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी है। सर्वमान्य नीति बनाना बहुत कठिन है। दस्तावेज में दिए गये कुछ मुद्दों से मैं भी सहमत नहीं हूं। इसके बावजूद सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस नीति को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाये। नीति कागज पर ही बनी न रह जाये, इसे कार्य रूप में परिणित किया जाये। यदि उसकी भावना और आत्मा के अनुरूप इसे कार्यान्वित न किया गया तो यह नीति व्यर्थ ही रहेगी। जिस प्रकार संतुलन की भावना के बिना शिक्षा व्यर्थ है उसी प्रकार समुचित कार्यान्वयन के बिना नीति दस्तावेज व्यर्थ है। मुझे आशा है कि सरकार पूर्ण निष्ठा और लगन की भावना से इस नीति को उसकी सही भावना और आत्मा के अनुरूप कार्यान्वित करेगी।

महोदया, थोड़ा-सा समय देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा। सन् 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, उस नीति में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है परन्तु यह जो नीति अभी बनाई गई है, यह एक नया रूप है और उसमें संकेत दिये गये हैं।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा नीति और मनुष्य में चरित्र की भावना, मानसिक भावना और भावनात्मक भावना पैदा नहीं करती है, तो वह शिक्षा अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक है और बहुत जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली संतुलित हो। संतुलित का अभिप्राय यह है कि जैसे शारीरिक और बौद्धिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है वैसा प्रयास मानसिक और भावनात्मक विकास की ओर किया जाना चाहिए और मैं यह समझता हूं कि इस दिशा में अगर हम कुछ ठोस कदम उठाते हैं, तो यह शिक्षा प्रणाली सफलीभूत होगी। इसका सफलीभूत होना इसके कार्यान्वियन पर भी निर्भर है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो छठी पंचवर्षीय योजना का आऊटले बनाया था शिक्षा का, वह 2,530 करोड़ रुपये था यानी 2.6 परसेन्ट और हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो आऊटले बनाया है, वह 6,383 करोड़ रुपये है यानी 3.5 परसेट। इसको 7 परसेन्ट तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जो व्यवसायिक शिक्षा है, उसकी ओर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसके लिए 304 करोड़ रुपये का प्रावधान है, प्रशिक्षण के लिए 54 करोड़ रुपये और स्टेट सेक्टर में 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम व्यवसायिक शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं और 10 जमा 2 जमा 3 को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं लेकिन कम राशि का प्रावधान होने के कारण हम इसमें सफलीभूत नहीं होंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि प्राइमरी शिक्षा के लिए शिक्षकों का योग्य होना बहुत ही आवश्यक है। उसका ईमानदार होना भी आवश्यक है। जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक प्राइमरी शिक्षा कभी भी उन्नति नहीं कर सकती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो नान-फार्मल एजूकेशन है, यह किसी भी सूरत में सफलीभूत नहीं हो सकती। यह विद्यार्थियों को बहुत ही अयोग्य बनाती है और उनका स्तर गिराती है। इसलिए नान-फार्मल एजूकेशन को किसी भी सूरत में कायम नहीं रहना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए।

एडल्ट एजूकेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इसका कार्यान्वियन किया जा रहा है, वह ठीक ढंग के नहीं किया जा रहा है।

इसके कारण करोड़ों रुपये इस पर खर्च होने के उपरांत भी उसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। अगर आप एडल्ट एजूकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इसको क्रियान्वित करने के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस नयी शिक्षा नीति का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो मुझे थोड़ा-सा समय दिया उसके अन्दर मैंने अपने जो विचार रखे उन पर आप ध्यान देंगे। धन्यवाद !

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करता हूं।

ऐसे अवसर पर जबकि इसे समवर्ती सूची में शामिल किया जा रहा है, इसका विरोध करने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे केन्द्र सरकार के संवैधानिक दायित्व पर ध्यान दें और उस पर विचार करें। ऐसी स्थिति में जब कि हमें असामाजिक तत्वों, अलगाववादी और सांप्रदायिक तत्वों की चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस नीति का उद्देश्य भयावह बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। प्राथमिक स्कूल के समय से ही बच्चों को पर्यावरण, जल, वायु, पृथ्वी, आदि के प्रदूषण के बारे में बताना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार और प्रचार का क्षेत्र बढ़ेगा। मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े इलाकों में जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाये जिससे कि बीच ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आये। इससे शिक्षा सार्वभौमिक बन सकेगी।

महिला शिक्षा का विस्तार करना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाये। इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य आगे बढ़ रहा है, केन्द्र सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिए।

व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ जमा (2) स्तर की उच्च शिक्षा (3) तक की शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो जमा 3 शिक्षा देंगे।

मेरा सुझाव है कि नवोदय स्कूलों में त्रि भाषा सूत्र को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाप्त की जाये। पांडिचेरी के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र में लागू की गई शिक्षा प्रणाली को सब जगह लागू किया जाये। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा वहां प्रचलित प्रणाली के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता।

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 8 माह की सार्वजनिक चर्चा के बाद ही इतने थोड़े समय में इस प्रणाली को क्यों लागू किया जा रहा है। इससे पता चलता है

[श्री चिन्तामणि जेना]

कि सभी प्रगतिशील उपायों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के प्रति सरकार कितनी उत्सुक है। इससे सरकार की इसे कार्यान्वित करने की राजनैतिक इच्छा और दृढ़ निश्चय का पता चलता है।

सैकेंडरी स्कूल की शिक्षा से कालेज स्तर तक की शिक्षा में शारीरिक शिक्षा और एन०सी० सी० अनिवार्य होनी चाहिए। अनौपचारिक स्कूलों और प्रौढ़ शिक्षा के निदेशकों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाये।

यह शिक्षा बहुत की मंहगी है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि उसके लिए इस स्वतंत्र देश के 18 साल से 15 साल तक के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से एक साल में एक दिन का समय देना चाहिए जिससे इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके अथवा उसके बदले में वे अपना एक दिन का न्यूनतम वेतन का अंशदान करें ताकि इस नई शिक्षा नीति की अभिलाषा पूरी हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं, समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अत्यधिक संक्षेप में तथा विषय के संबंध में ही बोलूंगा। ···(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कृपा करके तीन मिनट में समाप्त करने की चेष्टा कीजिए।

सैयद शाहबुद्दीन : मैं ऐसा ही करने की चेष्टा करूंगा।

महोदया, आज जो बड़े-बड़े शिक्षा संस्थान हैं, उनकी ओर फिर से ध्यान देने का अनुरोध मैं माननीय मंत्री महोदय से करता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज की राष्ट्रीय चेतना में कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में एकरूपता लाने की बात बनी हुई है। उसके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि किस तारीख तक, यदि हम जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 2000 ईस्वी तक, देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुलभ होनी चाहिए और उस समय तक देश के सभी जीवित प्राणी साक्षर होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय संसाधनों का पुन: नियतन होना चाहिए। इसलिए, केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बजट का दसवां भाग और राजकीय स्तर पर 30 प्रतिशत बजट का प्रावधान शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

दस्तावेज में शिक्षा के तुलनात्मक गुण की बात कही गई है। यह बात केवल दिखावा भी हो सकती है। तुलनात्मक का अर्थ एकरूपता या बराबर नहीं हो सकता है। अत: मैं माननीय

मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपनी जनता को यह वचन दें कि हमारे देश के हर बच्चे को बराबर की और एक समान शिक्षा मिले।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और इन वर्गों को उनकी भाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अर्थात् अल्पसंख्यक भाषा समेत जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हो। त्रिभाषी फार्मूला के कार्यान्वयन में बहुत विरूपण आया है। पहली भाषा मातृ भाषा होनी चाहिए, उन लोगों के लिए दूसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी जिनकी मातृ भाषा क्षेत्रीय भाषा से अलग है और शेष बच्चों के लिए यह कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, और तीसरी भाषा या तो अंग्रेजी होगी, अथवा राष्ट्रीय भाषा अथवा कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी। किन्तु इसे पुनः बल पूर्वक कहा जाए और स्पष्टता से कहा जाए। मैं देखता हूं कि अल्पसंख्यक से संबंधित—पैरा 4.7—अत्यन्त अपर्याप्त है और मैं चाहूंगा कि इसे अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, और मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा संस्थान, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है। वह शिक्षा में पीछे हैं और उनको ऊपर उठाने का एकमात्र मानक यह है कि जनसंख्या की एक विशेष संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किया जाए, कि एक प्राथमिक स्कूल अथवा एक माध्यमिक स्कूल अथवा एक कालिज होना चाहिए जो किसी वर्जन के बिना हमारे देश के सभी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं।

हमें स्कूल संस्कृति की ओर भी ध्यान देना है, ताकि यह हमारे देश की संयुक्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, और सच्चाई से हमारी राष्ट्रीय विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करे जो उन सभी धर्मों, उन सभी भाषाओं तथा संस्कृतियों का योगदान हैं जो समय-समय पर भारत में आई हैं। इस सम्बन्ध में विशेषकर इतिहास तथा सभी भाषाओं के साहित्य की और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों के कर्तव्य पर बल देना चाहूंगा। इन तीन विषयों की पाठ्यपुस्तकों की यह देखने के लिए ध्यानपूर्वक छानबीन होनी चाहिए कि क्या इनमें वह सामग्री है जिससे सचमुच भारतीय व्यक्तित्व का विकास हो, सच्चे धर्म निरपेक्ष व्यक्तित्व तथा भारतीय चिन्तन का उद्भव हो।

बहुत स्थानों पर पत्र में अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में लिखा है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, किन्तु यह अल्पकालीन उपाय के रूप में होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा के एवज में नहीं। अन्यथा हम इस देश को फिर दो भागों में बांटेंगे। मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि गरीब परिवारों को बच्चों की कमाई के स्थान पर राहत दी जानी चाहिए जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम हो जाए।

महोदया, अन्त में मैं माननीय मंत्री से जोर देकर इस बात का अनुरोध करूंगा कि समस्या का जम कर साहस से सामना करिये। चलिए खतरा मोल लेते हैं। इस देश को दो राष्ट्रों में नहीं

[सैयद शाहबुद्दीन]

बांटा जाएगा; इस देश को दो संस्कृतियों में नहीं बांटा जाएगा। हमें पब्लिक स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए और नवोदय स्कूल जिन्हें आप खोलने का विचार कर रहे हैं; उनमें समाज के सभी वर्गों को प्रवेश के लिए बराबर अधिकार होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए। केवल इस प्रकार हम विशिष्टिवाद की विपत्ति का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे समाज में हमारे सामाजिक रूप को नष्ट कर रही है और समाज में, और जनता के विभिन्न वर्गों में असमानता लाती हैं। यदि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे दिमाग संस्कृति, मानवीय विरासत प्राप्त कर सकें, तब तो हमें इस विशिष्टिवाद से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए जो नवोदया स्कूल प्रणाली की वर्तमान विचारधारा में अन्तर्निहित है। मंत्री जी, यदि आप प्रत्येक जिले में केवल एक ही स्कूल रखना चाहते हैं तो वहां कौन जायेगा ? मैं यही जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 38 साल की आजादी के बाद पहली बार शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस नयी शिक्षा नीति से अधिक लाभ होगा और उसका श्रेय हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री नरसिंह राव जी को मिलेगा। आदिवासियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा और खासकर अपने डिस्ट्रीक्ट झाबुआ के संबंध में। वहां पर सात लाख 98 हजार की आबादी है और 91 परसेंट ग्रामीण जनसंख्या है और आदिवासी तथा हरिजन 87 परसेंट हैं। टोटल एजूकेशन दस प्रतिशत है और 38 साल के बाद सिर्फ तीन प्रतिशत एजूकेटेड हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल एजूकेशन प्लान नहीं बनायेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। कई आदिवासी जिलों के आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। अभी भी जो हमारी मेन लाइन है, उससे वे लोग कटे हुए हैं। आपको अगर इनको पढ़ाना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक आश्रम खोलना पड़ेगा। वहीं पर वे लोग रहें और वहीं पर पढ़ाई-लिखाई हो। उनके माता-पिता को इन्सेन्टिव देना पड़ेगा क्योंकि जो गरीब आदमी हैं, वे मजदूरी करने चले जाते हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उनको मदद करने की बात की जायेगी तो तभी वे लोग आयेंगे। आजादी के बाद से 90 प्रतिशत लोग अंग्रेजी से कटे हुए हैं और लोग ऐसे तैयार किए गए जो राज करें और उसका प्रिविलेज उठाएं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के अन्दर चाहे पब्लिक या प्राईवेट स्कूल हों, वे ऐसे लोग तैयार करते हैं जो राज करते हैं और सारी की सारी मैन पावर का शोषण करते हैं। अगर आपको देश को एक विचारधारा में बांधना है तो शिक्षा को नेशनल सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा और इस एजूकेशन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। इस शिक्षा से भाषावाद और प्रदेशवाद बढ़ा है, कई ऐसी चीजें बढ़ी हैं। वह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह

कहना चाहूंगा कि एजूकेशन का इस तरह का सिस्टम है जिससे गरीब, गरीब रहे और अमीर, अमीर बनता जाए। आपको इस सिस्टम को खत्म करना होगा। जो दैनिक आवश्यकता है उसके अनुरूप हमें शिक्षा तैयार करनी होगी। एकता में अनेकता की बात करनी होगी। हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, यह भावना जागृत करनी होगी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती गांधी ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि हमारी जितनी योजनाएं है, उनकी जानकारी गांवों तक नहीं पहुंच सकी। इसका मूल कारण शिक्षा का ढांचा था। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होती है तो हमारा भारत भी मजबूत हो सकता है। अगर हमारी शिक्षा नीति कमजोर होती है तो आगे चलकर हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, मंत्री जी जो नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव लाये हैं उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें और चेंज करना है, इसके साथ मैं शिक्षा नीति का समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री एम०एल० झिकराम (मंडला) : सभापति महोदया, शिक्षा नीति पर अभी माननीय सदस्यों ने काफी वृहत्त रूप से चर्चा की है और यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर कोई चर्चा हो तो कभी खत्म न हो। मैं सुझाव के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में राष्ट्र और मानव का विकास शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसकी धुरी शिक्षक है। जैसा शिक्षक होगा वैसी ही शिक्षा का प्रसार होगा। यह बड़े दु:ख की चीज है कि हम एक मकान बनाते हैं उसके लिए हम कुशल कारीगर ढूंढ़ते हैं, फारेस्ट का काम तय करते हैं तो फारेस्ट्री में ट्रेंड आदमी को लेते हैं, पटवारी को लेते हैं तो यह देखते हैं कि वह पटवारिगिरी में ट्रेंड हो तब उसको सेवा में लेते हैं। बड़े दु.ख और आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े राष्ट्र के निर्माण के लिए हम जो कारीगर तैयार करते हैं वह अनट्रेंड है उसको कोई ट्रैनिंग नहीं दी जाती है और न इसकी तरफ ध्यान दिया गया है। हो सकता है इससे पहले ट्रेनिंग दी जाती हो। वर्तमान में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। शासन ने, जनता ने यह कर दिया है। अब शिक्षक कहां से आये, इंटरव्यू काल किया उसमें ऐसे-ऐसे आदमी आते हैं जिनको विषय का ज्ञान नहीं होता है और वह शिक्षक बनते हैं। ऐसे महान गुरू के पद पर आसीन होते हैं जिसकी गरिमा के विषय में संत कबीर ने कहा है—

गुरू गोविन्द दोनों खड़े का के लागूं पायें

बलिहारी है गुरू की जिसने गुरू गोविन्द दिया बताये।

ऐसे महत्वपूर्ण पद पर मामूली लोग आकर शिक्षा देते हैं हमारे उन छोटे-मोटे, नन्हे-मुन्नों को जो आगे चलकर राष्ट्र को बनाने वाले हैं, जो नेता बनने वाले हैं, वैज्ञानिक बनने वाले हैं, उनके गुरू बनते हैं। कहां तक और कैसे इस राष्ट्र का उद्धार होगा। जिनको अपने पद का ही ज्ञान नहीं है। शासन कैसी भी नीति बनायें, कितनी अच्छी नीति बनायें, तथा सभी उपयुक्त

[श्री एम०एल० शिकराम]

सामग्री से शाला को सजा दीजिए यदि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान नहीं है, वह ट्रेंड नहीं है तो क्या पढ़ायेगा ।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्राथमिक शालाओं के लिए जब शिक्षकों का चयन किया जाए तो उनकी लिखित परीक्षा ली जाये कि वह हर विषय का ज्ञाता है या नहीं, परीक्षा होने के बाद उसको ट्रेनिंग अवश्य दी जाये । जिससे उसको बाल मनोज्ञान का होना जरूरी है । कितने ऐसे लोग हैं जिनको बालकों के मनोज्ञान का ज्ञान होगा, जिनको इस शिक्षा पद्धति का ज्ञान होगा, वह कुछ नहीं जानते और शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं । उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि शिक्षा में जो गिरावट आई है इसमें केवल कारण यही है कि वह इसके योग्य नहीं हैं । एक ही बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शिक्षकों का चयन हो उसमें आप गम्भीरता के साथ, कठोरता के साथ और कड़ाई के लिए ऐसे शिक्षक इस देश में लायें, पैदा करें जो कार्य करने वाले हों, जो योग्य हों, ट्रेंड हों, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

जैसे कितनी अच्छी गाड़ी हो, जब तक उसका ड्राइवर ट्रेंड नहीं होगा वह चला नहीं पायेगा और एक्सीडेंट कर देगा । हमारे शिक्षक भी ऐसे हैं, वह ट्रेंड नहीं हैं । इसलिए मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, उनके चयन के लिए बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा जो प्राइवेट शालायें हैं, उनमें फीस ज्यादा लेते हैं । उसको कम किया जाये । साथ में जो प्राइवेट संस्थान हैं उनके शिक्षकों के लिए पेन्शन, ग्रेचुएटी का प्रावधान होना चाहिए । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदया, मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने की कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं श्री शाहबुद्दीन से अनेक मुद्दों पर सहमत हूं । सर्वव्यापी करना तथा अनेक मुद्दों पर मैं उनसे सहमत हूं ।

इस दस्तावेज में कई बातों पर बल दिया गया है । कोठारी के समय में जब वह सिफारिशों को तैयार कर रहे थे उन लोगों की अत्यावश्यकता थी जो सिफारिशें कर सकें । कोठारी के बाद के समय में बहुत से दस्तावेज आए और मुझे पूरा विश्वास हुआ कि पूरी की पूरी शब्दावली की नकल उतार दी गई है, और इन अभिकथनों के साथ आवश्यक प्रेरणा नहीं है । किंतु मैं मंत्री का कल्याण चाहता हूं । उन्होंने···आयोजन···(व्यवधान) आप चाहते हैं कि मैं हिन्दी में बोलूं ।

[हिन्दी]

अब जब आप अड़ ही गए हैं तो मैं हिन्दुस्तानी में बोलूंगा ।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : नहीं हिन्दुस्तानी कोई जुबान नहीं है । आप उर्दू में बोलिए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए ।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मोहतरिमा, अर्ज यह है कि मुझे बहुत ख्वाहिश है कि हिन्दुस्तान में शिक्षा का पूरा निजाम बदले और यही बात नरसिंह राव जी भी कहते हैं । राजीव गांधी जी की जो ख्वाहिश है, उसका मुझे बड़ा अहतराम है, लेकिन जब मैंने इस डाक्यूमैंट को अव्वल से आखिर तक देखा तो इसमें एक दावा है लेकिन दलील नहीं है । मेरे पास वक्त नहीं है और जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं सिर्फ कुछ सवाल करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं मुझे अपनी तरफ से बड़ी नेक-तमन्नायें नरसिंह राव जी को पेश करनी हैं क्योंकि उनको हिन्दुस्तान में शिक्षा का इंतजाम करना है । हमारी सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि यहां तालीम की कोई अहमियत नहीं है । आप खुद देख लीजिए, इस हाउस में कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, और अगर मैं कोरम का सवाल करूंगा तो आप दुखी हो जाएंगे क्यों कि मैंने इससे पहले भी एक बार पार्लियामैंट को एडजौर्न कराया था, अब भी मेरे कोरम के सवाल उठाने पर सैन्ट्रल हाल में बैठे लोग उठकर यहां आ जाएंगे और कोरम हो जाएगा । लेकिन यहां 550 में से 50 माननीय सदस्य भी मौजूद नहीं हैं जब कि यहां हिन्दुस्तान की तकदीर का फैसला हो रहा है । अभी सुनील दत्त जी ने हम पर बड़ी मेहरबानी की और अपना पूरा जोर लगाकर, इनकी आवाज बड़ी मुयस्सर है और इन्होंने पूरा जोर लगा कर तालीम के लिए एक घण्टा दिलवाया, लेकिन सवाल यह है कि जब मैं कुछ समय पहले अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में गया था तो मैंने देखा कि वहां चाइल्ड एजूकेशन की तरफ पूरी तवज्जह दी जाती है । जब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो पैदा ही नहीं होता लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी परवरिश और उसकी तालीम का पूरा इंतजाम वे लोग पहले से ही कर देते हैं । हिन्दुस्तान में वह चीज नहीं है और यहां चाइल्ड एजूकेशन की तरफ उतनी तवज्जह नहीं दी जाती ।

वैसे तो हमने बहुत कुछ कहा है कि हम इसको रोशन-ख्याल बनायेंगे, हिन्दुस्तान का शहरी बनायेंगे लेकिन असलतन एक जगह भी तालीम नहीं है । वीमैन एजूकेशन की बात भी इसमें कही गई है लेकिन कोई कन्क्रीट प्रोपोजल नहीं है । आपने एडल्ट एजूकेशन के लिए भी ब्रौड एजूकेशन

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

प्रोग्राम बनाया है लेकिन वह भी सब गोरख-धंधा है। यदि आप वीमैन में लिटरेसी का प्रोग्राम करते और फंक्शनल लिटरेसी की बात करते तो मैं उसका समर्थन करता। इसी तरह से आपने 90 परसेंट हैबिटेशन्स की बात कही है और आपने हर किलोमीटर पर स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की कि उसमें फैसिलिटीज भी हैं या नहीं। हमारे 97 फीसदी बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन उनमें तालीम की हालत क्या है, कहीं पर ब्लैक बोर्ड नहीं, कहीं पर टाट-पट्टी नहीं और जैसा यहां पर जंगा रेड्डी साहब कह रहे थे, बहुत से स्कूलों की बिल्डिंग ही नहीं हैं, और सैयद शहाबुद्दीन साहब ने एक तजवीज पेश की है कि पब्लिक स्कूलों को एबोलिश कर दिया जाए लेकिन तो इसी विषय पर एक बिल पार्लियामैंट में पड़ा हुआ है। वह "बी" कैटेगरी में गया, और जहां तक बी०ए०सी० का ताल्लुक है।

(اب جب آپ اٹھ ہی گئے ہیں تو میں ہندوستانی میں بولوں گا۔

شری سلطان صلاح الدین اویسی: (حیدرآباد) نہیں ہندوستانی کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ اردو میں بولئے۔

Mr. Chairman (Shri Basavarajeswari) No interference please.

پروفیسر سیف الدین سوز: محترمہ عرض یہ ہے کہ مجھے بہت خواہش ہے کہ ہندوستان میں شکشا کا پورا نظام بدلے اور یہی بات نرسمہا راؤ جی بھی کہتے ہیں۔ راجیو گاندھی جی کی جو خواہش ہے اس کا مجھے بڑا احترام ہے لیکن جب میں نے اس ڈاکیومینٹ کو۔ اوّل سے آخر تک دیکھا تو اس میں ایک دعوا ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں صرف کچھ سوال کرنے کے لئے ہی کھڑا ہوا ہوں لیکن مجھے اپنی طرف سے بڑی نیک تمنائیں نرسمہا راؤ جی کو پیش کرنی ہیں کیونکہ ان کو ہندوستان میں شکشا کا انتظام کرنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے اس ہاؤس میں کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں اور اگر میں کورم کا سوال کروں گا تو آپ دکھی ہو جائیں گے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار پارلیمنٹ کو ایڈجورن کرایا تھا اب بھی میرے کورم کے سوال اٹھانے پر سینٹرل ہال میں بیٹھے لوگ یہاں اٹھ کر آ جائیں گے اور کورم ہو جائے گا لیکن یہاں ۵۵۰ میں سے ۵۰ مانئے سدسیہ بھی موجود نہیں ہیں جبکہ یہاں ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ابھی سنیل دت جی نے ہم پر بڑی مہربانی کی اور اپنا پورا زور لگا کر ان کی آواز بڑی مؤثر ہے اور انہوں نے پورا زور لگا کر تعلیم کے لئے ایک گھنٹہ دلوایا لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں کچھ سال پہلے امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ چائلڈ ایجوکیشن کی طرف پوری توجہ دی جاتی ہے۔ جب انہیں بچہ نہیں چاہئے تو پیدا ہی نہیں ہوتا لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اور اس کی تعلیم کا پورا انتظام وہ لوگ پہلے سے ہی کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں وہ

چیز نہیں ہے اور یہاں چائلڈ ایجوکیشن کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔

ویسے تو ہم نے بہت کچھ کہا ہے کہ ہم اس کو روشن خیال بنائیں گے ہندوستان کا شہری بنائیں گے لیکن اصلتاً ایک جگہ بھی تعلیم نہیں ہے۔ دیمین ایجوکیشن کی بات بھی اس میں کہی گئی ہے لیکن کوئی کنسری پروپوزل نہیں ہے۔ آپ نے ایڈلٹ ایجوکیشن کے لئے بھی براڈ ایجوکیشن پروگرام بنایا ہے لیکن وہ بھی سب گورکھ دھندا ہے۔ یدی آپ دیمین میں لٹریسی کا پروگرام کرنے اور فنکشنل لٹریسی کی بات کرتے تو میں اس کا سمرتھن کرتا۔ اسی طرح سے آپ نے ۶۰ پرسینٹ ہیبیٹیشنس کی بات کہی ہے اور آپ نے ہر کلومیٹر پر اسکول کھول دئے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں فیسلیٹیز بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے ۹۷ فیصدی بچے اسکولوں میں جاتے ہیں لیکن ان میں تعلیم کی حالت کیا ہے کہیں بلیک بورڈ نہیں کہیں پر ٹاٹ پٹی نہیں اور جیسا یہاں پر چنگاریڈی صاحب کہہ رہے تھے بہت سے اسکولوں کی بلڈنگ ہی نہیں ہیں اور سید شہاب الدین صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ پبلک اسکولوں کو ایبولش کر دیا جائے لیکن اس وشے پر ایک بل پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ "بی" کٹیگری میں گیا اور جہاں تک بی ایس سی کا تعلق ہے)

[अनुवाद]

यह संसद की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष नहीं गया। अत: मेरा यह प्रस्ताव है कि आप भारत में पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दीजिए। क्योंकि आप शिक्षा के लोकतन्त्रीकरण की बात करते हैं, हम पब्लिक स्कूलों को समाप्त कराना चाहते हैं।

साथ ही आप शिक्षा में लोकतंत्र की बात करते हैं। चूंकि मैंने कहा कि इस संबंध में बोलने का मेरा कोई विचार नहीं था पर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और माननीय श्री नरसिंह राव को इसका उत्तर देना चाहिए। शिक्षा में मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। मेरा प्रश्न यह है। मंत्रालय केवल एक चीज में सफल रहा है। वह, यह कि कुछ संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। आपने कहा कि वाद-विवाद अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। मैं आपसे असहमत हूँ। यह वाद-विवाद नहीं था। वाद-विवाद का प्रश्न कहां है? आपने एक सफल संगोष्ठि का आयोजन किया। मुझे याद नहीं। मैं बहुत-सी संगोष्ठियों में उपस्थित था। ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए हमें मंत्री को बधाई देनी चाहिए। मेरा प्रश्न है : क्या मंत्री उस समय जबकि वह बोलेंगे क्योंकि मैं केवल इसलिए आया हूं कि मंत्री का उत्तर सुनना है, और कल और आज भी यही मेरा लक्ष्य रहा है। कृपया मुझे तथा अन्य लोगों को बताइए कि इन संगोष्ठियों की सिफारिशें क्या हैं जिनका आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसे आपने इस दस्तावेज में समाविष्ट किया है। अपने तौर पर मुझे लगता है कि किसी बड़ी सिफारिश की छाया भी नहीं है, विस्तृत सिफारिशों की तो बात ही नहीं। केवल एक आशा जो है वह यह है—माननीय मंत्री कृपा करके सुनें—केवल एक आशा है और जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। केवल एक आशा है और वह आशा यह है। वह देश के विशेषज्ञों की सलाह सुनने की ओर ध्यान दें। मुझे तो विश्वास है कि इन संगोष्ठियों में की गई किसी मुख्य सिफारिश को इस दस्तावेज में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।

*श्री जी०एस० बसवराजू (टुमकुर) : सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति पर हमने 10 घण्टे से भी अधिक चर्चा की है। इसका समर्थन करते हुए मुझे खुशी है। स्वतंत्रता के 38 सालों के बाद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में ठीक से प्रगति नहीं कर पाए हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कुछ वर्गों खासकर गरीब और दलित वर्गों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और माननीय शिक्षा मंत्री इस नई शिक्षा नीति को लाये हैं। इस प्रलेख के लक्ष्य प्रशंसनीय हैं इसलिए मैं इसकी सराहना और समर्थन करता हूं।

शिक्षा प्रणाली द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक जोर देने के लिए यही उपयुक्त समय है। अगर इसके लिए कुछ हद तक इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों की उपेक्षा

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी०एस० बसवराजू]

करनी पड़ी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, भक्ति भण्डारी बसवन्ना शंकराचार्य आदि जैसे महान दार्शनिकों और संतों तथा उनके जीवन वृत्त को नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में छात्रों को बताया जाना चाहिए कि इन महान लोगों ने राष्ट्र और विश्व के प्रति क्या योगदान दिया था।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आरम्भिक शिक्षा की अवधि पांच साल है। इसमें से लगभग आधा समय देश की सांस्कृतिक विरासत एकता और अखंडता के विषय में शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा की कुल अवधि 5+3+2 अर्थात् 10 साल है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को हाई स्कूल के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हाई स्कूल में शिक्षा की अवधि तीन साल होनी चाहिए ताकि गरीब छात्रों को दूर दराज के गांवों में जाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

देश में लगभग 70% लोग गांवों में रहते हैं जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए किसानों के बच्चों को उपयुक्त और उपयोगी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि कृषि उपकरणों की मरम्मत कैसे की जाती है। प्राइमरी स्कूल में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। सभी शिक्षा संस्थानों में किसानों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि किसान के बेटे को वही शिक्षा सुविधाएं नहीं मिलती जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के बच्चे को मिलती हैं। इसलिए ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि प्राथमिक स्कूलों में केवल महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में पुरुष शिक्षक न्याय नहीं कर सकते। जबकि महिला शिक्षिका में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अपेक्षित सामर्थ्य और इच्छा होती है। उनमें बच्चों के लिए प्यार होता है और इसके अलावा इनमें अधिक लग्न और निष्ठा होती है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उपयुक्त उम्मीदवार की शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाए। मेधावी और कुशल व्यक्तियों को इस गौरवपूर्ण कार्य के लिए चुना जाना चाहिए। आजकल रवैया यह है कि जो लोग हर जगह रद्द कर दिए जाते हैं वे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यह वांछित रवैया नहीं है क्योंकि देश का भविष्य कक्षा के कमरों के वातावरण पर निर्भर करता है। शिक्षकों का चयन करते समय जाति को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

आज बहुत से छात्र यह नहीं जानते कि महात्मा गांधी कौन हैं। कुछ तो कहेंगे कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी महात्मा गांधी की बेटी थीं। वे सुभाष चन्द्र बोस और हमारी आजादी की

लड़ाई के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ संस्थानों में क्षेत्रीयता, जातिवाद और कट्टर धार्मिकता की भावना उभर आई है। इसलिए अच्छे अध्यापकों का चयन किया जाना चाहिए। उनके शिक्षण-स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री के कन्धों पर यह जिम्मेदारी है। आशा है कि वह देश को एक नई तथा प्रगतिशील शिक्षा-पद्धति देने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे।

मन्त्रोदय आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदया, एजूकेशन की नई पालिसी का डाक्यूमैंट जिस मेहनत के साथ मंत्री महोदय, मंत्री महोदया और प्राइम मिनिस्टर के आशीर्वाद से बना है, मैं समझता हूं कि इससे दूरदराज बैकवर्ड एरियाज के लिए बहुत कुछ फायदा है। हम जो समझते थे कि हमारे मसले किस ढंग से सौल्व करने चाहिएं, वह इसमें मौजूद हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मुबारिकवाद पेश करता हूं।

जहां तक कहा गया है कि जो स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में हैं 90 परसेंट पौपूलेशन के लिए, सही बात यह है कि जो मैदानी एरियाज हैं, वह उसमें हैं। जो बैकवर्ड दूरदराज के इलाके हैं, या पहाड़ी इलाके हैं, उसमें यह फासले कहीं ज्यादा हैं। क्योंकि यह नेशनल एवरेज की तरफ इशारा है, लेकिन हमारा मसला उसका नहीं है बल्कि हम उस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि जो 12 या 20 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वहां पर हमारे पास स्कूल हैं लेकिन ऐसे जो गांव हेमलेट में पहुंच गए हैं, उनमें एक घर, दो घर या 3 फैमिली वाले गांव हैं, उसमें मुमकिन नहीं है कि सरकार वहां स्कूल खोले।

आपने जो प्रोग्राम नवोदय विद्यालय का दिया है, उसमें सिलैकटेड चिल्डरन होंगे जो दूसरे अच्छे स्कूल के बच्चे होंगे उनको मौका मिलेगा लेकिन ऐसे डिस्ट्रिकट हैड-क्वार्टर्स हैं, ऐसे डिफिकल्ट एरियाज हैं जहां एक-एक, दो-दो फैमिली रिमोट एरिया में मिलती हैं जिनका 50, 50, 60, 70 और 100 किलोमीटर तक का डिस्टैंस है, और जहां कोई स्कूल नहीं है ऐसे बच्चों के लिए सरकार को चाहिए कि उनकी पूरी तालीम का खर्चा बर्दाश्त करे। उनके पास खाने-पीने के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल से निकलती है। उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पैसे में कन्वर्ट करके बच्चों को तालीम दे पायें।

ऐसे बच्चों के लिए डिस्ट्रिकट हैड-क्वार्टर में रैजिडैंशियल स्कूल होने चाहिएं जिसमें उनको तालीम दी जाये, कम-से-कम 14 साल की उम्र के लिए जो इस पालिसी के डाक्यूमैंट में कहा गया है, उसमें यह होना चाहिए।

इस वक्त जो अच्छा डाक्यूमैंट आपने मेहनत के साथ बनाया है, उस पर बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट हमें डिस्कशन के लिए दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह इस डाक्यूमैंट के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, इसके साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं।

[श्री पी० नामग्याल]

मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो नवोदय विद्यालय हैं, जो पालिसी आप बनाने जा रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने भी कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्ज हैं, उनको नेशनलाइज कर के आपको नवोदय में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि यह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, इसमें सिर्फ पैसे वाले और अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। गरीबों के बच्चों को इनमें स्थान नहीं मिल पाता है। अत: मेरी तजवीज है कि आप इनको नेशनलाइज कर दें। हरेक को तालीम हांसिल करने के लिए बराबरी का हक मिलना चाहिए।

यह जो डाकुमेंट पेश हुआ है, इसको ठीक ढंग से भी इम्पलीमेंट कराना आवश्यक है। आप इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दें और समय-समय पर देखते रहें कि उसको ठीक ढंग से इम्पलीमेंट कर रही है या नहीं।

दूर-दराज के इलाकों में जो स्कूल हैं, उसके लिए आपने अपने डाकुमेंट में कहा है कि वहां पर सिंगल टीचर की बजाय डबल टीचर होगा। हमारी इस सम्बन्ध में काफी समय से मांग थी। इसके साथ ही साथ इनका एक कैडर भी बनना चाहिए। जो ऐसे एरियाज में टीचर्स जायें, उन्हें आप अच्छा ग्रेड दें ताकि वह फ्रस्ट्रेशन में न रहें। आजकल होता यह है कि टीचर खाना-पूर्ति के लिए स्कूल में बैठ जाता है और बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाता नहीं है। इसके साथ ही उनका फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए इनका पे-स्केल बढ़ा दीजिए एफिशेंसी-बार और क्वालिफिकेशन-बार लगा दीजिए ताकि दूर-दराज इलाकों में अच्छे टीचर्स मिल सकें और उन इलाकों के बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके।

टी०वी० के जरिये शिक्षा देने का जो जिक्र किया गया है वह भी स्वागत योग्य है। रिमोट एरियाज में टी०वी० हर जगह लग पाना मुमकिन नहीं है। जो स्पेशल सेटे-लाइट एंटीना हैं, वैसे हर गांव में एक सेट दीजिए और सोलर एनर्जी से चलने वाला जो सेट होता है, उसको भी सीधा दिल्ली के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही ट्राइबल एरिया वाले यह समझ पायेंगे कि भारत इतना बड़ा देश है। जब उनसे यह कहा जाता है कि दुनिया गोल है तो वह इस पर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वे समझते हैं कि दुनिया चपटी है।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो डाकुमेंट पेश हुआ है, इसको ठीक ढंग से इम्पलीमेंट कराना आवश्यक है। यह एक बहुत अच्छा डाकुमेंट है, जिसके लिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और ह्यूमन रिसोर्सिज मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं।

شری بی نام لیال (لداخ) ایجوکیشن کی نئی پالیسی کا ڈاکیومینٹ جس محنت سے سالہ منتری مہودے سری ہونہ اور پرائم منسٹر کے آشیرواد سے بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دور دراز بیک ورڈ ایریاز کے لئے بہت کچھ فائدہ ہے۔ ہم جو سمجھتے تھے کہ ہمارے مسئلے کس ڈھنگ سے سولو کرنے چاہئیں وہ اس میں موجود ہیں میں اس کے لئے دھنیہ واد دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

جہاں تک کہا گیا ہے کہ جو اسکول ایک کلومیٹر کے دائرے میں ہیں۔ ۹۰ پرسینٹ پاپولیشن کیلئے صحیح بات یہ ہے کہ جو میدانی ایریاز ہیں وہ اس میں ہیں جو بیک ورڈ دور دراز کے علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں اس میں یہ فاصلے کہیں زیادہ ہیں۔ کیونکہ ریذیڈنشل ایپروچ کی طرف اشارہ ہے لیکن ہمارا مسئلہ اس کا نہیں ہے بلکہ ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو ۱۲ یا ۱۰ بچے اسکول جانے والے ہیں وہاں پر ہمارے پاس اسکول ہیں لیکن ایسے جو گاؤں ہیملیٹ میں پہنچ گئے ہیں ان میں ایک گھر دو گھر یا تین فیملی والی گاؤں میں اس میں ممکن نہیں ہے کہ سرکار وہاں اسکول کھولے۔

آپ نے جو پروگرام نوودئیے ودھالے کا دیا ہے اس میں سلیکٹڈ چلڈرن ہوں گے جو دوسرے اچھا اسکول کے بچے ہوں گے ان کو موقع ملے گا لیکن ایسے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرس ہیں ایسے ڈفیکلٹ ایریاز ہیں جہاں ایک ایک دو دو فیملی ریموٹ ایریا میں ملتی ہیں جن کا ۵۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ اور ۱۰۰ کلومیٹر تک کا ڈسٹینس ہے اور جہاں کوئی اسکول نہیں ہے ایسے بچوں کیلئے سرکار کو چاہئے کہ ان کی پوری تعلیم کا خرچ برداشت کرے۔ ان کے پاس کھانے پینے کیلئے دو وقت کی روٹی مشکل سے نکلتی ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پیسے میں کنورٹ کرکے بچوں کو تعلیم دے پائیں گے۔

ایسے بچوں کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرس میں ریزیڈینشل اسکول ہونے چاہئیں جس میں ان کو تعلیم دی جائے کم سے کم چودہ سال کی عمر کے لئے اس پالیسی کے ڈاکومینٹ میں کہا گیا ہے اس میں یہ ہونا چاہیئے۔

اس میں جو اچھا ڈاکیومینٹ آپ نے محنت کے ساتھ بنایا ہے اس پر بولنے کے لئے صرف تین منٹ ہمیں ڈسکشن کیلئے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ڈاکیومینٹ کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔

میں صرف اتنا چاہوں گا کہ یہ جو نوودئے ودھالے ہے جو پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں جن نے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ جو پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز ہیں ان کو نیشنلائز کر کے آپ کو نوودئے ودیالیوں میں کنورٹ کرنا چاہیئے

کیونکہ یہ جو پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن ہیں اس میں صرف پیسے والے اور امیروں کے بچے ہی پڑھ سکتے ہیں، غریبوں کے بچوں کو ان میں استھان نہیں مل پاتا ہے۔ میری تجویز ہے کہ آپ ان کو نیشنلائز کر دیں۔ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے برابری کا حق ملنا چاہیئے۔

یہ جو ڈاکیومینٹ پیش ہوا ہے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے بھی امپلیمینٹ کرنا آوشیک ہے۔ آپ اس کیلئے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہدایت دیں اور سمے سمے پر دیکھتے رہیں کہ وہ اس کو ٹھیک ڈھنگ سے امپلی منٹ کر رہی ہے یا نہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں جو اسکول ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے ڈاکیومینٹ میں کہا ہے کہ وہاں پر سنگل ٹیچر کی بجائے ڈبل ٹیچر ہوگا۔ ہماری اس سمبندھ میں کافی سمے سے مانگ تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک کیڈر بھی بنانا چاہیئے۔ جو ایسے ایریا ز میں ٹیچرس جائیں انہیں آپ اچھی گریڈ دیں تاکہ وہ فرسٹیشن میں نہ رہیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر خانہ پوری کے لئے اسکول میں بیٹھ جاتا ہے اور بچوں کو ٹھیک ڈھنگ سے پڑھانا نہیں ہے! اس کے ساتھ ہی ان کا فرسٹیشن دور کرنے کیلئے ان کا پے سکیل بڑھا دیجئے ایفیشینسی بار اور کوالیفیکیشن بار لگا دیجئے تاکہ دور دراز علاقوں میں اچھے ٹیچرس مل سکیں اور ان علاقوں کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے۔

ٹی وی کے ذریعہ شکشا دینے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی سواگت یوگ ہے۔ ریموٹ ایریا ز میں ٹی وی ہر جگہ لگ پانا ممکن نہیں ہے۔ جو سپیشل سٹیلائیٹ اینٹینا ہیں ویسے ہر گاؤں میں ایک سیٹ دیا جائے اور سولر اینرجی سے چلنے والا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو بھی سیدھا دی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ایسی ویوستھا کرنے کے بعد ہی ٹرائبل ایریا والے یہ سمجھ پائیں گے کہ بھارت اتنا بڑا دیش ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے تو وہ اس پر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چپٹی ہے۔

انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکیومینٹ پیش ہوا ہے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے امپلیمینٹ کرنا آوشیک ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ڈاکیومینٹ ہے جس کے لئے میں اپنے پرائم منسٹر اور ہیومن ریسورسز منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں۔)

[अनुवाद]

श्री शरत देव (केन्द्र पाड़ा) : महोदया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रलेख को पढ़ने पर मुझे इस मुहावरे की याद आ गई "अगर सब कुछ इतना ही सहज होता तो कठिनाई क्या होती" क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब शुरू से लेकर अब तक एक ही दल देश पर शासन कर रहा है तो इस नीति की क्या तुक है।

ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया है कि इस नीति को लागू करने के लिए बहुत धनराशि की जरूरत है। मुझे अभी भी संदेह है, जैसा कि सतारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्यों ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि हर जगह एक परन्तुक लगाया गया है "अगर इसे कार्यान्वित किया गया तो।"

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्होंने 1968 की नीति का उल्लेख किया है जिनमें उल्लिखित है कि यथा संभव शीघ्र धनराशि को बढ़ाकर 6% किया जाएगा। लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी सरकार 6% के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में महोदय, हम उस नई शिक्षा नीति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसकी वे बात करते हैं और जिसे सरकार ने पहले भी लागू नहीं किया।

दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि राज्य में अभी तक शिक्षा को गैर-योजना स्कीम के रूप में माना जाता रहा है। वित्त मंत्रालय ने जब यह निर्देश दे रखे हैं कि गैर-योजना कार्यों पर व्यय में कमी की जाए तो जब तक इसे योजना क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता, तब तक वे इसे शामिल करने का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। वे इसे कैसे लागू करेंगे। तो वे स्वयं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। पहला तो यह कि जब यह सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि वे प्रति व्यक्ति शुल्क के खिलाफ हैं लेकिन जहां तक संसाधनों को जुटाने का संबंध है, वे कहते हैं कि संस्थान को चलाने के लिए वे चन्दे और अन्य धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से इसे इकट्ठा करेंगे। मैं इसे समझ नहीं सका। देश में पब्लिक स्कूलों के खिलाफ बोलने वालों को मालूम होना चाहिए कि वे सभी चंदा एकत्र करके धर्मार्थ संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। आप उसी को दोहरा रहे हैं। एक ओर तो आप कहते हैं कि प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर आप कहते हैं कि इन संस्थानों को चलाने के लिए आप व्यक्तियों और धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से धनराशि इकट्ठी करेंगे। मैं अपने माननीय मित्र सुनील दत्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कल बोलते हुए उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का हवाला दिया था। वे भूल गए कि गांधी जी इस मूल सिद्धांत की शिक्षा देते थे कि जो कहते हो वही करो। लेकिन कल बोलते हुए, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का काफी हवाला दिया लेकिन उन्होंने यह बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने लड़के को सेंट लारेंस स्कूल में दाखिला दिलाया था···

1.47 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिमी) : महोदय, मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए। मैंने अपनी शिक्षा की तुलना अपने बेटे की शिक्षा से की थी। मैं झूठ नहीं बोला करता पर विपक्ष में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं बताया कि उनका लड़का कहां पढ़ता है और यहां वे गरीबों के लिए स्कूलों की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं ? मैंने यह माना है कि मैं गांव का हूं। मैंने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन मैं अपने बच्चे को वहां पढ़ाने की सामर्थ्य रखता हूं। (**व्यवधान**) मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं धर्म की बात नहीं करता।

सैयद शाहबुद्दीन : मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता···**···कल उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा था। मैं यहां उपस्थित नहीं था। वह नए सदस्य हैं। वह नहीं जानते कि दूसरे सदस्यों के प्रति विनम्रता का प्रदर्शन कैसे किया जाता है (**व्यवधान**)···**···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शाहबुद्दीन जी, अगर आप चिल्लाते रहे तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना होगा।

(**व्यवधान**) **

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**) **

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

श्री सुनील दत्त : यह असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ असंसदीय होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर मुझे आपत्ति है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपना स्थान लें। इस प्रकार से एक दूसरे पर चिल्लाने का क्या फायदा है।

(**व्यवधान**)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही—वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपना स्थान लें।

श्री सुनील दत्त : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सभा में जो उन्होंने मेरे विरुद्ध जो कुछ कहा उसे इन्हें वापस लेना होगा। (**व्यवधान**) यह शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान लें। माननीय मंत्री जी बोलेंगे। वह स्थिति स्पष्ट करेंगे।

संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द असंसदीय हैं—विपक्ष संसद सदस्य ने जो कुछ कहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, कि माननीय सदस्य को अपने शब्दों को वापिस लेना चाहिए तथा इस सभा से माफी मांगनी चाहिए।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैंने आज जो कुछ कहा है उसे मैं वापिस लेने के लिए तैयार हूं बशर्ते माननीय सदस्य ने जो कुछ कल कहा था उसे भी वह वापिस लें। उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मुझ पर आक्षेप किया था। (**व्यवधान**) मैंने आज जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में रहेगा। जो कुछ मैंने कहा हैं मैं उस पर आडिग हूं और उन्होंने जिस प्रकार मुझ पर कल आक्षेप किया, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : मैंने जो कुछ कल संसद में कहा वह रिकार्ड में है। (**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उन्होंने आज कहा···**···और उन्हें ये शब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, उन्हें वह शब्द वापिस लेना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं समझता हूं कि उनकी शिकायत न्यायोचित हैं। महोदय, हम नहीं चाहते हैं इस सदन के किसी भी सदस्य का ऐसे ढंग से उल्लेख किया जाए जो असंसदीय तथा अपमानजनक हो। इस समय मैं इसे न्याय संगत नहीं ठहराना चाहता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के शब्द, जो असंसदीय है, वापिस लिए जाएंगे। इसमें वास्तव में कोई मुश्किल नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ है। कभी-कभी सदस्य उत्तेजना में टिप्पणी कर देते हैं। उदाहरण के लिए कल माननीय सदस्य सुनील दत्त ने इस सदन में बोलते समय बिना बुरी नीयत के सैयद शाहबुद्दीन के बारे में कुछ कहा। एक प्रसंग था कि उन्होंने कहा था कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं मुसलमान के रूप में रहूंगा। महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक कार्यवाही का पढ़ा है। विगत समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद और डा० जाकिर हुसेन जैसे इस देश के महान व्यक्तियों ने यहां और बाहर भी यह कहा था

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही—वृतान्त से निकाल दिया गया।

[प्रो० मधु दण्डवते]

"मुझे मुसलमान के होने का गर्व है और मैं मुसलमान के रूप में मानूंगा" वे लोग हमेशा यह विश्वास करते थे कि मुस्लिम और भारतीय होने में कोई अन्तर नहीं है और दोनों के बीच कोई विरोध नहीं है। डा० जाकिर हुसेन ने इसका हवाला कई बार दिया। युसुफ अली केन्द्र में एक समारोह में उन्होंने कहा" मुस्लिम के रूप में, मैं कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय और मुसलमान दोनों के बीच कोई विरोध नहीं पाता हूं "महात्मा गांधी ने एक बार कहा था" यदि मुझे हिन्दू धर्म में स्वर्ग नहीं मिलता तो मैं आत्म-हत्या कर लेता, "परन्तु फिर उन्होने कहा," कि मेरे हिन्दू धर्म और मेरे भारतीयता में कोई मतभेद नहीं है" बदकिस्मती से माननीय सदस्य के कथन से कुछ गलत फहमी हुई है। मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है कि आपको कल की कार्यवाही के विस्तार में जाना चाहिए और यदि सैयद शाहबुद्दीन पर कोई आरोप लगाया गया है तो जांच के बाद इसे दूर करना चाहिए और आप अपने चैम्बर में श्री सुनील दत्त को बुला सकते हैं तथा स्थिति स्पष्ट करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं श्री सैयद शाहबुद्दीन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि सब कुछ उन टिप्पणियों में से निकला है, हालांकि वह मेरे दल के सदस्य हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि किसी शब्द का प्रयोग किया गया है और वह इस सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुरूप नहीं है तो उस शब्द को वापिस लेने में कोई बुराई और हानि नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल शब्द के बारे में है। शेष मैं देखूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : बिना किसी दुर्भावना के मैं अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं उन्होंने मेरी शिक्षा की पृष्ठभूमि पर आक्षेप किया है, उन्होंने मेरे संसद सदस्य होने पर आक्षेप किया है। उन्होंने मेरे व्यवसाय तथा धर्म पर आक्षेप किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सब चर्चा नहीं चाहता हूं। कृपया अपना स्थान लें। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनें·····

(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि यह व्यक्ति···**···बोल रहा है। उन्होंने यहां शपथ ली है ···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य श्री सुनील दत्त से अपील करता हूं कि मामले को तत्काल यहीं खतम करें उन्होंने यह कहा है और जहां तक रिकार्ड का सम्बन्ध है, आप इसे देखेंगे।···(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : यह आपका या आपके दल का काम नहीं है बल्कि इस सदस्य का काम है कि वे शब्द वापिस लें इस भव्य सभा के सदस्य को वह यहां किस प्रकार···**···के रूप में बुला सकते हैं। वह उन्हें···**···किस प्रकार कह सकते है ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं खुद मांग कर रहा हूं। परन्तु दूसरे रिकार्ड को भी देखा जाएगा··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सुनिए। अपना स्थान लीजिए। मै इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

कार्यवाही वृत्तांत से निकालना कोई समस्या नहीं है और मैं कार्यवाही वृत्तांत से असंसदीय भाषा को निकाल सकता हूं। परन्तु बात यह है कि वे माननीय सदस्य से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उन शब्दों को वापिस लें जो असंसदीय है। श्री सुनील दत्त ने कुछ मामले उठाए हैं। वे रिकार्ड में हैं। मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ तो मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वह इसी की मांग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह करूंगा ··(**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस : उन्होंने एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ असंसदीय शब्दों का उपयोग किया है। क्या आप मुझे भी कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति देंगे और बाद में आप उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना ?··· (**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : उन्होंने मेरे लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने इस सम्मानित सभा में मेरा अपमान किया है··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब वे विषय पर बोलते हैं तो उन्हें किसी सदस्य का व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का उल्लेख करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो कुछ हुआ है, मैं पूरी कार्यवाही को पढ़ूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक बात है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। दूसरा, श्री शाहबुद्दीन ने आवेग में अन्य सदस्य के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वह ठीक नहीं है। इसलिए यह मेरा निजी अनुरोध है कि वह उन शब्दों को वापिस लें।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक धर्म का संबंध है भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए यदि कोई कहता है, "मुझे मुसलमान होने का गर्व है और मैं मुसलमान के रूप में रहूंगा।" और यदि कोई इस पर हल्का आक्षेप करता है और यदि इसे भारतीय होने के विरुद्ध बताया जाता है तो यह बहुत अपमानजनक समझा जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी बातों को देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं करूंगा। कठिनाई माननीय सदस्य द्वारा उपयोग किये गये शब्द के बारे में है।

···(**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : मैंने उनके खिलाफ कभी भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है···(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम प्रो० दण्डवते के साथ सहमत है ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : उन्होंने श्री सुनील दत्त को गाली दी है । उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए ।

[**हिन्दी**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम कबूल करते हैं, इसको । (**व्यवधान**)

2.00 **म०प०**

प्रो० मधु दण्डवते : श्री सुनील दत्त ने कल यह कहा था । मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"जब मुस्लिम स्वीय विधि पर चर्चा हो रही थी, संसद के एक अत्यन्त माननीय सदस्य श्री सैयद शाहबुद्दीन ने कहा था । "मैं मुसलमान हूं, मैं इस देश में मुसलमान के रूप में रहूंगा ।" इस संसद का एक माननीय सदस्य ऐसी बात प्रकार से कह सकता है ।" क्या श्री शाहबुद्दीन ने जो कुछ कहा है इसमें कोई गलती है ? (**व्यवधान**)

मुसलमान और भारतीय होने के बीच क्या विरोध है ? क्या यह असंसदीय है ?···(**व्यवधान**)

कृपया मुझे सुनिए । जो कुछ आपने कहा है मैं केवल उसको उद्धृत कर रहा हूं । कृपया मुझे सुनिए :

"इस संसद के एक माननीय सदस्य किस प्रकार यह कह सकते हैं ? वह मुसलमान हो सकते हैं परन्तु उन्हें भारतीय के रूप में रहना चाहिए । वह विदेश सेवा में थे । क्या हमारे देश का प्रतिनिधित्व वह इसी तरीके से कर रहे थे ? क्या इस देश में उन्होंने इस प्रकार की पाई है ? क्या देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने का यह इनका तरीका है ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस नीति को वास्तविकता को जामा पहनाने के लिए इसे बनाया है । परन्तु यदि मेरे माननीय दोस्त जैसे लोग इस देश और संसद में है तो इसे वास्तविकता नहीं बनाया जा सकता ।" (**व्यवधान**)

यदि मैं कहता हूं कि मैं इस देश में मुसलमान के रूप में रहूंगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है । इस देश में कई महान हस्तियों ने कहा है कि भारतीय और मुसलमान के रूप में रहने में कोई अन्तर नहीं हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका रवैया इस तरह का है । परन्तु यदि कोई सदस्य भावुक हो जाता है । और संसद में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है तो यह ठीक नहीं है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु क्या वह इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर सकते हैं जैसे "क्या उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा यह वह पाई है।" और आदि ?

श्री सुनील दत्त : उन्होंने मुझे···**···क्यों कहा मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या मैंने उनको···**···कहा ?

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैं आपके साथ सहमत हो रहा हूं तो आप मेरे साथ असहमत क्यों हो रहे हैं।···(**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देवर (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ शब्दों पर आपत्ति की गई है जिसका प्रयोग माननीय सदस्य सैयद शाहबुद्दीन ने किया। अब मेरे माननीय साथी प्रो० मधु दण्डवते ने आपसे अनुरोध किया है कि आप **रिकार्ड** को देखें तथा उन शब्दों को निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से शब्द ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : परन्तु मैं आपसे इस बात के लिए जोर देना चाहता हूं कि जब किसी के धार्मिक विचारों पर आक्षेप किया जाता या अपमान किया जाता तो उन शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उनकी भावनाओं को दुःख पहुंच सकता है। परन्तु सबसे अधिक अपमान तब होता है जब धर्म पर आक्षेप किया जाता है। धर्म निरपेक्ष राज्य में··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। वह इसका विरोध कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। कि जो कुछ इन्होंने कहा वह ठीक है।

(**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : मैं अपने आपको हिन्दू कहता हूं परन्तु इस देश में मुझे भारतीय के रूप में रहने का गर्व है। (**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इन सदस्यों ने इस विधेयक के लिए परसों मत क्यों दिया यदि वे इतने विरुद्ध है ··(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति। मंत्री जी बोलेंगे कृपया उन्हें सुनें।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, मुझे खेद है कि सत्र के अंतिम दिन आज यहां गर्म वातावरण बना हुआ है। मैं और हममें से कोई भी इसको और अधिक नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है चाहे वह उस तरफ का

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री एच० के० एल० भगत]

सदस्य है या इस तरफ था। स्थिति और समस्याओं के बारे में उसकी अपनी अनुभूति है। कभी-कभी व्यक्तियों के बारे में उसकी अपनी अनुभूतियां होती है। कोई इसके एक भाग पर जोर डाल सकता है और दूसरा उसके दूसरे भाग पर। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ के सदस्यों को बोलने की स्वतन्त्रता है। यदि 'क' कुछ कहता है जिसको वह कहने की स्वतन्त्रता समझता है तो उप पर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। केवल यह बात है कि ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो असंसदीय है तथा जो सभा की प्रतिष्ठा को भंग करता है। आप रिकार्ड को देख सकते हैं और इसके उस भाग को हटा सकते हैं। इसके साथ इसको समाप्त हो जाना चाहिए। बस।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हमने भी यही कहा है।

एक माननीय सदस्य : ...**...शब्द पूरी तरह से असंसदीय है और महोदय इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। बस।

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हुआ। उन्होंने पहले ही शब्द वापिस ले लिए हैं। श्री शाहबुद्दीन जी आप इस शब्द को वापिस लें। इसे वापिस लिया गया है। कृपया अपनी सीट लें। मैंने आपको बताया है कि शब्द वापिस लिया गया है। मामला इसके साथ समाप्त हुआ। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : यहां मसला सिर्फ श्री शहाबुद्दीन जी का नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्रीमान् अंसारी महोदय आपका बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे खेद है कि आप हमेशा हर एक बात को राजनैतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : अंसारी महोदय बोलेंगे। कृपया उन्हें सुनिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : प्रत्येक बात को राजनैतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे इस बात को स्पष्ट करने दीजिए। हमारे दिलों में

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए सभा के प्रत्येक मुस्लिम सदस्य के लिए सम्मान की बहुत भावना है। उनकी निन्दा नहीं की गई है। हम मुस्लिम समुदाय के विरोधी नहीं हैं।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय को साम्प्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। इसमें साम्प्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं है।

महोदय, प्रो० दण्डवते जी ने श्री सुनील दत्त जी के भाषण के कुछ अंश उद्धृत किए थे, यह उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। वैचारिक भेद हो सकता है। उन विचारों का जोरदार जवाब दिया गया है और उनके अपने विचार हो सकते हैं तथा वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि उनके भाषण में, जो उन्होंने अभी उद्धृत किया है, मुझे एक भी ऐसा शब्द नहीं दिखता जो असंसदीय हो। (**व्यवधान**)

कृपया मेरी बात मानिये। एक भी शब्द असंसदीय नहीं है। यह वैचारिक मामला है। जो कुछ श्री सुनीलदत्त ने कहा है वह एक वैचारिक मामला है। जो कुछ श्री सुनीलदत्त ने कहा है वह एक वैचारिक मामला है। वे इस विचार का जोरदार खण्डन कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो बिल्कुल ही असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसे पहले ही वापस ले चुके हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : नहीं, महोदय···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वे पहले ही वापस ले चुके हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इसलिए, किसी व्यक्ति की महानता किसी गलत बात पर जोर देने में नहीं है परन्तु उसकी महानता उसके द्वारा की गई गलती को स्वीकार करने में ही निहित है। अतः मैं श्रीमान् शाहबुद्दीन से निवेदन करता हूं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इसे वापस ले चुके हैं। मामला तय हो चुका है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने इसे वापस नहीं लिया है। मैं इस राष्ट्र के न्यायालय के समक्ष, इस सभा के समक्ष कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। परन्तु मैं अंसारी महोदय से सहमत नहीं हूं कि उनके शब्दों में कोई अपमानजनक टिप्पणियां नहीं थी या उनके शब्दों में इस ओर कोई परोक्ष संकेत नहीं किया गया था। मैं अपनी प्रतिष्ठा पर अडिग हूं और मैं अपने द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर अडिग हूं और मैं तब तक कोई भी शब्द वापस नहीं लूंगा जब तक कि श्री सुनीलदत्त अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं लेते हैं। यदि वे अपने शब्द वापस ले लेते हैं, मैं अपने द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द वापस ले लूंगा···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : एजूकेशन पालिसी पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय का निर्णय पहले ही हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति इस विषय में कुछ कहता है तो कार्यवाही में इससे सम्बन्धित कोई भी बात शामिल नहीं की जायेगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप समय नष्ट कर रहे हैं। अब मन्त्री महोदय को जवाब देना है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का ऐलान हुआ था लेकिन···। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं बाद में आपको अनुमति दे दूंगा। मैं बाद में आपको बुलाऊंगा। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ?

श्री शरत देव : वास्तव में यह कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नही है। यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जैसी प्रतीत होती है। यह बेकार और अव्यवहार्य है। इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : कुर्बानी का बकरा मुझे क्यों बनाया जा रहा है। यह तो बड़ा अजीबो-गरीब सिलसिला है। मुझे बोलने के लिए दो मिनट दे दीजिए। झगड़ा तो शाहबुद्दीन साहब और सुनीलदत्त साहब का है लेकिन वक्त मेरा जाया हो रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपने स्थान ग्रहण कीजिये। मन्त्री महोदय को बोलना है। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

मैं बाद में आपको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

सभा की कार्यवाही चलने दीजिए।

श्रीमान् ओवेसी मैं आपको बुलाऊंगा। पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस परिचर्चा में सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया है। इतनी संख्या की उम्मीद थी, क्योंकि हम सभी जानते थे कि इस देश में संसद के अन्दर व संसद के बाहर सभी स्तरों पर शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों की बहुत रुचि थी और यह बात राष्ट्रीय स्तर पर चली परिचर्चा से, जो सात या आठ महीने तक चल चुकी है, सिद्ध हो चुकी है।

अत: अपनी सुविचारित राय देने के लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं। मैंने संसद सदस्यों समाचार पत्रों, अन्य शिक्षाविदों, विशेषज्ञों इत्यादि की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने की कोशिश की है।

फिर जैसा कि पूर्वानुमान था यह एक धीमी प्रतिक्रिया रही है, एक शान्त प्रतिक्रिया रही है, जहां तक सम्भव है एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया रही है और शायद एक वास्तविक प्रतिक्रिया रही है। मैं फिर इस विषय में खुश हूं क्योंकि जब हम क्रियान्वयन की बात करते हैं तो कुछ आशंकाएं होती हैं—जो बहुत स्वाभाविक हैं क्योंकि हमारे पहले वाले दस्तावेज, जिसका नाम शिक्षा की चुनौतियां' था, में कई कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था। सामान्यतया सरकार गलतियों की ओर ध्यान नहीं दिलाती परन्तु इस विषय में यह जानबूझकर किया गया था क्योंकि हम इस देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते थे और उसकी राय जानना चाहते थे।

नि:सन्देह, कई बार उस दस्तावेज पर शीघ्रता से सहमति प्रकट करने की मनोवृत्ति रही है क्योंकि लोगों को चुप कराने के लिए यह पर्याप्त है। परन्तु इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि यह सरकार को मान्य है, क्योंकि अन्तत: यदि कोई अध्यापक विद्यालय में नहीं जाता है, भारत के प्रधानमंत्री इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भाव यह था कि जिम्मेदार कौन है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, किस स्तर पर जिम्मेदारी ठहरती है अथवा ठहरनी चाहिए।

अत: इस दस्तावेज ने देश के समक्ष कुछ तथ्य रखे हैं। अब यह हमारे ऊपर राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस पर परिचर्चा करें, एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उचित निष्कर्षों पर पहुंचे और प्रथमत: मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमें लोगों से इस बारे में कोई भी प्रतिक्रियायें मिली हों, उन्हें 14 बड़े खण्डों में समाहित किया गया है, उनका विश्लेषण किया गया है, उनका मिलान किया गया है; और उन खण्डों के आधार पर, जनता की प्रतिक्रियाओं

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

के आधार पर उन लोगों द्वारा, जिन्होंने लोगों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया है, तैयार किए गए पत्रों को इस नीति निर्माण का आधार बनाया गया है। प्रो० सोज ने अभी इस बात की ओर इशारा किया है कि दस्तावेज में किसी भी सेमिनार द्वारा की गई टिप्पणी नहीं है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि मैं ऐसी कई बातों का उल्लेख कर सकता हूं जो दस्तावेज में समाहित हैं, इसमें केवल प्रतिक्रियायें ही नहीं हैं बल्कि सेमिनार की सिफारिशों को इसमें अक्षरशः उद्धृत किया गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे केवल सभा का समय ही नष्ट होगा, परन्तु मैं साधारण तौर पर यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में समाहित सभी विषयों पर जानकारी उपलब्ध थी। इस सम्बन्ध में मन्त्रालय का कोई एकाएक विचार नहीं बना है। दस्तावेज में सरकार ने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा है जिसकी सिफारिश नहीं की गई थी अथवा सिफारिशों में जिसका उल्लेख नहीं था। स्वाभाविक रूप से सभी सिफारिशें एकतरफा नहीं थीं, सिफारिशों में कुछ अन्तर होना आवश्यक था। उन सेमिनारों में जिनमें मैं उपस्थित था, यद्यपि मैं किसी भी सेमिनार में नहीं बोला, कुछ सेमिनारों में मैंने देखा कि काफी वैचारिक मतभेद था। शिक्षा जैसे विषय पर आप कभी भी यह आशा नहीं कर सकते कि कोई वैचारिक मतभेद नहीं होगा। परन्तु दस्तावेज और उसमें समाहित विचारों में कुछ एकरूपता होती है। आप भविष्य का अवलोकन करते हैं, आपके पास भविष्य में निकटतम भविष्य में और दूर भविष्य में गौर करने के लिए कुछ योजनायें हैं और अपने आने वाले भविष्य का अवलोकन करना चाहते हैं, यही बात है जो इस दस्तावेज में रखी गई है इस दस्तावेज में समाहित की गई है। अतः मैं चाहता हूं कि सदस्य इस बात को समझें कि कोई भी दस्तावेज केवल हमें दी गई जानकारी पर आधारित नहीं हो सकता। हमने केवल सार को ग्रहण किया है। यदि कोई ऐसी बातें हैं जो कही जानी चाहिए थीं परन्तु नहीं कही गई हैं उन्हें हमेशा बाद में कहा जाना चाहिए और इस दस्तावेज में पूर्णता का या इस अर्थ में व्यापकता का, कि इस दस्तावेज में सब कुछ है और इससे परे कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, का दावा कोई नहीं कर रहा है।

मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि लोगों का एक वर्ग या दूसरा या कुछ क्षेत्र विशेष, जिनको दस्तावेज में रखा जाना चाहिए था, दस्तावेज में नहीं रखे गए क्योंकि यदि हम दस्तावेज में क्षेत्रों और वर्गों को शामिल करना शुरू करें तो सूची का कोई अन्त नहीं होगा। फिर भी परिचर्चा के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की उचित व्यवस्था कर दी जायेगी क्योंकि हमेशा यही भाव रहा है और दस्तावेज में इसे दूसरे सन्दर्भ में, दूसरे ढंग से, दूसरे शब्दों में रखा गया है। फिर भी यदि यह वाम्य रचना प्रतिस्थापित की जानी है या इसे दस्तावेज में इस पर जोर दिया जाना है तो सुझावों की रोशनी में ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम पहाड़ी क्षेत्रों को, रेगिस्तानी क्षेत्रों को, द्वीपों को इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि उनकी कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। अतः इसी प्रकार शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को भी इसमें नाम सहित शामिल किया जा सकता

है। इस दस्तावेज की विषयवस्तु को अन्तिम रूप देते समय हम निश्चित रूप से उन बातों का ध्यान रखेंगे।

कई बार हमारे मन में एक विशेष प्रकार का सन्देह भी होता है, जो कुछ सम्भावना मिश्रित होता है। हम सहमत हैं कि नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करना होगा। कुछ भूलें हुई हैं। उन भूलों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। परन्तु जब कोई कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है तो शायद यह जानबूझ कर न की गई आलोचना करने के बराबर ही है। निस्संदेह, आलोचना समाचार पत्रों के अध्ययन का स्थानापन्न नहीं है।

अत: मेरे पास इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आप इसका पूरा अध्ययन करते हैं और यदि आप इसकी तुलना 1968 की नीति से करते हैं तो आप पायेंगे कि इस नीति में नया कुछ भी नहीं है, भाषा नीति के सिवाय यह 1968 की नीति की पुनरावृत्ति है। उस विषय को कुछ वाक्यों में ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि हमने सोचा कि भाषा नीति की, जो रूपरेखा 1968 के दस्तावेज में दी गई थी वह सभी तरह से पूर्णतया ठीक थी और इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने इसके बारे में बहुत सोचा परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1968 की रूपरेखा काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी और इसमें परिवर्तन करने, कुछ जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और यही कारण है कि हमने उस प्रश्न को संक्षिप्त रूप में ही समाप्त कर दिया और कहा कि 1968 की भाषा नीति को लागू करने की आवश्यकता है, इसे लागू किया जायेगा, यह सक्रिय भाग है, एक वाक्य का केवल आधा भाग। मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि दूसरे सभी विषय में कुछ नयापन है, कुछ नए, कुछ ताजा, ऐसा कुछ जो 1968 की नीति के बाद सोचा गया तथा उन तत्वों को इसमें समाहित कर दिया गया है। उनमें से मैं कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं।

नया क्या है, इस बात पर आने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद क्या किया जाना है क्योंकि यह समस्त विषय का मर्म जान पड़ता है।

जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर इशारा किया तथा मैंने भी कई मौकों पर यह कहा है कि यह सिर्फ एक योजनामात्र है, इसे अब हमें नीति में परिवर्तित करना है और कार्यवाही योजना, क्रियान्वित करने की रूपरेखा तथा ब्यौरों की बात इसके बाद आयेगी।

यदि कोई उससे पूछता है : "आपकी नीति कहां है ? कार्यवाही योजना कहां है ?" तो मैं यही कहूंगा कि : "सर्वप्रथम हम नीति को अनुमोदित करायेंगे। योजना को अन्तिम रूप दिए बिना नीति कैसे बनाई जा सकती है।" अत: योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद नीतियां एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाये जायेंगे। इतना ही नहीं, इस पर लगातार निगरानी भी रखी जायेगी। दुर्भाग्य से पिछली नीति में ऐसा नहीं हो सका। नीति में यह भी व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात इसकी पुनरीक्षा की जायेगी। मुझे ऐसी किसी भी समीक्षा की

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

जानकारी नहीं है जिसे सही ढंग से की गई समीक्षा कहा जा सके। अतः पांच वर्ष के अन्त में जो कुछ बताया जा सकता था वह नहीं बताया गया तथा पांच वर्षों के बाद नीति में जो सुधार किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप सभी चीजें सतरह वर्षों से अधिक समय से इकट्ठी हो गई हैं अब ऐसा नहीं होगा तथा इस पर किसी भी व्यक्ति को आशंका नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद 1987 में इसकी समीक्षा करेगा। मैं संसद सदस्यों को आमन्त्रित करना चाहूंगा तथा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा नीति पर तथा इसके क्रियान्वयन पर हरेक सत्र में वाद-विवाद होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हरेक सत्र में नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगले सत्र में हम आपको बता सकेंगे कि नीतियों की क्रियान्विति किस हद तक की गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस दिशा में पहले ही विचार कर चुके हैं। कुछ तैयार हो गई हैं और कुछ अभी तैयार हो रही हैं। यह तो स्वाभाविक ही है कि हम उन्हें शत प्रतिशत रूप में तैयार नहीं कर सके क्योंकि तब कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि नीति की स्वीकृति के लिए हमने संसद की अनुमति ली। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। हमने कुछ बातें अनकही भी रखी हैं। नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद हम कुछ कहेंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा कि नीति को मंजूरी दी गई और उसे भुला दिया गया परन्तु इस दफे यह कार्यवाही एवं कदम उठाए जाने की एक शृंखला होगी।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि रातोंरात सब काम कर लिया जायेगा। हम बार-बार आपसे यही कहना चाहते हैं। ऐसा पहले क्या नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए?

अतः यह एक व्यवहारिक नजरिया है। हमारा रवैया होगा इस पर लगातार निगरानी रखना, बार-बार समीक्षा करना ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके।

भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र की काफी बड़ी जिम्मेदारी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पर होगी। इसमें काफी बड़ी संख्या में सदस्य हैं, सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री, प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, केन्द्रीय सरकार के अधिकारीगण आदि। मैं उसका अध्यक्ष हूं। यह पूर्णतया एक प्रतिनिधिक निकाय है जो कि नीति के अनुसार समितियों द्वारा कार्य कर सकता है तथा समय-समय पर नीति की पुनरीक्षा करने का काम जारी रख सकता है। अतः इस बार यह देखा गया है कि नीति के क्रियान्वयन का काम सिर्फ कागज में ही न रह जाए बल्कि जिस उद्देश्य के लिए यह बनी है वह पूरी हो।

अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं कि इसमें नवीनता क्या है। संभवतः इस प्रश्न के जवाब

में मुझे सारा का सारा दस्तावेज पढ़ना पड़े तथा इसमें इसकी सभी मुख्य बातें भी आ ही जायेंगी अतः मुझे अन्य किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा ।

सर्वप्रथम मैं 1968 और आज की परिस्थितियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । इसमें गुणात्मक अन्तर है । 1968 में जारी किया गया दस्तावेज सरकार की पहली नीति थी । इसे कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यह कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने भारी बोझ तले दबा दिया था । अतः यदि नीति तथा प्रतिवेदन को एक साथ लें तो यह बहुत बड़ा दस्तावेज है । नीति भी अपने आप में बहुत ही संक्षेप में बनाई गई थी तथा इसमें बहुत ही कम निदेश दिए गए थे । अब हमने उन्हीं को विस्तार में कर दिया है । ऐसा नहीं है कि इसमें विचार नहीं है परन्तु विचारों को ध्यान में रखते हुए जो नए विचार सामने आये हैं उन्हें इसमें सम्मिलित कर लिया गया है । आज स्थिति यह है कि ज्ञान का सागर बेकाबू हो गया है । मात्र स्कूलों व अध्यापकों की संख्या बढ़ा देने से यह मुमकिन नहीं है कि आपको इस ज्ञान के विकास के साथ चलना है । आपको इस स्थिति का साथ देने के लिए नए तरीके ढूंढ़ने होंगे । सभी इस बात से सहमत हैं । लेकिन जब शब्दाडम्बर की बात आती है तो भिन्न बात कही जाती है । उदाहरण के लिए हमने कहा है कि स्कूलों तथा अध्यापकों का कतारबद्ध विस्तार पर्याप्त नहीं है । हमें कुछ अधिक करना होगा । यदि शिक्षा सम्बन्धी तकनीक भारत में सब गांवों में पहुंचाने के लिए 15 या 20 वर्ष का समय लगे तो इससे गांवों में सन्तोष उत्पन्न नहीं होगा । इसलिए हमने यह बताया है कि शिक्षा में पढ़ाने के तरकों में तकनीक को हमें बहुत जल्दी गांवों में पहुंचाना होगा । वर्तमान दस्तावेज में यह प्रयत्न किया गया है । नीति में यह बात दोहराई नहीं जा सकी, लेकिन उसमें यह बात स्पष्ट रूप में बताई गई है कि हम इसे दिल्ली में प्रारम्भ कर भारत के सब गांवों में 20 वर्ष में इसे पहुंचा देंगे । जो व्यवस्था अथवा तकनीक दिल्ली के स्कूल में उपलब्ध है वह देश के सुदूर भाग में भी उपलब्ध होनी चाहिए । शिक्षा सम्बन्धी तकनीक का अर्थ आधुनिक साधनों से ही नहीं है इसलिए हमने आधार को मजबूत बनाने की बात कही है । हम ब्लैक बोर्ड के इस्तेमाल से प्रारम्भ करते हैं । ब्लैक बोर्ड पर सबका ध्यान आकर्षित होता है । 'चाक' के टुकड़े का इतना महत्व नहीं है । चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद में प्रत्येक व्यक्ति इसकी ओर आकृष्ट हुआ है इसलिए हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं । इसका प्रयोजन स्कूल में सुधार का व्यापक कार्यक्रम है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ब्लैक बोर्ड की सप्लाई कौन करता है । यह ग्राम पंचायत करेगी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा या इन दोनों के बीच में कोई और साधन ? सी० ए० बी० ई० में हमें यह निर्णय करना है ? राज्यों के सब शिक्षा मन्त्री मुझे यह बतायें; जिला परिषदें मुझे यह बतायें । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि ब्लैक बोर्ड उपलब्ध होना चाहिए । यदि वे इसे नहीं दे सकते हैं या हम उनसे कहेंगे, "यदि आप यह नहीं दे सकते हैं तो फिर आप क्या दे सकते हैं ? क्या आप आधा ब्लैक बोर्ड दे सकते हैं ? क्या आप ब्लैक बोर्ड का चौथाई भाग दे सकते हैं ? ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक का टुकड़ा तो आप दे ही सकते हैं ? अतः हमें उनके साथ विचार-विमर्श करना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड और अन्य आवश्यक वस्तुएं स्कूल को उपलब्ध करायी जायें । हम इस विषय का अध्ययन करना चाहिए । हम प्रत्येक स्कूल से यह जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन हम राज्य

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

सरकारों से बात करेंगे, हम यह मालूम करेंगे कि हम पर कितना खर्च होगा और राज्यों को इसमें कितना योगदान देना है। इस व्यापक कार्यक्रम में केन्द्र सरकार ने काफी उत्तरदायित्व सम्भाल लिया है। यह बात स्पष्ट रूप में बताई गई है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में केन्द्र सरकार खर्च उठायेगी। पहली बार केन्द्र सरकार इतना बड़ा उत्तरदायित्व सम्भाल रही है।

उच्चतर संस्थाओं के मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के मामले में हमारे देश में इन संस्थाओं में अपनायी जा रही व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। हम इनके आधार की ओर ध्यान दे रहे हैं; यह आधार बहुत आवश्यक है। इसे हमने नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस कार्यक्रम को हम कार्यान्वित करेंगे। लेकिन उच्च स्तर की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने उच्च स्तर, तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और उच्च स्तर की भी चर्चा की है; इससे हमारी अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी हो गई है और राष्ट्र को इससे प्रेरणा मिली है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा राष्ट्र पिछड़ा बना रहेगा और अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जायेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अतः उसके आधार और उच्च स्तर पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। किसी भी निकाय के लिए यह दोनों ही आवश्यक हैं। हमें आधार को मजबूत करना चाहिए और यह आधार शक्तिशाली बनकर बराबर ऊंचा बढ़ता जायेगा। और सुधार कार्य इस प्रकार निरन्तर चलता रहेगा। पहली बार हम शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय व्यवस्था प्रारम्भ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यह व्यवस्था सर्वत्र नवीन सिद्ध होगी।

इसमें एक 'कोर' पाठ्यक्रम है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 'कोर' पाठ्यक्रम राज्यों के परामर्श से तैयार करना चाहिए। इसके लिए अन्य तरीका नहीं है 'कोर' पाठ्यक्रम में हर जगह प्रत्येक व्यक्ति से परामर्श किया गया है। यह दिल्ली में बैठकर कुछ गिने-चुने व्यक्तियों द्वारा चाहे वे कितने ही विशेषज्ञ क्यों न हों, तैयार नहीं किया जा सकता है। हमारी मंशा यह नहीं है।

राष्ट्रीय आदर्श और उद्देश्य के संबंध में यदि 'कोर' पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो उसकी भाषा भिन्न होते हुए भी उसका सार वही रहेगा। तमिलनाडु में सुब्रह्मण्यम भारती हैं, आंध्र में गुरजादा अप्पाराव हैं, उत्तर प्रदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र या माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो हमारे सामने सबका आदर्श एक है। भारत में विविधता में एकता से हमारा यही अभिप्राय है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम प्रयत्न करेंगे। 'कोर' पाठ्यक्रम का भी यह ध्येय है। इसे बिना किसी अपवाद के पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान को ही लीजिए। विज्ञान और गणित वर्ष 1968 के पहले अनिवार्य विषय नहीं थे। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप इन्हें 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बनाने में कई वर्ष लग गये। आज यह अनिवार्य है। भविष्य में किन्हीं अन्य विषयों को हमें अनिवार्य करना पड़

सकता है। दस्तावेज में गणित को जिस रूप में बताया गया है हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है। यह गणित वैसा नहीं है जो मैंने और आपने पढ़ा है—इसमें 'समय और दूरी' और 'समय और काम' नहीं है। यह तो बिल्कुल भिन्न है। आज गणित को वर्तमान प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने की जरूरत है। यदि हम प्रौद्योगिकी के लिए दो वर्षीय मध्यम कोर्स की आवश्यकता है तो मौजूदा गणित निरर्थक है। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया गया है। जब हम इसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो इसे संसद के समक्ष पेश करेंगे। राष्ट्रीय व्यवस्था में बतलाया गया हैं कि 7 या 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पर्याप्त नहीं है। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। पूरे देश में सब बच्चों में निर्धारित कुशलता, निश्चित योग्यता का आधार स्वीकार किया गया है। यह बात काल्पनिक प्रतीत होती हो यह अयथार्थ प्रतीत होती हो परन्तु हमें उस आदर्श और उस दिशा को दृष्टि में रखना है जो हमारा ध्येय है। इसलिए जब तक हम मिलजुल कर यह स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि, यह आदर्श होगा, यह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का ध्येय होगा तब तक हम अपने लक्ष्यों को वास्तव में समुचित रूप में परिभाषित नहीं कर सकेंगे। अत: ऐसा, अर्थात् शिक्षा में संस्कृति का समावेश अथवा समाकलन फिर पहली बार हो रहा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ? मैं इसके लिए एक-दो मिनट का समय लेना चाहता हूं। महोदय, हमारे सांस्कृतिक स्रोतों के कारण ऐसा है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व प्राचीनकाल में, इस राष्ट्र को सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिमान देश माना जाता था। जनता सभी वर्गों द्वारा विभिन्न तरीकों से एक ही विषय समझा जाता था। पंडितों द्वारा रामायण का अध्ययन पुस्तक के माध्यम से किया जाता था। यही रामायण पूरे देश में करोड़ लोग सैंकड़ों लोक-कथाओं द्वारा पढ़ते थे। अत: हमारे ग्रंथों, शास्त्रों, का ज्ञान लोगों को आगे कराया जाता रहा। कहीं किसी जगह कोई अशान्ति नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। विदेशी शासन के दौरान यह हुआ कि उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, किन्तु हमारी आत्मा ले गए। उन्होंने हमारी आत्मा को नष्ट किया और इसीलिए रुकावट सी आ गई। अब हमें इस रुकावट को दूर करना है। हमें शिक्षा और संस्कृति का ताना-बाना बुनना है। यह इतना सरल नहीं है। कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि ऐसा होगा। इसमें हमारी सूझ-बूझ की अधिकतम सीमा की आवश्यकता है। यह शिक्षा-शास्त्रियों के लिए एक परीक्षा होगी। हो सकता है यह अध्यापकों, प्रशासकों और संसद-सदस्यों के लिए एक परीक्षा होगी। अत: मेरा अपना विचार सही है कि यह होना चाहिए। अन्यथा यह होगा कि हम भौतिक प्रगति करेंगे, हमने 1968 से बहुत प्रगति की है, किन्तु मैं यह कहूंगा कि प्रगति के साथ-साथ कुछ मूल्यों का नाश भी हुआ है। हम इस बात से मुंह नहीं मोड सकते हैं। आजकल प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सुसंस्कृत व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह सुसंस्कृत व्यक्ति भी नहीं कहला सकता। संभवत इसलिए पहले दस्तावेज में कहा गया था : "शिक्षा को संस्कृति का एक भाग समझा जाना है।" इस प्रकार हम शिक्षा को इस प्रकार समझते हैं। वास्तव में शिक्षा को संस्कृति का एक भाग समझना चाहिए। बात इसके विपरीत है। अत: जब से इसको अलग किया गया है, हम कहीं

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

के नहीं रहे हैं (निस्सहाय हुए हैं)। इसे वापस लाना होगा।

महोदय, खेलों को लीजिए। यह और एक उदाहरण है जहां कोई नई बात कही गई है। हमें ऐसा करना है कि खेल-शिक्षा अथवा खेलों और क्रीड़ाओं आदि में प्रदर्शन छात्र के मूल्यांकन का एक अटूट अंग बनाया जाए। इसका अर्थ क्या है ? इसका क्या परिणाम होगा ? इसमें एक और बृहद् कार्यक्रम की आवश्यकता है। जब तक खेल के मैदान न हों, खेल का सामान न हो, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जब तक कोई उनका मूल्यांकन न हो, आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उनकी परीक्षा लेनी है तो ऐसा केवल तब सम्भव होगा जब आप यह सब चीजें उन्हें उपलब्ध करेंगे। अत: जब हम कहते हैं कि यह शिक्षा का अटूट अंग बनने वाला है तो हम पहले ही वचनबद्ध हैं कि यह सब कुछ उपलब्ध होगा। अत: इस प्रकार इन सारी बातों के संबंध में विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

महोदय, इसके पश्चात् बच्चे की आरम्भिक शिक्षा का आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के साथ समाकलन है। दस्तावेज में यह छोटे वाक्यों में कहीं-कहीं आता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी यह 30 पृष्ठों का बना है और हर कोई कहता है यह शब्दभंडार है। स्वाभाविक बात है। यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे, तो यह दूर से शब्दभंडार ही है। एक वाक्य में कहा गया है कि इन दो कार्यक्रमों का समाकलन किया जाएगा। हम किस प्रकार इन कार्यक्रमों का समाकलन करते हैं ? सौभाग्य से वह दोनों यहां एक ही मन्त्रालय में हैं। किन्तु राज्यों में वह एक ही विभाग में नहीं हैं। जिला स्तर पर यह एक ही विभाग के अन्तर्गत नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि निचले स्तर तक इसी प्रकार पूरा समाकलन किया जाए। इसके बिना मेरे लिए अथवा भारत सरकार के लिए अकेले यह काम करना संभव नहीं है। हमें राज्य स्तर पर अधिकारियों के साथ फिर एक बैठक करनी होगी। तब तक कोई भी बात सफल नहीं होगी जब तक हम राज्य सरकारों को विश्वास न दिलाएं, उनके साथ सोच-विचार करें और देखें कि हम किस प्रकार इस कार्यक्रम का समाकलन कर सकते हैं।

महोदय, समता के मामले में, शिक्षा में समानता लाने में, यह इस नीति में वास्तव में समता का प्रपत्र है। नीति का उद्देश्य समानता लाना है। और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आधार को मजबूत बनाना समता लाना है। हमने नाम से उन वर्गों की सूची बनाई है जिन्हें अलग रखा गया है—महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक, विकलांग जिनकी विशिष्ट समस्याएं हैं, और अब जैसा मैंने कहा, मैं अन्य खंडों को भी इसमें शामिल कर रहा हूं जिनके संबंध में इसमें संकेत दिया गया है किन्तु इनका सीधे तौर पर और विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। सभी बातों का निष्कर्ष यह है कि यदि हम समता नहीं लाते हैं तो शिक्षा अपना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कृत्य पूरा करने में सफल नहीं होती। महिलाओं के संबंध में हमने कहा है कि शिक्षा को मूल परिवर्तन लाने का साधन बनाया जाएगा। महिलाओं के मामले में ही नहीं, हम जानते हैं कि जो व्यक्ति ग्राम में शिक्षित है वह

कितना भी गरीब क्यों न हो, उसकी स्थिति ही बदल जाती है, जबकि उसका अशिक्षित बड़ा भाई बिलकुल अलग ही प्रकार का व्यक्ति रहता है, मेरा विचार है कि वह शिक्षित नहीं है। यह हम प्रत्येक ग्राम में देखते हैं, यह दैनिक अनुभव है। अतः शिक्षा को समता लाने का एक प्रभावशाली माध्यम बनाया जाना है।

महोदय, जब हम कहते हैं कि हम उपलब्धि में न्यूनतम स्तर पर बल देना चाहते हैं, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह एक प्रकार की वचनबद्धता है जो परिमाणयोग्य तथा प्रमाणयुक्त है। कहने की बात यह नहीं है कि एक बच्चा स्कूल में 5 या छः वर्ष रहेगा तो जो कुछ वह सीखता है वह उसका अपना काम है हमारा नहीं। सचमुच इस स्थिति में बहुत अन्तर है। अतः यह एक परिणाम देने वाला कार्यक्रम है जिसे आरंभ करना है और एक ऐसा प्रमाण-युक्त वचनबद्धता है।

महोदय, इसके पश्चात् स्कूल में छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की बात पर बल देने के संबंध में आते हैं। हमने कई बार इस सदन में चर्चा की है। उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं? कुछ सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पढ़ाई छोड़ने वालों की बात भयप्रद है। किन्तु हम इसका क्या कर सकते हैं? पढ़ाई छोड़ने वालों के संबंध में हम क्या करेंगे? पढ़ाई छोड़ने वालों के संबंध में बात करते हुए, जैसा मैंने कहा यह सूक्ष्म-योजना का प्रश्न है। यदि आपको वास्तव में पढ़ाई छोड़ने वालों के संबंध में कुछ करना है, तो आपको गांव में प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क करना होगा। और ऐसा कौन कर सकता है? भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं, किन्तु सरपंच शायद ऐसा कर सकता है, अथवा पंचायत का वह सदस्य जो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, या यदि उसके वर्ग में पंचायत है तो वह लोग ऐसा कर सकते हैं। किन्तु उनके पास कौन जाए? वह व्यक्ति जो निचले स्तर पर शिक्षा से संबंधित है चाहे वह इन्सपेक्टर (निरीक्षक) हो, ग्रामीण स्तर पर काम करने वाला, चाहे कोई भी हो उनकी कार्य-सूची बदल जाएगी और हमें स्कूल की सफलता को निर्धारित करने एक मानदण्ड यह मानना चाहिए कि उसमें कितने छात्र पढ़ाई जारी रखते हैं। आप ऐसा कैसा करेंगे? यहां तो केवल बातें हैं किन्तु जब इस पर काम करने तथा इसके लिए व्यवस्था करने की बात आती है मैं जो कहने वाला हूं वह यह है कि हम किस प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं? हां, मेरे पास बने-बनाए उत्तर नहीं हैं। यह मैंने बहुत बार कहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर जैसा मैंने पहले कहा था हम सभी को विशेषकर संसद अदस्यों को बहुत कुछ करना है। किसी गांव में जाइए। यदि आप पहले किसी स्कूल में जाएंगे, यदि आपके पास स्कूल में जाने के लिए अथवा मुख्याध्यापक के साथ बात करने के लिए कुछ समय है, पांच मिनट ही सही, तो मुझे पूरा विश्वास है उससे बहुत अन्तर पड़ेगा। हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते थे, और कुछ लोग करते हैं; अन्य लोग इसमें थोड़ी अधिक रुचि लेने की इच्छा करेंगे।

महोदय, व्यावसायीकरण के संबंध में भी कहना है जो एक ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में निर्णय किया गया था किन्तु कभी भी उस निर्णय का पालन नहीं किया गया। गत

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

17 वर्षों के दौरान तमिलनाडु के सिवा सच्चे व्यावसायीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट है कि यह "प्लस दो" स्तर पर करना है। आंध्र प्रदेश के मेरे मित्रों को मालूम होगा। यह "प्लस दो" स्तर पर है, किन्तु किसी प्रकार से इसे थोड़ा अनिश्चित ही रखा गया। उन्होंने कहा यह या तो उच्च शिक्षा अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा में हो सकता था। आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ कि हमने इसे कनिष्ठ कॉलिज का नाम दिया। जब आपने इसे कॉलिज का नाम दिया तो आपको जनता की सहायता मिली। जब आप इसको उच्च माध्यमिक स्कूल कहलाना चाहते थे, तो वह नहीं समझ पाए। वह केवल स्कूल के रूप में समझ गए। जनता ने कहा यदि आप कॉलिज खोलेंगे तो हम आपको सहायता देंगे। यदि आप स्कूल खोलेंगे तो हम कुछ नहीं देंगे। अतः जब हमें एक वर्ष में यह 256 उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने थे, तो हमें पैसे इकट्ठे करने के लिए जाना था और योगदान हमें केवल तब मिल जाता जब वहां कनिष्ठ कॉलिज का बोर्ड लटक रहा था। किन्तु परिणाम यह निकला कि यह सचमुच हर प्रकार से कॉलिज बन गया और कभी भी अपनी उस स्थिति पर नहीं आया जहां इसे व्यवसाय के साथ एक उच्च माध्यमिक स्कूल होना था जहां विभिन्न व्यवसाय आदि सिखाए जाते। कार्यशाला (वर्कशॉप) तथा बहुत से कार्य करवाने थे। कुछ भी नहीं करवाया गया। परिणाम यह निकला कि हमें जनता से सहयोग प्राप्त हुआ, किन्तु हम व्यावसायिकीकरण के रूप में कुछ नहीं कर सके। मैं विशिष्ट शब्दावली में नहीं कह रहा हूं। मैं जो तुलनात्मक रूप से कह रहा हूं वह यह है कि आयोग द्वारा वास्तव में जिस बात की सिफारिश की गई थी, वहीं की वहीं रह गई। इस बात की जांच की जानी है।

हमने एक लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य न मंत्रालय में और न ही यहां शिक्षा मंत्रालय में पूरा किया गया। यह राज्यों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो राज्यों में इस विषय से सम्बद्ध थे विचार-विमर्श करके रखा गया था। इसके पश्चात् ही हमने सतर्कता से कहा कि 1990 तक हम 10% स्कूलों को व्यावसायिक कर सकते हैं और 1995 तक 25% तक कर सकते हैं। यह एक साधारण प्रतिशतता है। किन्तु वास्तविक रूप में किए जाने वाले कार्य के अनुसार यह आश्चर्यजनक हैं। अतः इसमें हमने अभी कोई विशेष कमाल नहीं किया है। हमने बहुत ही सतर्कता से यह कार्य आरम्भ किया और हमने विचार किया कि यह सम्भव हो सकता है, यद्यपि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। फिर भी हमने यह कहने का साहस किया है कि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

अब मैं निरन्तर शिक्षा पद्धति की बात करता हूं। यह भी अन्य विचारों की तुलना में एक नया विचार है। प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में चर्चा कर रहा है। पुस्तकें लिखी गई हैं। किन्तु हमारे पास एक अध्यापक को एक बार भी प्रशिक्षण देने के लिए धन नहीं है। तो फिर शिक्षा जारी रखने के सम्बन्ध में चर्चा क्या करनी है? फिर भी हमने इस संबंध में बात की है; हमने इस चर्चा को आरम्भ भी किया। नीति की स्वीकृति की प्रतिक्षा किए बिना ही हमने 5 लाख

अध्यापकों के लिए इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। कार्यक्रम पहले ही विचाराधीन है। अतः बहुत सी चीजें जिन्हें नीति की प्रतीक्षा नहीं करनी थी उन्हें आरम्भ किया गया है। यह एक सम्पूर्ण कार्यक्रम नहीं हो सकता है। यह केवल 8 या 10 दिन का हो सकता है। किन्तु इसे कभी न कभी आरम्भ करना आवश्यक है और हमने इसे केवल इस वर्ष आरम्भ किया है।

महोदय, एक बात जो बहुत विवादास्पद हो गई है, बहुत राज्यों में और हो सकता है जनता के उन बहुत से वर्गों में भी हो गई है जिनका अपना स्वार्थ है। वह है विकेन्द्रीकरण। यदि अध्यापकों से पूछा जाए तो वह सामान्यतः यह कहेंगे, हम स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नहीं आना चाहते हैं। आन्ध्र प्रदेश में हमारा यह अनुभव रहा है, यह मेरे मित्रों को याद होगा। किन्तु और कैसे किया जाए ? दूसरे राज्य भी हैं जहां सरकार जिला शिक्षा कार्यालय का काम कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : वे केन्द्रीयकृत वित्तीय सहायता और विकेन्द्रित कार्य को प्राथमिकता देते हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : हां, ठीक हैं। पत्रों पर तो वह केन्द्रित वित्तीय सहायता और विकेन्द्रित कार्य को प्राथमिकता देते हैं किन्तु यथार्थ में वह गड़बड़ी का काम चाहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह कोई काम नहीं चाहते हैं। महोदय, यह एक विवादास्पद बात है। किन्तु मैं यह कहूंगा कि हमें पंचायती निकायों पर विश्वास होना चाहिए। हो सकता है विभिन्न कारणों से जो कुछ वह करते रहे हैं वह सन्तोषजनक न हो। यही बात विधान सभा, संसद अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कही जा सकती है। किन्तु किसी ने हमारे काम का मूल्यांकन नहीं किया है। हम सदा उनका मूल्यांकन करते रहे हैं। यही अन्तर है। अतः हर कहीं कठिनाइयां आती रही हैं। किन्तु काम करने के लिए हमें अन्त में इन पर विश्वास करना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले पर बहुत सा मतभेद हो सकता है और हो सकता है कुछ राज्य सरकारों को इसके कुछ तत्व स्वीकार न भी हों, मैं यह कहना चाहूंगा कि मानवों के रूप में हमें निचले स्तर पर लोकतन्त्र में विश्वास है, सभी संसद सदस्यों का यही प्रयास होना चाहिए कि वह देख लें कि यह पंचायती निकाय ठीक प्रकार से संगठित है या नहीं—यह प्रथम बात है और दूसरी यह है कि वह शिक्षा के प्रश्नों की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। यदि वह ऐसा करते हैं, तो निस्सन्देह ऐसा होगा। यदि अध्यापक नहीं आता है तो पंचायत का यह कर्तव्य है कि हमें बता दें कि वह उपस्थित नहीं होता है। भगवान् के लिए राज्य सरकार को कैसे मालूम होगा कि क्या अध्यापक उपस्थित होता है या नहीं। सामान्यतः हम जानते हैं कि वह उपस्थित होते हैं, किन्तु यह झूठ भी हो सकता है। बहुत स्थानों पर अध्यापक उपस्थित होते हैं, पढ़ाते हैं और परीक्षाएं भी होती हैं और सब कुछ होता है किन्तु जब कभी कोई खराबी होती है तो इसे मुख्य समाचारों में दिया जाता है··· (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पंचायतों को अध्यापकों को वेतन देने और उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार दे दीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम इसकी जांच करेंगे। इस संबंध में मेरे विचार स्पष्ट हैं। अधिकार किसको मिलना चाहिए? हमें मालूम है कि पंचायत अध्यक्षों के पास कुछ शक्तियां हैं। श्री माधव रेड्डी आपको बतायेंगे। उनके पास शक्तियां थी लेकिन वे कम होकर सिर्फ स्थानांतरण की शक्तियां तक ही रह गई हैं। यह एक सूत्रीय कार्यक्रम बनकर रह गया। यह है जो हुआ। क्या हमें यह करना चाहिए? क्या हम इसे जारी रखें अथवा क्या कुछ सीमा निर्धारित की जायें तथा क्या इस सब पर फिर से विचार किया जाये? इन सब बातों पर विचार करना होगा क्योंकि इन सब तरीकों को पंचायत प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर आजमाया जा चुका है। महाराष्ट्र में जिला परिषद् की प्रणाली है जिसने इन स्कूलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है। आंध्र प्रदेश में भी थ्री-टायर प्रणाली है। इन सब प्रणालियों को आजमाया जा चुका है। आखिरकार हमें यह देखना होगा कि कौन-सी प्रणाली से मतलब सिद्ध होता है और किस क्षेत्र में। यह संभव है कि यहां वहां कुछ अन्तर हो। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसे सहारा देने के प्रयत्नों में यह आड़े नहीं आना चाहिए।

अगली बात; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को संवैधानिक दर्जा देने की है। मेरे विचार से यह पहले नहीं हुआ है। अब हम वायदा कर रहे हैं क्योंकि हम वास्तव में यह चाहते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक शक्तिशाली निकाय था—20 या 15 वर्ष पूर्व उस समय तक यह एक बहुत ही शक्तिशाली निकाय था जब तक कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से बीसियों इंजिनीयरिंग कालेज खोलने शुरू नहीं किए थे··· (व्यवधान) यह सब हुआ और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् इन सब बातों को मात्र देखती रही। अतः हमें इस परिषद् को कुछ शक्तियां देनी होंगी ताकि यह सर्वेक्षण कर सकें कि कितने इंजीनियरों की आवश्यकता है, इत्यादि। हम नहीं चाहते कि इंजीनियर बेरोजगार होकर सड़कों पर घूमते फिरें। अतः यह करना होगा। दस्तावेज में यह वायदा किया गया है कि यह किया जायेगा। हो सकता है कम से कम व्यवहारिक समय में मैं संसद में इस संबंध में कोई विधेयक या कोई और चीज पेश करूं।

इन संस्थानों का वास्तविक कार्यकलाप। हमें मालूम है कि इंजीनियरिंग कालेज मौजूद हैं। उनका साथ के गांव से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं हैं। मुझे ऐसे कृषि महाविद्यालयों के बारे में पता हैं जिनके आसपास के बहुत से गांवों में कोई भी कृषि करने का सुधरा हुआ तरीका नहीं पहुंचा है। वे कहीं और चले जायेंगे लेकिन साथ के गांव में नहीं जायेंगे क्योंकि सम्पर्क विस्तार बहुत कमजोर रहा है। जहां पर सम्पर्क कार्यक्रम अच्छे रहे हैं वहां पर यह कार्य हुआ हैं और जहां पर ये कार्यक्रम ठीक नहीं रहे हैं वहां पर यह कार्य नहीं हुआ है। अतः, हमें अब वास्तविक कार्यकलाप देखना होगा और एक प्रकार का 'सैंडविच कोर्स' आवश्यक है। अब समस्या यह है कि जहां पर आपका इंजीनियरिंग कालेज होता है वहां हमेशा जरूरी नहीं कि उद्योग भी हों। कालेज के आस-पास उद्योगों का जाल नहीं है। अतः छात्रों को काफी दूर जाना पड़ता है और उद्योगपति शायद यह पसंद न करे कि छात्र वहां आकर उनके उद्योगों में बाधा डालें। हो सकता है उनके साथ अच्छे सम्बन्ध न हों। जब हम कहते हैं कि हम कुछ वास्तविक

कार्य करने जा रहे हैं तो व्यक्तिगत, अव्यक्तिक, संस्थान और संगठनों से संबंधित सभी समस्याओं पर गौर करना होगा। यह मात्र एक वाक्य है लेकिन इसमें बहुत सारी उलझनें हैं। हम इसे तुरन्त शुरू करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे चलता है मान लो, एक वर्ष बाद !

महोदय, संरक्षण निकाय के बारे में किसी ने कहा था कि यह कार्य नहीं कर पायेगी। मुझे वास्तव में आश्चर्य है। यही तो एक चीज है जिसे काम करना चाहिए। अगर चिकित्सक को यह मालूम न हो कि वह लोगों की सेवा कर रहा है अथवा अगर वह अपनी शहर के अमीर रोगियों की प्रेक्टिस और आय से संतुष्ट हों तो यह ऐसा प्रोत्साहन नहीं हैं जिस पर हमें खर्च करना है। हमें यह देखना होगा कि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का—कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग सभी क्षेत्रों में—एक दूसरे के साथ नाता हो और सामान्य रूप से विकास के साथ सम्बन्ध हो। यह तभी हो सकता जब हमारे पास कोई निकाय हो, इसे संरक्षण निकाय कहा जा सकता है। यह आई० सी० एम० आर० और आई० सी० ए० आर० के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में इसे मूल तथ्यों को समझना होगा। आपको कितने कृषि स्नातकों की आवश्यकता है तथा कृषि स्नातक को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। आजकल चिकित्सा शिक्षा में स्वास्थ्य की ओर ध्यान न्यूनतम है। 10 वर्ष पूर्व यह नहीं के बराबर था। शायद अब थोड़ा बढ़ गया हो। इसमें और वृद्धि करने की जरूरत है। अतः इन सब बातों पर संरक्षण निकाय को विचार करना होगा। दस्तावेज में इसका वायदा किया गया है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने 'डोनेशन कालेजों' के बारे में कुछ नहीं किया है। "डोनेशन" और 'कैपिटेशन' में अन्तर है। 'डोनेशन' लेने में कोई बुराई नहीं है; अन्यथा मैं गैर-सरकारी कालेज के रूप में कालेज को कैसे चला सकता हूं। इस देश में गैर-सरकारी उद्यम ने शिक्षा के क्षेत्र में तब तक अच्छा कार्य किया जब तक ये विकृत होकर 'कैपिटेशन कालेजों' में नहीं बदल गये··· (व्यवधान)

यह वाणिज्यीकरण हैं। चाहे यह स्कूल-स्तर पर हो अथवा व्यावसायिक-स्तर पर, हमने कहा है कि हम इस वाणिज्यीकरण पर रोक लगाने जा रहे हैं। हमारा काम यहीं खत्म नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि हम ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे सार्वजनिक दान तथा सार्वजनिक उपक्रम को इस प्रकार से चलाया जायेगा जिससे इसका शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके परन्तु कैपिटेशन या स्थानों की बिक्री के लिए नहीं। यही मैंने संसद में कहा है। मैं इस पर कायम हूं। (व्यवधान)

इस पहलू की पूर्ण रूप से जांच की गयी है। जहां तक अनौपचारिक शिक्षा का संबंध है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए थोड़े विश्वास की आवश्यकता है। मुझे पक्का विश्वास है कि हममें से अधिकांश लोग—मैं स्वयं के लिए कह सकता हूं—इसकी प्रशंसा करेंगे।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मैं अनौपचारिक शिक्षा को व्यर्थ नहीं समझता। मेरे पास अनौपचारिक शिक्षा में किए गए कुछ प्रयोगों के बारे में रिपोर्टें, अच्छी रिपोर्टें हैं, जिनमें औपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम दोनों को एक-दूसरे के स्थानापन्न नहीं मान रहे हैं। वे अलग-अलग हैं। हम यह नहीं कहते कि जहां पर नियमित स्कूल हैं, हम उस स्कूल को बंद करके वहां पर अनौपचारिक शिक्षा शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। हमारा कहना है कि ये दो भिन्न प्रकार की शिक्षायें हैं। उपलब्धियों पर भी विचार करके यह पता लगाना होगा कि कौन-सा बेहतर है। मैं कह सकता हूं कि हममें से अधिकांश अनौपचारिक शिक्षा द्वारा शिक्षित हुए हैं। हमारे समय में औपचारिक स्कूल नहीं थे। हमने वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा पायी है। बिल्कुल इस तरह से नहीं जिसे हम तकनीकी रूप से आज अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं बल्कि उस तरीके से जो औपचारिक नहीं था। हम किसी स्कूल में नहीं गए और किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हममें से अधिकांश, कम से कम मेरी उम्र के लोग निश्चित ही मुझसे सहमत होंगे कि उन दिनों में ऐसी स्थिति थीं। हम ऐसे राज्यों से आए हैं जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि हम विद्यालय जायें। उन्होंने विद्यालय नहीं बनायें। उन दिनों में सरकार यह खास तौर से ध्यान रखती थी कि विद्यालय न बनें। अतः हम कैसे शिक्षित होते। यह अनौपचारिक दृष्टि से था। अत हमें इसे एक तरफ उठाकर नहीं रख देना चाहिए, इसे कुछ घटिया समझकर अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक यह अच्छा हो सकता है। लेकिन किसी अन्य मामले में यह घटिया भी हो सकता है। हमें नहीं मालूम। (व्यवधान)

पहली बार हमने ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य गांधीग्राम का दौरा करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं। अगर वे चाहें तो मैं उन्हें टोलियों में ले जाऊंगा। अगर सब एक साथ जायेंगे तो वहां लोग घबरा जायेंगे। हम छोटी-छोटी टोलियों में जा सकते हैं। आप उस क्षेत्र की उपलब्धि देखें। 100 प्रतिशत दाखिला, 100 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं, 100 प्रतिशत गांवों में रोजगार मिलता है। वे कलक्टर नहीं बन गये हैं, नहीं। लेकिन वहां उन्हें गांवों में लाभदायक रोजगार मिला है। एक संस्थान, एक काटेज तथा ग्राम उद्योग प्रति वर्ष 4½ करोड़ मूल्य का सामान तैयार करते हैं। यह ऐसी बात है जिससे आपको आशा होती है कि इस राष्ट्र में अभी भी संस्कृति के अच्छे स्रोत मौजूद हैं।

जितना संभव हो हम अगली योजना तथा आने वाली योजनाओं के माध्यम से इसे जारी रखें। मुझे विश्वास है कि कम से कम मौलिक शिक्षा को, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने किया था, पुनरुज्जीवित किया जा सकता है अन्यथा हमें उनका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमने गत 30 वर्षों में इसके लिए कुछ नहीं किया है। वास्तव में, हमने इसकी उपेक्षा की है। 'हम' से मेरा मतलब सारे राष्ट्र से है क्योंकि माता-पिता इसे नहीं चाहते। महोदय, मैं आंध्र प्रदेश में बुनियादी शिक्षा समिति का सदस्य था। हम गांव-गांव गए, हमने बहुत विस्तार से पूछताछ की; माता-पिता इसे नहीं चाहते। वे सोचते थे कि दूसरे स्कूलों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त

होगा, जहां तक उनके बच्चों का सम्बन्ध है। यह बात, लगभग 30 वर्ष पूर्व, 1957 की थी। आज उस प्रकार की शिक्षा पर लौटने की बहुत अधिक आवश्यकता है और मैं कहूंगा कि इस नीति का अनुसरण करते हुए अगर हम कुछ राज्यों में भी गांधीग्रामों की स्थापना कर पाये तो यह अच्छा होगा। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि इसे भी विकृत किया जा सकता है; यह सब इसको चलाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन मैं निश्चित ही सिफारिश करूंगा, जैसा कि नीति सिफारिश करती है, कि हमें ग्रामीण संस्थान पैटर्न की स्थापना के प्रयास करने चाहिए।

3.00 म० प०

सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अधिकतर खास तौर से दूसरी ओर के काफी सदस्यों तथा कुछ शिक्षकों का भी ध्यान आकर्षित करता रहा है; मुझे सही बात कहनी चाहिए; सिर्फ संसद सदस्यों ने ही नहीं बल्कि कुछ शिक्षकों ने भी नवोदय विद्यालयों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए हैं। मैं इस पर कुछ मिनट के लिए बोलना चाहूंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है।

ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्व समय, अपने इतिहास को इस हद तक भूल गए हैं कि हम अपने आपको छोटे-छोटे घड़ों में बांट लिया है। हमारी परम्परा विहारों की है, हमारी परम्परा शिक्षा के बड़े केन्द्रों की है जहां पर न सिर्फ सारे भारत से बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में लोग आकर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करके जाते रहे हैं। हमारे इतिहास का पुनर्निर्माण दूसरे लोगों—फाह्यान, ह्यून सांग आदि—के लेखों पर होता रहा है। अत: हमारी परम्परा यह है। अगर सम्भव हो तो हमें इस परम्परा को फिर से स्थापित करना होगा। उद्देश्य है, वास्तव में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। एक शब्द में यही कहा गया है। अब अगर कोई इसे समझना नहीं चाहता तो यह अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक प्रयोग करना चाहता हूं जो शुरू हो चुका है, आज नहीं, बल्कि कई वर्ष पहले, आंध्र प्रदेश में। कोई भी व्यक्ति मेरी बात को स्वीकार करेगा कि यह अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है, परिणाम बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र में कुछ स्कूलों को इन स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया था।

बिहार में 'नेजहट' की वास्तविक भावना इन सब स्कूलों के पीछे हैं। हमने इस तरह की कई बातें की हैं। हमने इस तरह के कुछ स्कूल खोले हैं। हो सकता है, वे एक दूसरे से भिन्न हों, और यह भी अपने किस्म का एक स्कूल होगा। अब मैं फिर से दोहराऊंगा कि यह वास्तव में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाले होंगे।

हम 1968 की भाषा नीति के बारे में बात करते रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में किसी ने भी तमिल भाषा नहीं सीखी। स्वाभाविक ही, तामिलनाडु में हिन्दी सीखने के प्रति उपेक्षा है यद्यपि लाखों लोग विभिन्न रूप से सीख रहे हैं। मैं मात्र उदाहरण के द्वारा अपनी यह बात कहना चाहूंगा कि भारत में लगभग 180 से 200 तक हिन्दी भाषी जनपद हैं। देश में

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

400 से कुछ अधिक जिले हैं। शायद हिन्दी और गैर-हिन्दी भाषा वाले 50-50 प्रतिशत हों या गैर-हिन्दी कुछ अधिक हों। मान लीजिए 200 हिन्दी जिलों के 200 स्कूलों में से 60 स्कूलों में तमिल पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। आज से पांच वर्ष बाद, इन स्कूलों में से 60 स्कूलों में तमिल पढ़ाई जायेगी क्योंकि इनमें से 20% विद्यार्थी तमिलनाडु से हैं। मैंने राजनीतिज्ञों की अपेक्षा छात्रों से ज्यादा विचार-विमर्श किया है। वे ऐसा करने को तैयार हैं।

तमिलनाडु से प्रत्येक स्कूल में 20% विद्यार्थी आयेंगे। पंजाब, बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से विद्यार्थी आयेंगे। अतः, ये सभी स्कूलों में त्रिभाषाई फार्मूला अपनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा सरकार ने तेलुगु की व्यवस्था की थी। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अध्यापक और विद्यार्थी इसे अच्छी प्रकार समझ सके हैं। जब वे हैदराबाद में आये थे तो मैं उनसे तेलुगु अकादमी के चेयरमैन की हैसियत से मिला था। मैं कहना चाहता हूं कि उनमें कुछ बेहतर तेलुगु बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने इस भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मराठी में तेलुगु से अच्छी तरह बोल सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, आप नहीं जानते कि मेरा तेलुगु का ज्ञान कैसा है ?

यह वास्तविक उद्देश्य है। यह बात नहीं है कि हमारे यहां स्कूल नहीं हैं। ग्रामीण बालकों को यह सुविधा दी जा रही है। इसे भी गलत समझा गया है। पूरे जिले का एक 'कामन ट्रेस्ट' कर रहे हैं। यानि पूरे जिले के स्कूलों में से एक स्कूल में ही यह प्रयोग क्यों किया जा रहा है ? हां, हम एक स्कूल से आरम्भ कर रहे हैं, अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो हम 10 स्कूलों में भी इसे आरम्भ कर सकते हैं। पहले से ही परिणाम का पता नहीं होता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपलब्ध थोड़ी धनराशि से यह सम्भव नहीं है, क्योंकि एक स्कूल पर ही करीब 2½ करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रो० सोज, मुझे कई संस्थानों से यह प्रस्ताव मिले हैं कि वह निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही ये स्कूल आरम्भ करने को तैयार हैं। वे इस प्रणाली के प्रति इतने अधिक उत्साही हैं कि वे इसी पैटर्न पर इन्हें खोलने को तैयार हैं···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे निजी संस्थान हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आवश्यक नहीं निजी ही हों। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो जिला परिषद स्कूलों में इस बारे में काफी दिलचस्पी ली जा रही है।···(व्यवधान)··· हम देखेंगे कि इस बारे में यहां विवाद क्यों उठाया जा रहा है ? श्रीमन्, प्रधान मन्त्री ने पहले ही कहा है कि जो स्कूल ऐसा नहीं, उनको जबरन इसे अपनाने के लिए नहीं कहा जायेगा। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप गम्भीरता से सुझाव दे रहे हैं कि जिला परिषद् इन स्कूलों का संचालन करेंगी ? उनको प्रत्येक ऐसे स्कूल हेतु 2½ करोड़ रुपये चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम गम्भीरता से कह रहे हैं कि हम उनकी सहायता करेंगे और वे स्कूलों का संचालन करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि राज्य सरकारों के वित्त से जिला परिषद् इन स्कूलों का संचालन करायें।

श्री अमल दत्त : तब क्या केन्द्रीय सरकार पैसा देगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : निश्चय ही। क्यों नहीं ? (व्यवधान) मैं अधिकारिक रूप से नहीं कह रहा। इसके लिए हमारे यहां कोई योजना नहीं है। क्योंकि आपने पूछा है, अतः मैंने कह दिया क्यों नहीं। (व्यवधान) इसे करने के कई रास्ते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस पर और चर्चा नहीं होगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं सभी आपत्तियों का उत्तर दूंगा, सिवाय अव्यावहारिक आपत्तियों के। मैं कहना चाहता हूं कि इसे पूरा करने के कई रास्ते हैं। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बालकों को पूरा लाभ मिले। उद्देश्य यह है कि हम बिना फीस वाले स्कूल स्थापित करना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। इसमें एक राज्य से कुछ छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जायेंगे। मंशा यह है कि आस-पास के स्कूलों के लिए यह स्कूल एक आदर्श स्कूल के रूप में सामने आए। आंध्र प्रदेश में ऐसा हो रहा है। 'क'—स्थल के स्कूल आस-पास के करीब 10-12 स्कूलों के लिए आदर्श स्कूल बन सकता है। कम-से-कम हमने जो कुछ किया है या जो कुछ करना है, उस बारे में यह एक सजीव उदाहरण है। समस्या मात्र भाषा की है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ाई जाती है। इन नये विद्यालयों में, क्योंकि ये छठी से आरम्भ किए जा रहे हैं अतः हम अंग्रेजी और हिन्दी से शुरू नहीं कर सकते। हम दो-तीन वर्षों तक 'ब्रिज' का सहारा लेना पड़ेगा जहां स्थानीय या कोई अन्य सहायक भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। उसके पश्चात् वे अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से बाकी के 4-5 वर्ष तक पढ़ सकते हैं। इसी आधार पर इन स्कूलों को सारे देश के लिए चलाए जायेंगे। यह प्रयोग हम करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि ये प्रयोग सफल होंगे। हम सभी तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ भाषी स्कूलों को इन स्कूलों में परिवर्तित नहीं करने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं करने जा रहे। हम नये स्कूल आरम्भ करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनमें शिक्षण की भाषा क्या होगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पहले मातृ-भाषा में पढ़ाई आरम्भ की जायेगी बाद में दो-तीन वर्षों के बाद हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखी जायेगी। ऐसा प्रस्ताव है।(व्यवधान)

प्रमुख बात यह है कि हम वास्तव में राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहेंगे। अगर राज्य सरकारें नहीं चाहती तो हम राज्य सरकारों से भूमि और आवास की मांग नहीं करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कोई अन्य संस्था भी इन्हें देने के लिए तत्पर है। उदाहरण के तौर पर, कल श्री किशोर चन्द्र देव ने इस कार्य हेतु मुझे एक भवन देने की पेशकश की थी।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अतः जहां तक श्रीकाकुलम जिले का सम्बन्ध है, आवास की समस्या सुलझ गई है। आन्ध्र प्रदेश में सबसे पहले वहां से ही शुरूआत करेंगे। तब हम आशा करेंगे कि आसपास के संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य इस कार्य हेतु, आगे आएं। इस पर आगे चर्चा करने का इस वक्त कोई लाभ नहीं है। (व्यवधान)

ऐसी व्यवस्था की गई है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये सभी शक या विवाद जो उठाये गये हैं, इन स्कूलों के भले के लिए ही उठाये गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने न केवल वादा ही किया है, बल्कि वह भवन दे भी दिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अभी तक उस भवन का अधिग्रहण नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि वह अच्छी हालत में होगा।

श्रीमन्, मैंने सभी उठाए गए मुद्दों का उत्तर दे दिया है। यह कोई विवाद में जीतने का उद्देश्य नहीं है। यह एक बड़े कार्यक्रम को आरम्भ करने की बात है। हमने ध्यानपूर्वक सोचा कि यह सम्भव है और हम ऐसा करने को तैयार हैं। कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम तैयार किया जायेगा; लेकिन मैं चाहूंगा कि सभा के माननीय सदस्य जैसे प्रो० सोज, जिन्होंने सभी संगोष्ठियों में भाग लिया, इससे सम्बद्ध रहें···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : संगोष्ठियां अच्छी थीं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब वे कहते हैं कि इन संगोष्ठियों के विचार इनमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं। उन्होंने वास्तव में यह देखने की कोशिश ही नहीं की कि क्या संगोष्ठियों में व्यक्त किए गए विचार इनमें सम्मिलित किए गए हैं। मैं सभा में इतना ही कहना चाहता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : श्रीमन्, नये शीर्षक 'मानव संसाधन और विकास' को बहुत महत्व दिया जा रहा है। अब तक जनसंख्या के बड़े हिस्से की अनदेखी की जाती रही है। अब हम चाहते हैं कि उन्हें भी शिक्षा का लाभ मिले।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैं आपसे सिर्फ दो-तीन खास बातें ही पूछना चाहता हूं। जहां तक इस पौलिसी पर हुई बहस का ताल्लुक है, यहां मुझे एक शायर का शेअर याद आता है :—

वह बात जिसका सारे फंसाने में जिक्र नहीं,
वह बात इनको बहुत नागवार गुजरी।

आप हमें बताईए, लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज के ताल्लुक से, कि इसमें आखिर हमारा क्या रहेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पूरा पैराग्राफ है। आप जरा गौर से देखिए।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : दूसरी चीज यह आती है कि माइनौरिटीज के जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, एक गवर्नमैंट तो इजाजत देती है, उसके बाद अगर कोई दूसरी गवर्नमैंट आ जाती है तो वह उस मेडिकल कालेज को खत्म करने के लिए नोटिस दे देती है तो हमारे लिए इसमें कुछ अजीबो-गरीब किस्म का हाल है।

तीसरे यह है कि कुछ माइनौरिटीज की जुबान उर्दू है तो उसके तहाफुज के लिए, उसके मदारिस के लिए, कोई चीज तो होनी चाहिए और तमाम चीज यह है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कांस्टीट्यूशन में हमको गारन्टी दी गई है, उसके तहत अगर हम अपने मदारिस और कालेजेज कायम करते हैं तो इसका तहाफुज करना चाहिए कि अगर कोई दूसरी हुकूमत आ जाती है तो जैसे आंध्र प्रदेश में हमारे लिए नई मुसीबतें पैदा कर रही है। आप यह कहते हैं कि माइनौरिटीज के लिए सरकारी मुलाजमतें तालीम याफ्ता नहीं है, इसलिए नहीं मिलतीं, अगर वह तालीम पाने के लिए मदारिस कायम करते हैं तो उनको खत्म कर दिया जाता है। आखिर यह जो पोलिसी है, इसके ताल्लुक से भी इसकी तरफ तवज्जह दी जानी चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसका जवाब बिल्कुल मुक्तसर इतना ही है कि मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि :-

खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपसे पहले हमको खबर है, ऐसा मत समझिये और आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे हाथ में है, हम आपको खाक नहीं होने देंगे।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से नाम दर्ज कराने की निर्धारित तिथि होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दस्तावेज में, जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, किसी तारीख का जिक्र नहीं किया गया।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पृष्ठ 13, पैरा संख्या 5.12 में इसका जिक्र किया गया है और मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :—

"इस प्रयास को गैर-औपचारिक शिक्षा के तन्त्रजाल के साथ पूरी तरह से समन्वित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सभी बच्चों··· ।"

कृपया ध्यान दीजिए। मैंने एक संशोधन भी देखा है, लेकिन वह दूसरे पैराग्राफ में है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) क्या आपको वह संशोधन स्वीकार है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इस संशोधन को स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। इसे पहले ही किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा सका है।

श्री अमल दत्त : महोदय, हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम पिछले दो दशकों से अपने अथक प्रयासों के बावजूद शिक्षा के लिए अधिक पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसे प्राथमिकता दी गई है। आप सर्वजन शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं या नवोदय विद्यालयों को·····

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे खेद है कि एक बात नहीं कही गई है। धनराशि की उपलब्धता के बारे में कई आशंकाएं हैं। मैं इन आशंकाओं से सहमत हूं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। एन० डी० सी० की बैठक में, प्रधानमन्त्री जी ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर किए जा रहे व्यय, जो राष्ट्रीय आय का 6% है, पर अगली योजना में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगली योजना शुरू होने से पहले, जो भी संभव हुआ, हम प्रयास करेंगे। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा है कि एन० आई० ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० के लिए जो राशि निर्धारित की गई है, उसमें प्राथमिक स्कूलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और इस पर करीब 1200 करोड़ रुपए लागत आएगी, उसमें से हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम यह चाहते हैं कि इसे प्राथमिकता दी जाए और हमने ऐसा करने का वायदा किया है। यदि कहीं स्कूल की जरूरत नहीं है तो वह पैसा किसी दूसरे काम पर खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां स्कूल की जरूरत है, वहां स्कूलों को प्राथमिकता देकर यह धनराशि लगाई जाएगी। इससे बहुत राहत मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में जहां कलक्टर और अन्य लोग वास्तव में शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वे इस धनराशि में से कुछ हिस्सा ले रहे हैं और उसे स्कूलों के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन सम्भवत: उस पर लेखा-परीक्षकों की आपत्ति तो होती ही है। अब तक ऐसा हुआ है ? प्रधानमन्त्री जी ने यह वादा किया है और योजना आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है, इससे हमें काफी राहत मिलेगी। हम निश्चित रूप से माध्यमिक और सैकेण्डरी स्कूलों पर लगाये जाने वाले धन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी खर्च कर सकते हैं। वे वास्तव में परिसम्पत्ति बन गए हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम अभी उसका परिमाण नहीं बना सकते। हमने कुल राशि के रूप में 15,000 रुपए और 18,000 करोड़ रुपए तक के आंकड़े दिए हैं। हमें अधिक पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम अगले $3\frac{1}{2}$ वर्षों में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं ? क्या हम सार्थक तरीके से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं ? मुझे आशा है और विश्वास है कि हम जो ठोस कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए पैसे की कमी नहीं होगी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। मैं आपको अभी आंकड़े नहीं बता सकता क्योंकि हम आंकड़े योजना में बताते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने ये संशोधन प्रस्तुत तो किए हैं किंतु मैंने उस बारे में कुछ कहा नहीं है। मुझे उस बारे में बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कल ही आपका नाम पुकारा था लेकिन आप उस समय उपस्थित नहीं थे।...

(व्यवधान)

अगर आप ही अनुपस्थित थे तो मैं क्या कर सकता हूं ?...

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस सभा में बड़ी अनूठी बातें हो रही हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कार्यसूची के बारे में पता था। जब आपकी बारी हो तो आपको वहां उपस्थित रहना चाहिए। जब मैंने आपका नाम पुकारा तब आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह मात्र एक दस्तावेज है, आप इसके लिए संशोधन नहीं दे सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं चाहता हूं कि सारे संशोधन पृथक से रखे जाएं और मैं प्रत्येक संशोधन पर विभाजन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी मांग कीजिए। मैं सारे संशोधन सभा में मतदान के लिए रख सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं चाहता हूं कि उन्हें पृथक-पृथक रखा जाए। किसी से भी उन संशोधनों को देखा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सबने देखा है।

श्री बसुदेव आचार्य : 30 संशोधन हैं। आप उन सब को एक साथ कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किस नियम के अन्तर्गत मुझे अलग से संशोधन रखने से मना किया जा रहा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन पहले ही रख चुके हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस समय आपका नाम पुकारा था किंतु आप यहां नहीं थे। मैंने आपको मौका दिया था पर आप उपस्थित ही नहीं थे।

श्री वसुदेव आचार्य : कब ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उस समय उपस्थित थे। आपने उन्हें खोजा था। आपने उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा भी था···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इन संशोधनों पर विभाजन चाहते हैं, तो करा सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने आपको बुलाया था पर आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कब ?

उपाध्यक्ष महोदय : कल आप कार्यवाही वृत्तांत देख सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं सभा के उठने तक यहीं था। मैंने कल ही संशोधन रखे थे। मैं अब बोलना चाहता हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस समय यहां नहीं थे। मैंने आपको बुलाया था।

श्री वसुदेव आचार्य : वह अपने संशोधन पहले ही रख चुके हैं। अब वह बोलना चाहते हैं। क्या कार्यवाही वृत्तांत में इसका जिक्र किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन मंत्री महोदय के उत्तर से पहले रखे जा सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं जानना चाहता था कि क्या मैं उस समय बोल सकता हूं। आपने कहा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर से पहले, आप इस बारे में बोल सकते हैं।

श्री अमल दत्त : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले वह संशोधन कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैंने 'उन्हें संशोधनों' पर बोलने का अवसर दिया था।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कल सभापति महोदय ने उन्हें संशोधन रखने की अनुमति दी थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब मुद्दा यह है कि मैं सभी संशोधनों पर मतदान के लिए दबाव नहीं डालना चाहता। किंतु···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि आप किन संशोधनों पर मतदान कराना चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब तक मैं उन पर नहीं बोलूं, आप उन्हें मतदान के लिए कैसे रख सकते हैं। आप कृपया मुझे बताइए। (व्यवधान) आपको मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कौन से संशोधन मतदान के लिए रखना चाहते हैं ? आप मुझे बताइए। लेकिन मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वह बिना बोले संशोधन कैसे रख सकते हैं ? यह ठीक नहीं है···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : इस तरह से सभा का समय नष्ट किया जा रहा है। अब तक वह अपनी बात समाप्त भी कर लेते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। मुझे नियम से चलना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन मुझे कल बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बुलाया गया था। लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने उन्हें बोलने के लिए कब बुलाया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप रिकार्ड देख लीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन रखने के लिए आया था जब मैंने पूछा कि क्या मैं बोल सकता हूं। तो मुझे कहा गया 'अभी नहीं'।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा था।

श्री गुलाम नबी आजाद : एक बार विनिर्णय आ जाने के बाद आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : विनिर्णय क्या दिया गया है। किस नियम के अंतर्गत दिया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते, तो सभा को मेरे द्वारा दिए गए संशोधनों के बारे में कैसे पता चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें परिचालित किया जाता है।

श्री वसुदेव आचार्य : आप उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं अपने प्रत्येक संशोधन के लिए मतदान कराना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए। क्या आप प्रत्येक संशोधन के लिए मतदान कराना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने प्रत्येक संशोधन के लिए नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रत्येक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रत्येक संशोधन पर मत-विभाजन चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैंने उनका नाम पुकारा था। वह उपस्थित नहीं थे।

श्री नारायण चौबे : अब तक वह अपना भाषण समाप्त कर चुके होते। अमूल्य समय नष्ट किया गया है। सदन का समय अनावश्यक रूप से नष्ट किया गया है। 10 मिनट बीत चुके हैं। वह अपनी सब बात कह चुके होते।

श्री वसुदेव आचार्य : अन्यथा कृपया ये 30 संशोधनों को स्वीकार कर लीजिए आप सभी संशोधन स्वीकार कीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। फिर हम नहीं बोलेंगे और बात खत्म हो जाएगी··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं केवल इतना ही सुझाव दे सकता हूं। आप पहले ही परिचालित किए जा चुके संशोधनों की संख्या बता सकते हैं। आप बताइए आप कौन-सा संशोधन मतदान के लिए रखना चाहते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं चाहता हूं कि मेरे सभी संशोधन पृथक-पृथक रखे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी संशोधन अलग-अलग रखूं। तो मैं ऐसा कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : 30×2=60 (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उन्हें अपनी बात 4 मिनटों में पूरी कर लेनी चाहिए। कृपया उन्हें अनुमति दीजिए। कोई आफत नहीं आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे इसमें 1 घंटा लगे। मैं बुरा नहीं मानूंगा। संशोधन संख्या 1

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह संशोधन संख्या एक क्या है ? मुझे समझ नहीं आया··· (**व्यवधान**)

हम यहां उपस्थित हैं। नियम बने हैं। हमें समझना चाहिए कि संसद में क्या हो रहा है। अब तक उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर लिया होता। हम पहले ही समय गंवा चुके हैं। हम यहां समय गंवाने के लिए नहीं आए हैं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई भी पूर्व उदाहरण नहीं बनाना चाहता।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाईये। कृपया मेरी बात सुनिये। संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के मैनुअल के पृष्ठ संख्या 336 (ख) अंग्रेजी संस्करण, में लिखा है :—

"कोई भी सदस्य इस आधार पर बोलने का दावा नहीं कर सकता कि उसका संशोधन कार्य-सूची में है। अध्यक्षपीठ किसी भी ऐसे सदस्य को बोलने के लिए आमन्त्रित करने के लिए बाध्य नहीं है जिसका संशोधन कार्य-सूची में है। यदि अध्यक्ष पीठ कार्य-सूची के अनेक संशोधनों में से किसी एक संशोधन को विचारार्थ लेता है और वाद-विवाद को सीमित करता है तो उस संशोधन पर सभा के निर्णय से सभी संशोधन या अन्य संशोधन अनावश्यक अथवा निरर्थक हो जायेंगे।"

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह परिपाटी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इसे परिपाटी कह रहे हैं। इसके बाद आप कुछ और बात पर बहस करेंगे। यह नियम है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम संख्या 359 में दिया गया है :—

"नियम 358 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-विवाद एवं अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जायेगा।"

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन हम सदस्यों को पहले ही परिचालित कर चुके हैं। इसलिए अगर कोई भी सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय अगर कुछ कहना चाहता है तो वह अपनी स्वेच्छा से उसे पढ़ सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप उन्हें तीन मिनट का समय अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिये दीजिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि संशोधन हैं कौन-कौन से।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। प्रत्येक के पास उसकी प्रति है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय मंत्री जी उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास एवं गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : इस मामले "मौनम असम्मति लक्षणम" वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः वह आपके संशोधनों को मन्जूर नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : "मौन" सर्वदा "सम्मति लक्षणम" है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे यही कहना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 1

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह संशोधन संख्या 1 है। शिक्षा को अनिवार्य एवं सबके लिए बनाना।

श्री वसुदेव आचार्य : बहुत अच्छा संशोधन है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का मजाक है।

(व्यवधान)

श्री पी० वी नरसिंह राव : यह अनावश्यक संशोधन है। अगर आप सारी चीज को पढ़ें तो इसका प्रावधान उसमें पहले ही किया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : जब आप शिक्षा को अनिवार्य बना रहे हैं तो आप··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये···

अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1, सब डिवीजन (1) को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(1) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1(2) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन 1(2) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 1(3) को सभा के मतदान लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(3) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1(4) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(4) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1(5) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(5) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1(6) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(6) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1(7) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(7) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(8) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(8) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(9) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(9) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(10) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(10) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(11) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(11) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(12) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(12) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(13) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(13) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(14) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(14) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(15) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(15) मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(16) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(16) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(17) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(17) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(18) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(18) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(19) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(19) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(20) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(20) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(21) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(21) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(22) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(22) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(23) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(23) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(24) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(24) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(25) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(25) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(26) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(26) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(27) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(27) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(28) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 1(28) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(29) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1(29) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(30) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है : —

"परा 12.2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"12.3 यह केवल सभी के लिए शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति से ही संभव है।"···(30)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इस पर विभाजन करवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1(30) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं इस पर मत-विभाजन करवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1 (30) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 (30) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"यह सभा 2 मई, 1986 को सभा-पटल पर रखे गये राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं। मद संख्या 6, बल्कि 6,7 और 8 अब हमें समय निर्धारित करना होगा।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मद संख्या 6 और 7 पर चर्चा एक साथ, परन्तु मतदान अलग-अलग किया जा सकता है। मेरे ख्याल से एक घण्टा काफी होगा क्योंकि सारा काम आज ही खत्म करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, एक घण्टा काफी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे कुछ आपत्ति कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तब, हम प्रत्येक के लिए आधा घण्टा निर्धारित करेंगे।

श्री नारायण चौबे मिदनापुर) : क्यों, आधा घण्टा भी क्यों ? आप हर एक को पारित कर सकते हैं जिस तरह आप और पारित कर देते हैं। **(व्यवधान)** क्या फायदा है ? ऐसे विधेयकों को यहां लाने का क्या फायदा है ?

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : यहां 42 सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। माननीय मंत्री जी बोलने वाले हैं।

श्री एच०के०एल० भगत : मेरा कहना है कि अगर आप अलग-अलग चर्चा करना चाहते हैं तो अलग बात है। बहुत विवादास्पद मामले हैं। हम कार्य को समय पर समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक को एक घण्टा दिया जाना चाहिए।

श्री एच०के०एल० भगत : तब आपको 6 बजे के बाद भी बैठने के लिए तैयार रहना होगा।

श्री पीयूष तिरकी : ठीक है, हम बैठेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमारे समक्ष अब तीन विधेयक हैं और दो घण्टे बचे हैं। पहला एक महत्वपूर्ण विधेयक है और अन्य दो संशोधी विधेयक हैं। इसलिए पहले विधेयक को एक घण्टा और अन्य दो विधेयक में से प्रत्येक को आधा-आधा घण्टा दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंजूर है। पर इसमें मंत्री जी का उत्तर भी शामिल होगा।

3.50 म० प०

पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी इस विधेयक के महत्व पर जोर देने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। हम गम्भीर पर्यावरण समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा हमारा स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा खतरे में है। गैर-नियोजित ढंग से कूड़ा-करकट फेंकने और विषैले रसायनों या स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक अन्य तत्वों का उपयुक्त ढंग से निपटान न करने के कारण हमारी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए गम्भीर,समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भोपाल गैस दुर्घटना ने हमें औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण मानव समाज स्वास्थ्य और पर्यावरण को हो वाले सकने खतरों से अवगत करा दिया है। भोपाल गैस दुर्घटना से पूर्व और बाद में छोटे पैमाने पर गैस रिसाव की बहुत सी घटनाएं घटी हैं।

माननीय सदस्य इन घटनाओं के प्रति लगातार चिन्ता और ऐसी घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त बचाव उपाय करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कारगर ढंग से नियन्त्रित करने की जरूरत पर सदन में बार-बार जोर दिया गया है। सरकार माननीय सदस्यों की चिन्ता से पूरी तरह अवगत है और जांच कर रही है कि इस कार्य के लिए कानूनी ढांचे और विनियामक एजेन्सियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उद्योगों, जहां दुर्घटना होने से वहां काम करने वाले कामगारों को ही खतरा नहीं होता बल्कि आसपास में रहने वाले निवासियों और पर्यावरण को भी खतरा हो जाता है, मैं विशेष रूप से सभी स्तरों पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बन्धी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए भी यह जरूरी है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 3 दिसम्बर, 1985 को मैंने संसद में वक्तव्य दिया था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों को मजबूत किया जाएगा। मौजूदा प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है।

मैं इस प्रस्तावित विधेयक, के मुख्य पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। प्रस्तावित विधेयक जटिल वैज्ञानिक, तकनीकी और संगठनात्मक मामलों से सम्बन्धित विषय पर कानून बनाने के लिए है। विधेयक का स्वरूप सामान्य है और इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने के उपबन्ध दिए गए हैं। यह पहलू हाल ही में उभरा है और इस दिशा में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। कानून को लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके अपेक्षित विषयों के बारे में मार्गनिर्देश, स्तर, मापदण्ड, प्रक्रिया आदि निर्धारित करना जरूरी हैं। विधेयक के बन जाने पर ऐसे नियम बनाने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाएगी।

प्रस्तावित विधेयक द्वारा केन्द्र सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर व्यापक उपाय कर सकेगी। हाल ही में यह बात विशेषरूप से स्पष्ट हो गई है कि ऐसी शक्तियों की जरूरत है। विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषणकारी पदार्थों के निस्सरण या प्रवाह के बारे में मानक स्पष्ट किए जा सकते हैं। परिसरों, संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी, माल तैयार करने की प्रक्रिया, माल का निरीक्षण किया जा सकता है और प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रित और उसे कम करने के लिए उपयुक्त निदेश दिए जा सकते हैं। प्रदूषण के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को सुधारात्मक उपाय करने के आदेश दिए जा सकते हैं या ऐसी कार्यवाही उसके खर्च पर की जा सकती है। हानिकारक तत्वों की देखरेख के लिए प्रक्रिया और स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं। जिन दुर्घटनाओं से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है उसे नियन्त्रित करने के और ऐसी दुर्घटना हो जाने पर उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया और मानक निर्धारित किए जा सकते हैं।

विधेयक में ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे आपात स्थिति में तेजी और कारगर ढंग से कार्यवाही हो। दुर्घटना या अनपेक्षित घटना के कारण वास्तविक रूप से प्रदूषण या उसकी आशंका होने पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सूचित करने के सम्बन्ध में उपबन्ध है ताकि इसके लिए निर्धारित अधिकारी तेजी से उपचारात्मक कार्यवाही कर सकें। सम्बन्धित विनियामक एजेंसियां और

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

अभिधारकों को सूचित करने के अलावा काम बन्द करना और बिजली और पानी जैसी आपूर्ति और सेवाओं को बन्द करना सम्भव होगा। विधेयक में व्यवस्था है कि कुछ स्थानों पर विशेष श्रेणी के उद्योगों, कार्यों अथवा प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती हैं या सुरक्षात्मक उपायों के होने पर ही उसकी अनुमति दी जा सकती है। इस उपबन्ध से इस बात में सहायता मिलेगी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उद्योग, कार्य या प्रणाली घनी आबादी वाले या पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित न हों और अगर अपरिहार्य हो तो इन कार्यों के लिए दूसरी जगह ढूंढी जाए।

3.56 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों या अन्य अधिकारियों के कार्यों में समन्वय कर सकती है। इस समय पर्यावरण सम्बन्धी मामलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए कानून हैं। ऐसे कानूनों के अन्तर्गत विनियामक एजेंसियां/निरीक्षणालय हैं जो केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर काम करते हैं। मौजूदा कानून सामान्यतय: विशिष्ट हानिकारक या खतरनाक तत्वों या प्रदूषण की किस्मों पर ध्यान देता है। इनमें उन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें पर्यावरण सुरक्षा के लिए नियंत्रित करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में मौजूदा विनियामक एजेंसियों का क्षेत्राधिकार नहीं है। औद्योगिक और पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए पर्याप्त सम्पर्क का अभाव है। मौजूदा कानून क्योंकि पर्यावरण के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान देते हैं इसलिए विनियामक एजेंसियों को अपने सीमित दायरे में ही काम करना पड़ता है। वैसे पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में दीर्घकालीन और सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। विभिन्न विनियामक एजेंसियों के नियमों, कार्यों अथवा प्रक्रिया को अद्यतन करना भी जरूरी है। इस समय औद्योगिक या सम्बन्धित कार्यों से पर्यावरण से होने वाली क्षति को रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्राधिकरण या उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मौजूदा विनियामक एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते या उससे बाहर है इसलिए पर्यावरण सम्बन्धी मौजूदा विनियामक एजेंसियों के कार्यों में समन्वय करने के लिए, दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षण के तरीकों का पता लगाने तथा पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाली आपात स्थिति होने पर पर्याप्त एवं तीव्र गति से कार्यवाही करने के लिए एक प्राधिकरण की जरूरत है। इसलिए विधेयक में प्रस्तावित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक प्राधिकरण की व्यवस्था है।

जहां तक सम्भव होगा, नया कानून मौजूदा अधिनियमों के उपबन्धों का उपयोग करके लागू किया जाएगा और प्रस्तावित प्राधिकरण अन्य विनियामक एजेंसियों को निर्देश दे सकेंगे। वैसे प्राधिकरण का इरादा विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्य कर रही किन्हीं मौजूदा विनियामक एजेंसियों का स्थान लेना नहीं है।

4.00 म० प०

प्रस्तावित कानून में कठोर सजा की व्यवस्था है। अधिनियमों के प्रावधानों का उसके अधीन बनाए गए नियमों, आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक ऐसी अवधि के लिए, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, कारावास दिया जायेगा या एक लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा या दोनों दण्ड दिए जाएंगे। और यदि दोषसिद्धि के बाद भी बराबर उल्लंघन किया जाता है तो 5000 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। हम ये कड़े उपाय करने जा रहे हैं। यदि दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष बाद भी बराबर उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए सात वर्ष तक की कारावास की सजा दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारियों को 60 दिन का नोटिस देने के बाद से निजी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रस्तावित विधान के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार बाधित हैं।

महोदय, कानून में पर्यावरण के संरक्षण के लिए केवल व्यवस्था ही की जा सकती है। और आवश्यक जागरुकता पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि सरकारी और स्वैच्छिक एजेंसियां मिलकर काम करें। वास्तव में, पर्यवेक्षण सब जगह व्यापक है और इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सभी स्तरों पर पूरी जनसंख्या उसके संरक्षण में सहयोग करे।

महोदय, मुझे विश्वास है कि विधेयक के प्रारूप में जिन प्रावधानों का जिनमें प्रस्ताव किया गया है जिनमें से कुछ का उल्लेख मैंने अपने भाषण में संक्षेप में किया है उनसे सरकार अधिक प्रभावी ढंग से पर्यावरण का संरक्षण कर सकेगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यदि आप खंड 1,34 खंड (2) को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है। अब, मेरी राय में यह सातवीं अनुसूची पहला भाग, प्रविष्टि 97 के अन्तर्गत आता है।

सभापति महोदय : कृपया मुझे बताइए कि व्यवस्था का क्या प्रश्न है। किस नियम का उल्लंघन किया गया है ? व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : वह कहते हैं कि इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर में नहीं किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : उन्हें कहने दें । आपको नहीं कहना है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यदि आप इसे पढ़ें तो देखेंगे कि इसमें यह कहा गया है कि इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : संविधान की प्रविष्टि 97 जम्मू और कश्मीर पर जिस प्रकार से लागू होती है उसी प्रकार वह इस पर लागू नहीं होगा । मैं यही मुद्दा उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : न्यायालय द्वारा उसका निर्णय किया जा सकता है । कोई भी न्यायालय जा सकता है । यहां नहीं । ना मंजूर किया जाता है ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मैं विधेयक लाने का विरोध नहीं कर रहा हूं । यह तकनीकी बात है । मेरा मुद्दा नियम 376 के अन्तर्गत है । भारत के संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 कहता है कि जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं ली जाती है तब तक पूरे भारत में लागू होने वाले भी किसी अधिनियम को जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता है । श्री डोगरा का शायद यह मतलब है कि मंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल की सहमति प्राप्त कर ली होगी ।

सभापति महोदय : 376 केवल यह कहता है । व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है । और कुछ नहीं ।

श्री पी० नामग्याल : संविधान का अनुच्छेद 370 है ।

सभापति महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री पी० नामग्याल : भारत के संविधान का अनुच्छेद 370

सभापति महोदय : इसका किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है कृपया आप मुझे बताइए ।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं आपको बताता हूं । कोई भी अधिनियम जिसे संसद बनाती है । जो पूरे भारत में लागू होता है । इसे स्वतः जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। इस मुद्दे का विनिर्णय भी न्यायालयों द्वारा किया जाना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। यदि आप महसूस करते हैं कि सदन के किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो केवल तभी आप व्यवस्था का प्रश्न उठाएं।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं इसीलिए उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : यदि किसी भी बात का न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना है तो इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। अतः इसे नामंजूर किया जाता है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री पी० नामग्याल : हम इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं हैं। हम इस अधिनियम का स्वागत करते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, परन्तु···(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, श्री माधव रेड्डी। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा के 20 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला

(2) श्री वसुदेव आचार्य

(3) श्री जैड० आर० अंसारी

(4) श्री भट्टम श्री राम मूर्ति

(5) श्री सोमनाथ चटर्जी

(6) श्रीमती ऊषा चौधरी

(7) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(8) श्री मूल चन्द डागा

(9) प्रो० मधु दंडवते

[श्री सी० माधव रेड्डी]

(10) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(11) श्री अब्दुल रशीद काबुली

(12) डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी

(13) श्री पी० कुलनदईवेलु

(14) श्री हन्नान मोल्लाह

(15) श्री डी० एन० रेड्डी

(16) श्री के० रामचन्द्र रेड्डी

(17) श्री वी० तुलसी राम

(18) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(19) श्री गिरधारी लाल व्यास

(20) श्री सी० माधव रेड्डी

और राज्य सभा के 10 सदस्य :

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति ने राज्य सभा द्वारा नियुक्त 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (1)

महोदय, मैं इस उपाय का, जिसका सदन के सभी वर्गों द्वारा समर्थन किया जाना है, स्वागत करता हूं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और हम सभी इस बारे में बहुत अधिक चिंतित है। लेकिन मैं इस समय बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दी में तैयार किया गया है। इसमें कई त्रुटियां है और इसमें नौ त्रुटियों की एक सूची को परिचालित किया गया है। (व्यवधान)

इसे कल अध्यक्ष जी की अनुमति से पुर:स्थापित किया गया था और आज इसे विचार करने के लिए लाया गया है। महोदय, यदि यह सामान्य विधेयक होता जिसमें एक या दो खण्डों का संशोधन होता तो माननीय सदस्यों को इसका अध्ययन करने में, इसे समझने में तथा इस पर बोलने में आसानी होती। परन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम 10 वर्षों या इससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे सामने लाया जा रहा है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टाकहोम में हुए सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर है जो 1972 में हुआ था। महोदय, मैंने स्टाकहोम सम्मेलन के प्रतिवेदन को देखा है जिसमें 109 सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों सहित हमारे देश को भी की गई हैं। हम सभी इसका समर्थन करते हैं, हमने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि इसको लाना चाहिए परन्तु हमने 12 वर्षों तक इन्तजार किया लेकिन अब जब हम इस विधेयक को ला रहे हैं यह केवल व्यापक विधेयक है। मंत्री जी अभी कह रहे थे और वह ठीक कह रहे थे कि सरकार नियमों को बनाने के लिए शक्तियां प्राप्त कर रही है जिसका अर्थ वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जो आप रखना चाहते हैं या वे सभी महत्वपूर्ण उपाय जो आप करना चाहते हैं, आप नियमों में शामिल करना चाहते हैं। क्या मैंने ठीक कहा हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जी हां, आप ठीक हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : जहां तक सरकार की नियम बनाने सम्बन्धी शक्तियों का सम्बन्ध है, ये प्रशासनिक और कार्यान्वयन हिस्से से सम्बन्धित हैं ताकि अन्य उपायों के बारे में जोकि हम लेने जा रहे हैं। अगर आप स्टाकहोम सम्मेलन की सभी 109 सिफारिशों को शामिल करेंगे तो यह नियम—पुस्तक 500 पृष्ठ की बन जायेगी। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर सरकार कुछ देर इन्तजार कर लेती तो बेहतर रहता। और स्टाकहोम सम्मेलन की तरह सभी राज्यों और संबंधित एजेन्सियों का एक सम्मेलन बुला लेते तो अच्छा रहता क्योंकि विधान बनाना एक अलग बात है लेकिन जब तक लोग इच्छुक न हों, जब तक कानून को लागू न किया जाए, पारिस्थितिकी को बचाया नहीं जा सकता। आप लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे ? आप लोगों को कैसे शामिल करेंगे ? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही कई कानून विद्यमान हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि वे व्यापक नहीं है। वे विशिष्ट जोखिमों से सम्बन्धित कानून हैं और ये कानून विद्यमान हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्य सरकारों को इन समस्याओं से कोई वास्ता ही नहीं है। आप परिपत्र भेजते रहें। लेकिन वे सुनेंगे ही नहीं। ऐसा इसलिए है कि वे इनमें सम्मिलित नहीं है और इनके प्रति समर्पित नहीं हैं। वे देश की पारिस्थितिकी का महत्व नहीं जानते। आप उन्हें कैसे सम्मिलित करेंगे ? मुझे स्टाकहोम सम्मेलन से पूर्व कई देशों की याद दिलाई जा रही है। इस सम्मेलन से पूर्व कोई भी देश इस समस्या के प्रति गम्भीर नहीं था। 1972 के पश्चात् जब सब देशों ने मिलकर इस पर गम्भीरता से कई दिनों तक विचार करने के पश्चात् इसको महसूस किया गया। इस देश में आप इसे कैसे महसूस करवायेंगे ? जब तक सभी सम्बद्ध एजेंसियों का इस पैमाने पर सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं हो जाता, मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है। यह मात्र कानूनी पुस्तकों में ही रहेगा और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा कई उपाय किये जाने हैं। आखिरकार कार्यान्वयन करने वाला तंत्र

[श्री सी० माधव रेड्डी]

वही हैं। अभी आपने कुछ स्वयंसेवी एजेंसियों का जिक्र किया है। लेकिन राज्य सरकारों के विभागों ने ही इसे ज्यादातर लागू करना है। आप इन विभागों को कैसे शामिल करेंगे ? क्या आपने विधेयक का प्रारूप तैयार करने से पूर्व उन सबको बुलाकर विचार-विमर्श किया था ? नहीं ऐसा नहीं किया गया। यह ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें लोगों को शामिल करना होगा। कई एजेंसियों को शामिल करना होगा। अगर आज गढ़वाल जिले में पेड़ों का कटना रुक गया है तो इसका श्रेय श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा चलाये जा रहे चिपको आन्दोलन को जाता है। उनके द्वारा चलाये गए जनान्दोलन के कारण यह सम्भव हो सका है। इसी प्रकार औद्योगिक गंदगी या अन्य मुश्किलों में भी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए और प्रशासन को भी इसमें शामिल होना चाहिए। राज्य सरकार के मंत्रियों, राजनैतिक तंत्र, गैर-राजनैतिक प्रशासनिक तंत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया। मेरा विरोध यही है। यही कारण है। हालांकि मैं विधेयक का स्वागत कर रहा हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसमें शीघ्रता की जा रही है और इस सभा में इसे प्रस्तुत किये जाने से पहले, इस पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। मेरे पास समयाभाव है और मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं महसूस करता हूं कि मेरे संशोधन को संयुक्त प्रवर समितियों को सौंप दिया जाए, ताकि प्रवर समिति प्रत्येक राज्यों के मुख्यालय का दौरा करके, वहां बातचीत करें। और पता लगाए कि इस बारे में क्या करना है और सरकार की इस बारे में क्या मंशा है, यह भी बताया जाना चाहिए। तब तक व्यापक विधेयक तैयार करके, सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, पर्यावरण विधेयक पर चर्चा करते समय मुझे यहां पर पर्यावरण पर हुए दो महत्वपूर्ण वाद-विवादों का स्मरण हो जाता है—1980 में मां के बलात्कार पर और 1982 में सूखते जा रहे सागर पर और इस चर्चा में सारे सदन ने भाग लिया था।

पहली बार हम पर्यावरण से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं। आरम्भ में, मैं सरकार, इस मंत्रालय के प्रभारी माननीय प्रधान मंत्री और पर्यावरण राज्य मंत्री को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने देर से ही सही, संबंध में अच्छे कार्य आरम्भ किये हैं।

पहली बात जो आज हुई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते समय, यह देखकर खुशी हुई कि इसमें पर्यावरण शिक्षा संबंधी भी एक अध्याय जोड़ा गया है। यह उत्साहवर्धक है। मैं आशा करता हूं कि वर्षाकालीन अधिवेशन तक, वन संरक्षण के लिए संशोधित वन-संरक्षण अधिनियम सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मैं सरकार द्वारा दो नई एजेंसियों—केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण और राष्ट्रीय बेकार भूमि विकास बोर्ड की स्थापना से भी प्रभावित हुआ हूं। मैं जानता हूं कि भावी पीढ़ी को इसके लाभ मिलने लगेंगे। लेकिन इन्हें पूरा करना है और मैं आशा करता हूं कि सभी इन कार्यक्रमों में सहयोग देंगे।

मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी बताना चाहता हूं

कि, हमने कांग्रेस पार्टी में पर्यावरण कक्ष स्थापित किया है और मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सभी दल भी अपने-अपने यहां ऐसे ही पर्यावरण कक्ष स्थापित करें।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ विषम विसंगतियों की ओर दिलाना चाहता हूं। पर्यावरण सरंक्षण विधेयक पर विचार-विमर्श करते समय मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 100 से भी अधिक संसद-सदस्यों का एक संगठन –संसदीय पर्यावरण संगठन है। इस सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व कम-से-कम इसे इस संगठन के सामने पेश किया जाना चाहिए था, जिससे कई नये विचार, मूल विचार सामने आ जाते। फिर भी, अब इसे सभा में प्रस्तुत किया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक अच्छा विधेयक है। इस विधेयक से इस कार्य हेतु बनाये गए पूर्व वे सभी कानूनों को सरंक्षण मिलेगा। इससे सरकार या कार्यान्वयन निकाय द्वारा पर्यावरण नियमों को लागू करने में दिखाई गई विफलता की आवाज उठाने में नागरिक को अधिक अधिकार मिल गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बातों को शामिल किया जाना चाहिए था। पहली बात तो यह कि विकसित देशों, जैसे अमेरिका आदि के साथ सौहार्दयपूर्ण संबंध बनाये जाने चाहिए। वहां पर करीब 50 वर्षों से अगर सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाती तो कोई भी नागरिक सरकार पर इसके लिए मुकदमा चला सकती है। इस अंश को इस विधेयक में भी जोड़ा जाना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि पर्यावरण विभाग में कोई कानूनी कक्ष भी है लेकिन अगर नहीं भी है तो इसके अधीन ऐसा कक्ष होना चाहिए जोकि सरकार को भी अच्छी बातों की सलाह दे सके।

दूसरी बात जो मैं कई वर्षों से कहता आया हूं कि मोफूस्सिल न्यायालय या न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक सरकार की विफलता के लिए इन न्यायालयों में सरकार पर मुकदमा चला सके। याचिका-दाता को इन सभी प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए···

सभापति महोदय : आपका तात्पर्य 'चलते-फिरते न्यायालयों से हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : जी हां, वैसे ही, जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए हैं। देश में पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूकता आने और प्रकृति के सरंक्षण के लिए विभिन्न नियमों के लागू होने, चाहे ये वन्य जीवन या प्रदूषण आदि के लिए हमें चलते-फिरते न्यायालय स्थापित करने चाहिए, जिससे ग्रामीण स्तर पर नियमों में छूट देनी चाहिए।

मुझे नियम 193 के अधीन इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी गई, अतः मैं इस मामले की ओर सभा का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मैं केवल 3-4 मिनट ही बोलूंगा। आरा-मिलें हैं। आरा-मिलों के संबंध में कोई नीति नहीं है। वनों को समाप्त करने में ये आरा-मिलें सबसे घातक एजेंसियां सिद्ध हुई हैं। आरा-मिलों क बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न पूछा था और मुझे नकारात्मक उत्तर मिला था।

दूसरे मैंने, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे उपबंध किये जाने के बारे में प्रश्न किया था कि राज्य सरकारों द्वारा जिला पर्यावरण समितियों का गठन किया जाए, जिसे केन्द्र और राज्य

[श्री दिग्विजय सिंह]

दोनों मिलकर वित्तपोषण करें। ऐसा उपबंध है। लेकिन वास्तव में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। लेकिन इसके बिना आप आम स्तर तक कैसे चेतना पैदा करेंगे ? मैं चाहता हूं ऐसा शीघ्र ही इसी वर्ष कर दिया जाए। इस बारे में देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रश्न पूछा था। लेकिन उत्तर गलत दिया गया। प्रश्न यह था कि क्या भारत और फ्रान्स के मध्य कोई समझौता हुआ है। उत्तर में कहा गया कि नहीं, श्रीमन ! प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण फ्रान्स के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत सहयोग से कार्य कर रही हैं।

जो उद्योग घनी आबादी से दूर शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें करों में छूट दी जायेगी। प्रश्न यह पूछा गया था, घनी आबादी में से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने पर कितने उद्योगों को करों में छूट दी गई हैं; भूमि और सम्पत्ति बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उस मशीनरी का क्या मूल्य है, जिस पर धनकर नहीं लगेगा अगर उसे पाँच वर्षों के पश्चात् पुनः निवेश कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस पर अच्छी चर्चा होगी।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : श्रीमन्, इस कानून का स्वागत है। इस विषय पर हमें एक आम कानून की आवश्यकता थी और आपने इसे प्रस्तुत कर सराहनीय कार्य किया है। एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक को एक आदर्श और अच्छा विधेयक भी कहा है।

मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अगर आप इसके अधिकतर भाग को देखें तो पायेंगे कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। इस विधेयक में भविष्य में पर्यावरण के बारे में आप जो कदम उठायेंगे उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। यह मात्र 20 प्रतिशत ही कानून है। कानून का मुख्य अंश, अधिनियम में निदेशित (क) निर्देशों (ख) उपायों और (ग) नियमों से बनाये जायेंगे। अब, जब विधेयक पारित हो जायेगा, तब आप भविष्य में उपाय करेंगे। हम नहीं जानते कि ये उपाय क्या होंगे। केवल इस बारे मे विषय ही दिये गये हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत निदेशों का उल्लेख किया है। अन्य नियमों में दिये गये उपबंधों के अलावा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियों के तहत, लिखित में निदेश जारी कर सकती है। उद्योगों को बन्द करने, किसी उद्योग को जारी रखने या चलाने संबंधी निदेश इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ऐसे निदेश कब जारी किये जाने चाहिए, या इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उद्योग कब बन्द किया जाना चाहिए। शक्तियों का इतना अधिक प्रयोग, सही अर्थों में कानून नहीं है। शक्तियां का प्रत्यायोजन इससे काफी कम होनी चाहिए। इनका अधिकांशतः उल्लेख विधेयक में ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 60 से 70 प्रतिशत का उल्लेख विधेयक में होना चाहिए था और 30 प्रतिशत नियम बनाने वाले लोगों, निदेश देने वाले लोगों और उपाय करने वाली शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है। आज हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इसके लिए किस सजा का प्रावधान है ? सजा को पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुमाने के साथ थी। जुर्माने की ही राशि 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अतः सभी उद्योगपति जोकि इसका उल्लंघन करेंगे, जुर्माना अदा करना ज्यादा

पसन्द करेंगे ? और जुर्माना अदा करके, फिर आजाद घूमेंगे । जब तक आप पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जेल की सजा आवश्यक नहीं कर देते तब तक कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री रेवुपद दास (कृष्णनगर) : महोदय, यह विधेयक भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में लाया गया है । हमें प्रसन्नता है कि आखिर इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के प्रबन्ध से सम्बन्धित पहलुओं को सम्मिलित करना है । यह एक अच्छा कानून है और अगर इसको लागू किया जाता है तो इसका लाभ होगा अन्यथा इस प्रकार के अच्छे विधेयक का महत्व समाप्त हो सकता है । मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा । मैं दो बातें भी कहना चाहूंगा ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के उपबंधों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सकेगा । जहां तक हमें ज्ञात है, कुम्भ मेले के दौरान, लगभग करोड़ों रुपये हरिद्वार में नालों की सफाई तथा अन्य सफाई सेवाओं पर खर्च किये गये थे । यह बहुत अच्छी तरह से किया गया था, इसमें शक नहीं, लेकिन यह उच्च अधिकारियों के कहने पर किया गया था, यह कतिपय दबावों के अन्तर्गत किया गया था तथा कर्मचारियों को काम करने पर मजबूर किया गया था । वास्तव में, नगरपालिकाओं की स्वयं मैं, अपने क्षेत्रों में उचित सफाई सेवा उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं है । उदाहरण के तौर पर, गंगा के दोनों तरफ सैकड़ों नगर पालिकाएं हैं जो गंगा के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये अपना सारा दूषित जल गंगा में डालते हैं; इस तरह से जल इतना दूषित हो गया है कि उसका पीने तथा अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता । यह अब पवित्र जल नहीं रह गया है जैसाकि यह हुआ करता था । सम्पूर्ण नदी की सफाई के लिए एक 'गंगा एक्शन प्लान' है, और इस एक्शन प्लान पर अमल किया जायेगा ।

जहां तक मुझे मालूम है, कई शहरों के लिए पश्चिम बंगाल में 8 योजनायें हैं और लगभग 68 करोड़ रुपया 'गंगा एक्शन प्लान' के अन्तर्गत स्वीकृत किए गये थे, लेकिन अब तक योजना को लागू करने के लिए केवल एक करोड़ रुपये दिये गये हैं । अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राधिकरण, सरकार, इन योजनाओं को धन नहीं दे सकी ।

दूसरी बात यह है कि पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण में लोगों को शामिल करना होगा । उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष के अनुसार, आम जनता जल प्रदूषण फैलाने में केवल 5 प्रतिशत तक जिम्मेदार है लेकिन नगर पालिकायें जल प्रदूषण फैलाने में 60 से 80 प्रतिशत तक उत्तरदायी हैं । उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं । अतः नगर पालिकाओं तथा अन्य सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे इस पर ध्यान दें और जल को दूषित न करें ।

4.28 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, यह बिल एक उद्देश्य को बताता है, पर उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, विभिन्न मैजर्स क्या होंगे, इसके विषय में बिल साइलेंट है। मैं माननीय अन्सारी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून बनाना ही काफी नहीं है, कानून कैसे एन्फोर्स किया जाएगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, उसके लिए आपके पास एक विधिवत मशीनरी होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो मशीनरी है वह प्रापरली मैंड नहीं है। उसको और ज्यादा स्ट्रेंथेन करने की आवश्यकता है। प्रदेशों में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और वाटर पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड हैं मगर वे किस तरीके से काम करते हैं इस विषय में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय पर्यावरण के सुधार के लिए जहां कानून बनाने की आवश्यकत है उससे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में हम इन कानूनों के अनुपालन के लिए एक जागरूकता पैदा करें।

इसमें एक चीज यह है कि कुछ क्षेत्रों में तो पर्यावरण के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनके विषय में लोगों का आइडिया यह हो गया है कि यह कानून उनके हितों को संरक्षण देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ कहीं-कहीं पर इन कानूनों का उपयोग होगा। जिस तरीके से अभी मेरे मित्र दिग्विजय सिंह ने फारेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट 1980 का जिक्र किया, यह ऐक्ट जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था उसकी पूर्ति नहीं करता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से जन-जाति बहुल क्षेत्र हैं जहां वन अधिक हैं। वे लोग यह समझने लगे हैं कि यह फारेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट उनके हितों का संरक्षण करने के लिए नहीं है।

पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक इसके लिए है। इसी तरह की भावना पैदा होती जा रही है। इस संदर्भ में मेरा एक निवेदन है, जब इसके विषय में डिसकशन्स हों तो कम से कम ऐसे एरियाज, जहां फॉरेस्ट की बहुत बड़ी संख्या है, वहां के लोगों की राय ली जानी चाहिए। वहां के लोगों के मन में यह भावना पैदा की जानी चाहिए, कानून बनाकर किसी चीज को रोका जाता है, तो साथ-साथ यह लगना चाहिए कि कानून के विकल्प के रूप में फायदा उठाने का काम हो रहा है।

जहां तक लोगों को जानकारी देने की बात है, आपने एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कमेटी बनाकर राज्य सरकारों द्वारा घोषित करने की बात की थी। इसके विषय में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज लेवल पर पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता है। उसको कोआर्डिनेट करने के लिए सैन्ट्रल बॉडी बनाने की आवश्यकता है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं माननीय मंत्री का एक बात की तरफ ध्यान दिलाना

चाहता हूं; वह दूसरे कानूनों के प्रभाव से है "जैसा कि विधेयक के खंड 24(1) और (2) में कहा गया है। इसके अनुसार :

"परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा या उसके अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, रेडियोधर्मी वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में, और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में उससे असंगत किसी बात होते हुए भी प्रभावी होंगे।

जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य अधिनियम के अधीन भी दण्डनीय किसी अपराध का गठन करता है वहां ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी अन्य अधिनियम के अधीन, न कि इस अधिनियम के अधीन, दंडित किये जाने का दायी होगा।"

अत: उदाहरण के तौर पर, पर्यावरण के लिए, जंगलों की कटाई को रोका जाना चाहिए। एक भारतीय वन अधिनियम है और एक राज्य वन अधिनियम भी है। उसमें, सजा बहुत कम है; मात्र जुर्माना या कुछ माह का कारावास। लेकिन इसमें जुर्माने के अलावा, पहले अपराध के लिए पांच वर्ष के कारावास की और दूसरी बार अपराध करने पर सात वर्ष की सजा है। अत: इस अधिनियम का क्या होगा जब यह कहा गया है कि यह एक व्यापक विधेयक है ? पर्यावरण का अर्थ है वनों की कटाई रोकना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों में, क्या होगा यह है कि लोग वनों की कटाई करेंगे और उन्हें इस अधिनियम के तहत सजा नहीं दी जा सकेगी।

दूसरे, जल प्रदूषण के सम्बन्ध में, राज्यों के अपने कानून हैं, केन्द्र का भी कानून है। वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में भी केन्द्र का एक और कानून है। तो, इस कानून का क्या असर है ? अगर प्रदूषण होता है—जल प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण—और वन काटने वाले अपराधियों को उन अधिनियमों के अन्तर्गत सजा दी जायेगी और न कि इस विधेयक के अनुसार जब यह कानून बन जायेगा। अत:, मैं नहीं समझता कि इस विधेयक में जो अधिक सजा रखी गयी हैं उससे कोई व्यक्ति डरेगा। इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सक्षम नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से यह उन लोगों को सजा नहीं देगा जो कानून का उल्लंघन करके जल प्रदूषण फैला रहे हैं तथा वायु मंडल को दूषित कर रहे हैं। मेरे विचार से मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

अगर आप इसे एक व्यापक अधिनियम कहते हैं तो इस अधिनियम के उपबंधों को अन्य अधिनियमों पर हावी होना चाहिए। अत: व्यवहारिक रूप से इस विधेयक में दी गयी दंड की व्यवस्था निष्प्रभावी और बेकार होगी।

इस विधेयक के खंड 19 में किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने की गुंजाइश है। मेरे विचार से, खाद्यान्न मिलावट अधिनियम में ऐसा उपबंध था। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि

[श्री सोमनाथ रथ]

कितने लोगों ने इस अधिकार का लाभ उठाते हुए अपराध करने वालों के खिलाफ अदालतों में शिकायतें दर्ज की हैं। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस शिकायत का खर्च कौन वहन करेगा ? इसे नियमों में स्पष्ट किया जाना चाहिए; अन्यथा अपराधियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए शायद कोई व्यक्ति आगे नहीं आयेगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो कृपया इन दो पहलुओं पर विचार करें।

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक हित में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक इस माननीय सभा के सामने 10-12 वर्ष पहले लाया जाना चाहिए था। लेकिन स्टाकहोम सम्मेलन के पश्चात् बहुत-सी सिफारिशें की गयी हैं—लगभग 109 सिफारिशें की गयी हैं। उन सिफारिशों पर आप एक विधेयक ला रहे हैं वह भी भोपाल गैस घटना तथा अन्य दूसरी गैस घटनाओं के बाद।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विधेयक के खंड 17 और 23 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

खंड के अनुसार :

> "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।"

मान लो अगर वह कहता है कि उनकी जानकारी के बिना यह हुआ है और वह अपराध के लिए दोषी नहीं है। अब इस आड़ में कोई भी कानून से बच सकता है। अतः इस खंड को और अधिक कठोर बनाया जाए ताकि इसमें सरकारी अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जा सके।

खण्ड 23 'प्रत्यायोजन करने की शक्ति' से संबंधित है। आप सिर्फ अधिकारी अथवा राज्य सरकार को शक्ति प्रत्यायोजित कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राज्य की शक्तियों को हथिया रहे हैं। विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए राज्यों को पूरी शक्तियां देनी होंगी, केवल तभी अधिनियम जनहित में होगा और राज्य सरकारों के पास भी दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्तियां होंगी।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने कहा है वातावरण प्रदूषण तथा अन्य चीजों की वजह से परिस्थिति को पूर्णतया ठीक से नहीं रखा जा रहा है, और इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है। मैं माननीय मंत्री से लोगों को इस पहलू पर शिक्षित करने का निवेदन करता हूं।

हमें लोगों को शिक्षित करना होगा केवल तभी यह विधेयक लोगों के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री तथा पर्यावरण राज्य मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। विधेयक में पर्यावरण के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सरकार, अन्य कम्पनियों और व्यक्तियों के कर्त्तव्यों के बारे में भी टिप्पणी की गई है।

मैं आपका ध्यान खंड 17 की ओर दिलाना चाहूंगा।

> "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।"

इसका संबंध केवल अपराध करने से है जबकि पहले इस बात पर बल दिया गया कि कर्त्तव्य न किए जाने और चूक को भी अपराध सम्बन्धी गतिविधियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। नगरीय समितियां तथा डी०डी०ए० गन्दगी फैला रहे हैं जो दिल्ली का वातावरण दूषित करते हैं। इनके अन्तर्गत खुली गंदी नालियां भी हैं और मलव्यवस्था के टैंक भी हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता के लिए टैंक के समीप रहना कठिन हो जाता है। वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। यद्यपि योजनाएं अलग थी फिर भी किसी प्रकार का समाधान न मिलने के पूर्व बहाने से उन्होंने यह टैंक बनाए हैं। इस प्रकार की गतिविधियां, जैसे, सेप्टिक टैंकों की मलव्यवस्था अथवा खुली नालियों में गंदे पानी को बहने देना चूक हैं। यह वचनबद्धता (अपराध करने) के कार्य में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। नगरीय गतिविधियां भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने चाहिएं।

दीवानी न्यायालय इसके बाहर रखे गये हैं। उन्हें अपने अधिकार में किसी प्रकार का मुकदमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह एक स्वागत कदम है अपितु बहुत-सी मुकदमेबाजी होंगी, किन्तु मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का आश्वासन दें कि न केवल यह नियम तदनुसार बनाए जाएं किन्तु बचाव के रास्ते भी बन्द किये जाएं। महोदय प्रत्येक विभागाध्यक्ष यह साबित करने का प्रयत्न करेगा कि अपराध उसके छोटे कर्मचारियों ने उसकी जान-पहचान के बिना किये हैं। विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है कि कनिष्ठ अभियन्ता अथवा कंपनी के किसी कर्मचारी को दण्ड दिया जाए किन्तु विभाग अध्यक्ष को ही दण्ड दिया जाए। अत: इन त्रुटियों को रोका जाए। जब किसी मंत्री को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई गल्तियों के लिए त्याग-पत्र देना है···इस प्रकार की त्रुटियों के लिए कम्पनी अथवा विभाग के अध्यक्ष को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए। महोदय, इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं, और यह इस देश में पर्यावरण के लिए अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। हिन्दुस्तान में जहां भी कारखाने बनें वहां ज्यादा से ज्यादा जमीन पर पेड़ लगने चाहिए। कारखानों के पास काफी जगह होनी चाहिए जिससे कि वे पेड़ लगा सकें। कारखाने वालों के लिए इसकी पालना करना जरूरी होना चाहिए ताकि जो हवा खराब होती है वह पेड़ों से शुद्ध हो जाए।

साथ ही साथ हमारी गोदावरी नदी में जो पोल्युशन है, उसको भी साफ करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिएं। यह जो देश में पानी का पोल्युशन हो रहा है, हवा का पोल्युशन हो रहा है, इनको दूर करने के लिए काफी प्रबंध होने चाहिएं। देश में ग्रीन रेवोल्युशन लाने से हवा शुद्ध हो सकती है जो लोग पोल्युशन करते हैं या पोल्युशन के लिए जो एक्ट है उसकी पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ सैन्ट्रल गवर्नमेंट को सख्त सजा देने की घोषणा करनी चाहिए। अगर यह काम स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है तो वह इसे आगे पीछे कर सकता है। मैं तो चाहता हूं कि इसके लिए एक इंडीपैंडेंट बोडी होनी चाहिए जो कि इंडीपैंडेंटली एक्शन ले। अगर इसके लिए इंडीपैंडेंट बोडी नहीं होती है और कारखाने वालों के ही इन्स्पेक्टर लोग होते हैं तो उनसे इस एक्ट की पालना नहीं होगी। इसलिए चाहे सैन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके लिए इंडीपैंडेंट बोडी बनाये। किसी भी कारखाना मालिक के इन्स्पेक्टर से काम नहीं चल सकता। मैं चाहता हूं कि यह काम इन्डीपैंडेंटली होना चाहिए।

जिस वक्त आप किसी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस दें तो उस फैक्ट्री लगाने वाले पर यह कंडीशन लगाई जानी चाहिए कि फैक्ट्री गांव से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर होगी और उस फैक्ट्री के पास दो-तीन एकड़ जमीन ऐसी हो जिसमें कि पेड़ लगे हों। तभी फैक्ट्री की हवा से जो पोल्युशन होगा, वह शुद्ध होगा।

इन बातों को कहता हुआ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं। इस बिल के बारे में काफी दिनों से महसूस किया जा रहा था कि ऐसा बिल आना चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर पराशर ने शंका व्यक्त की है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें अधिकारियों का जो उत्तरदायित्व है उसमें ढीलापन लग रहा है। इसमें कुछ सुधार करें। मैं चाहूंगा कि आप निश्चित तौर से उत्तरदायित्व हेड आफ द डिपार्टमेंट पर सौंपें। नहीं तो क्या होगा कि अगर किसी कलेक्टर के खिलाफ दरख्वास्त जाती है तो जांच होते-होते अन्त में लेखपाल को ही अपराधी माना जाता है कहीं ऐसा न हो कि किसी कम्पनी की गलती के लिए कम्पनी का कर्मचारी अपराधी माना जाए।

देश में पोल्युशन की जो स्थिति है वह हम सब जानते हैं। अभी दो-चार रोज पहले मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं कि वहां फैक्ट्रियों के धुएं के कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल के

कारण वहां जीवन दूभर हो गया है। वहां सारे जंगल का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। वहां पर अधिकारी लोग जाना नहीं चाहते। जो वहां हैं वे वहां से अपना ट्रांस्फर कराना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मिर्जापुर क्षेत्र का एक स्पेशल सर्वे करा कर इसको आधार बनाएं कि वहां जीवन किस तरह से दूभर हो गया है।

यह जो सारे देश के लिए बिल लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें जो कमियां हैं उनको आपको दूर करना चाहिए। फॉरेस्ट्स बड़ी तेजी से कटे हैं, जंगल उजाड़ होते जा रहे हैं। अभी जो हमारा फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट है उससे जनता में बड़ी खराब धारणा फैलती जा रही है। आपने जो कंजरवेटर को अधिकार दिए हैं वह जनता पर मुकदमे कायम कर रहा है। दस-दस हजार मुकदमे उसने कायम किए हुए हैं। वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और एक-एक कंजरवेटर की आमदनी एक-एक लाख रुपये हो गई है। इसलिए आप कठोर नियम और कानून बनावें और उनका पालन निश्चित तौर से करावें ताकि वहां की आम जनता कोई कठिनाई महसूस न करे।

इतना कहता हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में एक प्रभावशाली कदम है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को नियन्त्रित करने (रोकने) के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि समय सीमित है, सभी मुद्दों पर बात करना संभव नहीं होगा। अतः मैं माननीय मंत्री के समक्ष केवल कुछ बातें रखूंगा।

प्रदूषण को रोकने के अतिरिक्त हमें अपने आस-पास के वातावरण की सुरक्षा भी करनी है। अनेक सदस्यों ने कहा है और हम सभी जानते हैं कि वातावरण के प्रदूषण का एक कारण वनों (का सफाया) को वृक्षहीन करना है। इस संबंध में मैं यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज वनों के लिए मुख्य संकट केवल इमारती लकड़ी के लिए पेड़ काटना ही नहीं है। मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां बहुत सा ऐसा क्षेत्र है। मुझे प्रतीत होता है कि कोयला बनाने के लिए पेड़ काटना वनों के लिए एक महान संकट है। उन्हें कोयले की एक निर्धारित मात्रा तैयार करने के लिए पर्मिट मिलता है और उस पर्मिट से वह पेड़ काटते रहते हैं। इसमें बहुत-सा भ्रष्टाचार है और इसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह कोयले के लिए पेड़ काटने को रोकने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाएं। कोयला बनाने के पर्मिट सभी राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिए जाने चाहिएं। मेरा विचार है कि यह वनों को वृक्षहीनता से बचाने के लिए बहुत हद तक सहायक हो सकता है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह सफेदे के पेड़ों की खेती के सम्बन्ध में हैं। इस सम्बन्ध में अनेक विवादास्पद समाचार हैं और बहुत लोगों

[श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव]

का यह विचार है कि इन क्षेत्रों में सफेदे के पर्यावरण के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि यह भूमि को भी प्रभावित करता है, इसके पश्चात् कोई पैदावार नहीं होती। लोग कहते हैं कि यह किसी लिए भी लाभदायक नहीं है; यह केवल ईंधन के लिए लिए लाभदायक है। इसके अतिरिक्त यह भूमि जल स्रोत्रों को भी प्रभावित करता है और भी अनेक तत्व हैं जो इस प्रकार की उपज के लिए लाभदायक है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए केन्द्र से कुछ कदम उठाएं (उपाय करें), और उस वन भूमि अथवा ऐसी पहाड़ी ढलानों पर सफेदे की अन्धाधुंध खेती को रोक लें जिनको वृक्षहीन किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि वह कोयला बनाने को रोकने के लिए सुनिश्चित कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

केवल यही दो बातें मुझे कहनी थी। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने मुझे यह बातें कहने के लिए अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने महबूब वजीरेआजम और उसके साथ ही इज्जतमाब वजीरे-जंगलात व माहौलियात को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वे इस बिल को लेकर आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस बिल को लाने का मकसद चन्द बड़े-बड़े शहरों तक सीमित है तो शायद हम सही काम नहीं कर पायेंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी निगाह और आपका जो अमल है वह शहरों की सीमाओं को तोड़कर उन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाए जहां बड़े-बड़े उद्योगपति, टाटा, बिड़ला और इस किस्म के लोग उन जगहों पर गए हैं, जो नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं और वहां जाकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हैं और पूरे माहौल का नाश कर दिया है। उदाहरण के लिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र सतना की ही बात करना चाहता हूं, मध्यप्रदेश का सतना लोक सभा क्षेत्र जहां सतना, केमोर और मैहर तीन सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और ऐसा लगता है कि उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों और आस-पास रहने वाले लोगों को इन्सान नहीं माना जाता है। जबसे मैं चुनकर यहां आया हूं, एक साल से इसके बारे में आवाज उठाता रहा हूं, इन बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ लोक सभा में क्वेश्चन्स के माध्यम से और डिबेट में भाग लेकर, लेकिन हर बार यही एक जवाब दिया गया और असली बातों को छोड़कर, उन उद्योगपतियों की पूरी सुरक्षा की गई और उनको संरक्षण दिया गया। उनके हाथ इतने लम्बे हैं कि उनका संरक्षण करने वाले अधिकारी आपके मंत्रालय में और सचिवालय में बैठे हैं और जब तक उनका संरक्षण इनको प्राप्त है, तब तक इनका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे मेरे साथ चल कर देखें सतना, कैमोर और मैहर का इलाका, जहां सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहां बीस-बीस मील दूर तक यह नहीं कहा जा सकता

कि इन्सान सही सलामत और सेहतमंद व आजाद समाज के अंदर जिन्दा रहते हैं। उस बीस मील के इलाके में फसलें तबाह होती हैं मवेशी मरते हैं, इन्सानों की सेहत तबाह होती है और जो लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं वे आदमी हैं या जानवर हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।

मैं चाहूंगा कि जहां आपने इस बिल के अन्दर और बातें की हैं, वहां आप उसमें यह भी प्रोविजन रखें कि उन इलाकों में जहां इण्डस्ट्रीज के पोल्यूशन से, जहां के खेत, जहां के मवेशी, इन्सान की सेहत, मजदूरों के खानदान बरबाद होते हैं, उनको कम्पनसेशन दिला सकें, मुआवजा दिला सकें, इस बात का ध्यान रखें।

एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी गवर्नमेंट आफ इण्डिया की बहुत-सी ऐसी अन्डरटैकिंग्स हैं मेरे चुनाव क्षेत्र में जियरतलाई नाम का एक स्थान है जहां बोकारो स्टील प्लान्ट की आपकी लाइम की माइन्स है, मेरे क्षेत्र में वहां जाकर देखिए। इसके बारे में यहां पर कहा और क्वेश्चन भी किए, लेकिन खेद की बात है कि वहां के अधिकारियों ने पूरी बात को छिपाकर भारत सरकार तक असली बात नहीं आने दी। वहां भी भारत सरकार की अन्डरटेकिंग में जिस तरह से मजदूर रह रहे हैं, वह भी हमारे लिए शर्म की बात है, दुख की बात है। उस तरफ भी आप देखिए। और वहां के अधिकारी जिस प्रकार का अत्याचार और अन्याय इन मजदूरों के साथ कर रहे हैं वह भी चिन्ताजनक और खेदजनक बात है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, पहली बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके यह देख लीजिए कि क्या जम्मू-काश्मीर को भी एक्सटेंड हो सकता है या नहीं। उसूली तौर पर हम इस बिल के साथ हैं। मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत कारामद है, बहुत मुफीद है और खासतौर से इसका ताल्लुक जम्मू-कश्मीर के साथ है। वहां की इकोलाजी, एनवायरनमेंट में बहुत सारे मसायल पैदा हो गए हैं। उनको ठीक करने के लिए इस किस्म के कानून की बड़ी जरूरत थी। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कान्सटीच्युशन में आर्टिकल 370 के तहत सेवन्थ शेड्यूल फर्स्ट लिस्ट एन्टरी 97 रेज्युडरी पावर्स के नीचे यह आ रहा है। उसमें यह जम्मू-काश्मीर को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जब तक स्टेट लेजिस्लेचर इसकी इजाजत नहीं देता, जब तक वे इसको कबूल नहीं करते, तब तक यह बिल वहां नहीं हो सकता। यहां से इस बिल को जम्मू-काश्मीर पर डाइरेक्टली नाफीस नहीं कर सकते। इसलिए, डिप्टी स्पीकर के माध्यम से यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस एरर को देख लीजिए। कहीं कोई गलत बात न हो जाए। परसों की बात है, मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, उसमें बाकायदा मेन्शन किया गया था कि :

[अनुवाद]

"यह विधेयक जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।"

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

[हिन्दी]

इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट, जहां से पूरे मुल्क को रोशनी मिलती है, यहां से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि ताजमहल को बहुत खतरा है। इस किस्म के मानूमेंट को बचाना है। आयल रिफाइनरी मथुरा में है, मैं नहीं जानता कौन-सा उपाय, कौन-सा रास्ता आपने निकाल दिया है, अगर नहीं निकाला है तो निकालना चाहिए।

जम्मू-काश्मीर का डल लेक ही दूरदर्शन पर दिखाया गया था। वह जबर्दस्त कसाहट का शिकार हो चुका है। वह डल लेक काश्मीर की खूबसूरती का ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की खूबसूरती की एक मिसाल है और उस डल में इस कदर कसाहट जारी है। वह डल झील खत्म हो रहा है। जम्मू-काश्मीर ने डवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी फाइनेंशियली मदद की जाए। इस किस्म के जो झील हैं, उनको बचाया जाए। इस किस्म की इण्डस्ट्री वहां पर लगवा दीजिए जिससे कसाहट न बढ़े, पोल्युशन न बढ़े। इसलिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बिल हमें मजमूई तौर पर कबूल है। हम चाहेंगे कि जम्मू-काश्मीर में लेजिस्लेचर इसको रिकेमन्ड करे। लेकिन आप बराहेरास्त उसको जम्मू-काश्मीर तक नहीं ला सकते जब तक आप उसमें यह मेंशन न करें।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

ڈپٹی اسپیکر صاحب جہاں تک اس بل کا تعلق ہے پہلے بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ جموں کشمیر کو بھی ایکسیڈ نٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اصولی طور پر ہم اس بل کے ساتھ ہیں۔ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل بہت کار آمد ہے بہت مفید ہے اور خاص طور سے اس کا تعلق جموں کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہاں کی ایکولوجی انوائرمینٹ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لئے اس قسم کے قانون کی ضرورت بڑی تھی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کانسٹی ٹیوشن میں آرٹیکل ۳۷۰ کے تحت سیونتھ شیڈول فرسٹ لسٹ اینٹری ۹۷ رسیڈری پاورس کے نیچے یہ آ رہا ہے۔ اس میں یہ جموں کشمیر کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک اسٹیٹ لیجسلیچر اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ اس کو قبول نہیں کرتے تب تک یہ بل وہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے اس بل کو جموں کشمیر پر ڈائریکٹ لی نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لئے ڈپٹی اسپیکر کے مادھیم سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ایریا کو دیکھ لیجئے کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ پرسوں کی بات ہے مسلم ویمینس پروٹیکشن بل پاس ہوا اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا کہ:۔

"The B[illegible] [illegible] to Jammu & Kashmir."

اس لئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ جہاں سے پورے ملک کو روشنی ملتی ہے یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیئے۔ اس طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ تاج محل کو بہت خطرہ ہے۔ اس قسم کے مونومینٹ کو بچانا ہے۔ آئل ریفائنری متھرا میں ہے میں نہیں جانتا کون سا پائپ کون سا راستہ آپ نے نکال دیا ہے اگر نہیں نکالا ہے تو نکالنا چاہیئے۔

جموں کشمیر کا ڈل لیک کل ہی دوردرشن پر دکھایا گیا تھا۔ وہ زبردست کساہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ ڈل لیک کشمیر کی خوبصورتی کا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی خوبصورتی کی ایک مثال ہے اور اس ڈل میں اس قدر کساہٹ جاری ہے۔ وہ ڈل جھیل ختم ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر نے ڈیولپمنٹ کے لئے پروجیکٹ بنایا ہے اس کی فائننشیلی مدد کی جائے۔ اس قسم کے جو جھیل ہیں ان کو بچایا جائے۔ اس قسم کی انڈسٹری وہاں پر لگوا دیجئے جس سے کساہٹ نہ بڑھے پولیوشن نہ بڑھے۔ اس لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بل ہمیں مجموعی طور پر قبول ہے ہم چاہیں گے کہ جموں کشمیر میں لیجسلیچر اسکو ریکمینڈ کرے۔ لیکن آپ براہ راست اس کو جموں کشمیر تک نہیں لا سکتے جب تک آپ اس میں یہ مینشن نہ کریں۔)

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : मैं पर्यावरण के संरक्षण के विधेयक का समर्थन करता हूं और पर्यावरण के बारे में सरकार को उनके द्वारा दृढ़ निर्णय लिए जाने के लिए बधाई देता हूं जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि किसी को जीव-जन्तु, पौधों और भूमि के हित के विरुद्ध कार्य करते पाया गया या कोई गलती पायी गयी तो निरन्तर निगरानी रखी जाएगी तथा दण्ड दिया जाएगा।

परन्तु महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हालांकि पहले नियम और विनियम बनाए गए परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि न्यूनतम अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। उद्योगों को लाइसेंस देने में सरकार बहुत उदार है और इसके परिणामस्वरूप देश में विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र में अनियोजित औद्योगीकरण हुआ है। एक बार संयंत्र या फैक्ट्री के लिए भूमि प्राप्त कर ली जाती है तो यह केवल उस भूमि पर ही प्रभाव नहीं डालता जिसमें यह लगायी जाती है बल्कि 25 किलोमीटर की दूरी तक आस-पास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है और पूरे क्षेत्र को प्रदूषित करता है।

जहां तक सीमेंट संयंत्र का संबंध है प्रदूषण बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए बिलासपुर जिले के अकालतारा में 10 किलोमीटर के भीतर दो सीमेंट कारखाने हैं। परन्तु ये 50 किलोमीटर तक भूमि के उपजाऊपन तथा क्षेत्र के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। महोदय, पर्यावरण पूरी तरह से वनों के साथ सम्बन्धित है। परन्तु हमारे देश की भौगोलिक भूमि के 3005 लाख हैक्टेयर में से 1000 लाख हैक्टेयर भूमि वन भूमि के रूप में होनी चाहिए परन्तु केवल 700 लाख हैक्टेयर भूमि वन भूमि है जिसमें से 50 प्रतिशत केवल तथाकथित वन हैं और 25% केवल घने जंगल हैं। इसलिए पुनः वन रोपण होना चाहिए। इस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार को वन कटाई पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान कोरबा, भारत में सबसे बड़े औद्योगिक नगर की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां न केवल वातावरण में प्रदूषण है बल्कि कार्बन मोनोआक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड में भी वृद्धि हुई है तथा वातावरण में आक्सीजन की कमी है। परन्तु वायु मंडल में असंतुलन ही इस बात का मुख्य कारण है कि न केवल मानव जाति बल्कि पौधों के लिए भी समस्या पैदा हो रही है। महोदय, यह आय का मुख्य साधन है। यह पौधों को भी प्रभावित कर रहा है। आपकी सूचना के लिए साल वृक्ष समाप्त हो रहे हैं जो कि एक आर्थिक हानि भी है। अन्त में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्र पर ध्यान से निगरानी रखनी चाहिए और मैं विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर अधिक जोर देना चाहता हूं जैसा कि बिलासपुर जिले में है जहां दो कागज मिलें—बुक बांड कागज मिल तथा मध्य प्रदेश कागज मिल है जो अरोपा तथा हसदेव नदियों को प्रदूषित कर रही हैं। जो लोग और पशु इन नदियों के जल का उपयोग करते हैं वे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इससे बच्चों को खूनी दस्त और बहुत-सी अन्य बीमारियां होती हैं क्योंकि इसमें क्लोरिन और कास्टिक सोडा अधिक मात्रा में होता है। इसलिए, मैं सरकार से इन पर निगरानी रखने और नियमों तथा विनियमों को बनाने का अनुरोध करता हूं और निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों

[डा० प्रभात कुमार सिंह]

द्वारा इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को अपने संयंत्र नियमित करने के लिए कहा जाना चाहिए, ताकि इससे कोई वायु या जल का प्रदूषण न हो सके।

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, वायु प्रदूषण के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई अधिनियम नहीं है। अधिनियम है परन्तु मुख्य प्रश्न इसके कार्यान्वयन के बारे में है। यदि इसको बनाया जाता है और यदि इसको उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम का कोई फायदा नहीं है। अतः जहां तक वायु और जल प्रदूषण का संबंध है तो यह निजी उद्योगों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों की भी जिम्मेदारी है। प्रदूषित पेय जल के कारण केवल लोग ही पीड़ित नहीं होते हैं बल्कि पशु भी पीड़ित होते हैं। अतः यह कार्यान्वयन का प्रश्न है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ जिले में हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स का एक उदाहरण देना चाहता हूं जिस पर वायु और जल प्रदूषण के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। जिला अधिकारियों द्वारा कई बार उन्हें चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। यह कहा जाता है कि "अच्छे कार्य को अपने घर से शुरू किया जाना चाहिए।" अतः शुरू में केन्द्रीय सरकार को इसका ध्यान रखने के लिए अपने उपक्रमों को निदेश देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि निजी उद्योगों के साथ कड़ाई नहीं बरती जानी चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि सभी समस्याओं को सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्मानित सभा के सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है, धन्यवाद देता हूं। वस्तुतः यह सदन की इच्छा थी और माननीय सदस्य इस प्रकार के विधेयक के लिए काफी लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह सामान्य प्रकार का एक संरक्षणकारी अधिनियम है। अन्य अधिनियम, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण की देखभाल करते हैं, जल अधिनियम, वायु अधिनियम हैं तथा औद्योगिक उपक्रमों में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी हमारे पास उपबन्ध हैं। हमारे पास मोटर वाहन अधिनियम है। कई बहुत अधिनियम हैं जो विशेष क्षेत्रों में प्रदूषण का ध्यान रखते हैं। परन्तु सरकार ने उचित समझा कि हमें सामान्य विधान लाना चाहिए जिसमें इन क्षेत्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा जो अधिनियम पहले से हैं उन्हें भी सुदृढ़ करना चाहिए।

उन अधिनियमों को समर्थ बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है और हमारा प्रस्ताव है तथा हम विचार कर रहे हैं कि उन अधिनियमों को किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए जो पहले से वहां हैं और जिसके अन्तर्गत प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है तथा पर्यावरण में सुधार हो रहा है।

5.00 म०प०

यह क्षेत्र बहुत तकनीकी किस्म का है। कुछ माननीय सदस्यों ने एक आपत्ति उठाई है कि यह कानून आधे से भी कम है तथा आधे से अधिक नियमों, निर्देशों तथा अन्य बातों के लिए छोड़ा गया है। यह सच है क्योंकि यह क्षेत्र बहुत तकनीकी किस्म का है और इस प्रकार के तकनीकी क्षेत्र में जब तक हम इन तकनीशनों और इन तकनीकी लोगों से परामर्श नहीं करते तब तक हम पूरा व्यापक कानून नहीं ला सकते। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विधेयक में दिये गये प्रत्यायोजित विधान के ज्ञापन के तीसरे पैरे को देखें जिसमें यह उल्लेख है :

"वे विषय जिनकी बाबत खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे बहुत तकनीकी और विशेषज्ञता वाले विषय हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में विस्तृत अध्ययन, अनुसंधान और अन्वेषण के बाद ही नियम बनाना सम्भव होगा।"

अत: परामर्श करके इस पर कार्रवाई करनी होगी···

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अनेक देशों ने इस कानून को पहले ही बनाया है। वे आपके मार्गदर्शन के लिए वहां हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मुझे माननीय मंत्री को सूचना देते हुए खेद हो रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। मेरी जानकारी कम हो सकती है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं इस तरह के कानून को लाना इस देश के लिए गर्व की बात है और इस विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार का कानून नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं यह मेरी जानकारी है। नि:सन्देह मेरी बात कुछ गलत हो सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या यह किसी अन्य देश में है। परन्तु इस तरह का कानून जो सभी तरह से व्यापक है जो प्रदूषण के प्रत्येक साधन का और प्रत्येक क्षेत्र का जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखता है—जहां तक मेरी जानकारी है मैं नहीं समझता कि किसी देश में इस प्रकार का कोई संरक्षणकारी कानून है। यदि माननीय सदस्य इसके विपरीत कोई जानकारी दें तो मैं अपनी बात ठीक करूंगा। यही कारण है कि हमने यह सोचा कि बहुत अधिक समय बीत गया है। वास्तव में इस कानून को भोपाल की भयंकर घटना के बाद लाया जाना चाहिए था। हमने इस कानून को बनाने में बहुत अधिक समय लिया है और हम नहीं चाहते कि इस मामले में और विलंब किया जाये। इसलिए हम इस कानून को लाए हैं, और तकनीकी लोगों द्वारा तथा तकनीकी लोगों के साथ परामर्श करके इसकी तकनीकी बातों पर विचार किये जाने के लिए छोड़ दिया है। हम निश्चित रूप से इस सम्मानित सभा के सामने इन नियमों सहित, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाएंगे, आयेंगे। इस प्रश्न का यही उत्तर है।

एक प्रश्न जो उठाया गया है राज्यों को विश्वास में लेने के बारे में है और यहां स्टाकहोम की तरह सम्मेलन बुलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये मामले किस तरह से होते हैं। हम स्टाकहोम सम्मेलन के अन्तर्गत प्रविष्टि 17 के साथ पठित अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत इसे केन्द्रीय कानून लाये हैं, और उस अनुच्छेद में राज्य विधान सभाओं से परामर्श करना आवश्यक

[श्री जियाउर्रहमान अन्सारी]

है। यह आवश्यक नहीं है। निस्सन्देह हम इन सभी एजेंसियों, सभी मशीनरी का उपयोग करेंगे, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है परन्तु यदि आवश्यकता हुई तब हम इस प्रकार का तंत्र बनायेंगे जो उन पहलुओं को एक साथ देख सकेगा तथा एक प्रकार का समन्वित प्रयास करना होगा। मुझे खेद है कि यह प्रविष्टि 17 नहीं है, यह प्रविष्टि 13 है। केन्द्रीय सूची का अनुच्छेद 253 है।

एक माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं। हमने खण्ड 90 के अंतर्गत यह अधिकार निजी व्यक्ति को दिया है ताकि जो व्यक्ति कुछ औद्योगिक उपक्रमों या नगर पालिका प्राधिकार या किसी व्यक्ति या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से प्रभावित होते हैं उन्हें इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य एजेंसियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए परन्तु इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस प्रयोजन के लिये न्यायालय में आवेदन पत्र देने का हकदार है और हमने इस शिकायत को दंडनीय अपराध का दर्जा दिया है बशर्ते शिकायत करने से पहले उसने प्राधिकार या प्राधिकारियों को सूचित किया हो और नोटिस के 60 दिनों के बाद वह सार्वजनिक उपक्रम या निजी उपक्रम या औद्योगिक उपक्रम के विरुद्ध मुकदमा कर सकता है। यह पहला अवसर है कि हमने यह जिम्मेदारी दी है।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सरकार को न्यायालय का खर्च देना चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह व्यापक मामला है।

श्री सोमनाथ रथ : नियमों के बनाते समय कृपया आप इस मुद्दे पर विचार करें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : उन नियमों में इस बात पर ध्यान रखा जाएगा जिनके अंतर्गत इन खण्डों को बनाया गया है। निःसंदेह जब यह दंडनीय अपराध है तो निश्चित रूप से आपके पास एक मुद्दा है कि सरकार द्वारा उस स्थिति में कुछ सहायता दी जानी होगी यदि यह पाया जाता है कि शिकायत उचित है।

एक माननीय सदस्य ने सरकारी कर्मचारी के बारे में कुछ बातें कही हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड 17(1) में यह उल्लेख है :

> "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा;
>
> परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।"

प्राकृतिक न्याय के मानदण्ड ये हैं कि व्यक्ति को सजा देने से पहले हम उसे यह साबित करने के लिए समय दें कि वह अपराधी नहीं है।

उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे निर्दोष हैं। और यह साधारण सी बात है जो यहां कही गई है। इस बात का सबूत जुटाने की जिम्मेदारी अधिकारी की या विभागाध्यक्ष की है कि यह उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसकी स्वीकृति के बिना किया गया था और उसे यह सिद्ध करना होगा कि यह उसकी जानकारी के बिना किया गया अथवा उसने इस पर पूरा ध्यान दिया था इस गलती को न होने देने के लिए पूरी सावधानी बरती गई थी, तब वह दोषी नहीं होगा। अतः सबूत पेश करना आवश्यक है। अन्यथा उसके द्वारा की गई गलतियों के लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेवार होगा।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस बारे में कई बातें कही जा चुकी हैं···

श्री झांताराम नायक (पणजी) : दण्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मेरे विचार में सामान्य दण्डों की तुलना में जिनका प्रावधान अन्य अधिनियमों जैसे—जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, भूमि संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम में भी है, यह पांच वर्ष एवं सात वर्ष तथा एक लाख रुपये का यह दण्ड पर्याप्त है। हमें देखना है कि यदि यह दण्ड प्रभावी नहीं होता तो हम सम्मानित सभा के सामने दूसरा संशोधन प्रस्ताव रखेंगे। परन्तु जब हम एक चूहे को तलवार से मार सकते हैं तो हमें तोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तोप को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए जब हम चूहे को डण्डे से मारने में असमर्थ हैं। अतः मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु पहले हमें इन प्रावधानों को लागू करना चाहिए और फिर यदि आवश्यक हो तो भविष्य में अन्य संशोधन सभा के सामने ला सकते हैं। (**व्यवधान**)···मैं अभी उसमें नहीं उलझना चाहता।

महोदय, कई बातें कही जा चुकी हैं जो इस विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, के उद्देश्यों से संबद्ध नहीं हैं, जैसे कि, गंगा सफाई योजना, वन संरक्षण अधिनियम इत्यादि, इत्यादि। वे क्षेत्र अलग हैं।

हम वन संरक्षण अधिनियम में भी कुछ संशोधन करने की सोच रहे हैं और तब हम इस सभा के समक्ष उपस्थित होंगे तथा इन बातों पर चर्चा करने का वह उचित समय होगा।

जहां तक गंगा सफाई योजना का सम्बन्ध है, (**व्यवधान**) एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता परन्तु कम से कम एक राज्य में, मैं कह सकता हूं कि जो एक करोड़ रुपये दिये गये थे उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : गंगा में पानी नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जो वे कह रहे हैं उसे सुनिये।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : उसका इस्तेमाल किया जा चुका है। स्वीकृत किये गये 68 करोड़ रुपये में से केवल एक करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : समस्त राशि एक बार में ही नहीं दी जानी है। पैसा किस्तों में दिया जाना है और ज्यों ही हमें इसके इस्तेमाल होने की सूचना मिलती है हम कुछ और राशि दे देते हैं। यदि आप उस राशि का इस्तेमाल किये बिना अपने पास रखे रहते हैं··· (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : गंगा में पानी नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, कुछ बातें हैं और मैं सोचता हूं कि यह विधेयक वास्तव में इस सम्मानित सभा की आकांक्षाओं के अनुरूप है या अधिकतर माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं के अनुरूप है अथवा इस महान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है और मुझे आशा है यह विधेयक, हमारे पर्यावरण संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु इस महान सभा के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० माधव रेड्डी द्वारा रखे गये। संशोधन सं० 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मेरा संशोधन भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 (पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए कार्यवाही करने के लिए केन्द्र सरकार का अधिकार)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 3 पंक्ति 5,—

"जो पोत या वायुयान नहीं है," का लोप करें।···(2)

(श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 19—(अपराधों की संज्ञेयता)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 9,—पंक्ति 26 से 30 का लोप करें।···(3)

(श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 24 (अन्य विधियों का प्रस्ताव)

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 10, पंक्ति 11 और 12,—

"परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा या उसके अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय रेडियोधर्मी वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में "और" का लोप करें।··· (24)

(श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25 और 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 (अधिनियमन सूत्र, विधेयक की प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.20 म०प०

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक से सम्बन्धित मद संख्या 7 को लेते हैं। इस विषय के लिए आधे घण्टे का समय रखा गया है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति संक्षेप में बोले।

पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम जो 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम जो 1972 में वन्य जीव-जन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था वह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जिसका अपना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1978 है, समस्त देश में लागू है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में यह व्यवस्था है कि देश में वन्य जीव संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए वैधानिक नियम बनाये जायें जिनकी बहुत आवश्यकता है। यह एक व्यापक अधिनियम है जिसमें वन्य जीवों और उनके रहने के स्थानों को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ शिकार एवं व्यापार पर भी नियन्त्रण की व्यवस्था है और इसकी धाराओं का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने और दंड की व्यवस्था है। फिर भी, वर्षों से बदलते समय के साथ यह देखा गया है कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में इनके व्यापार पर रोक लगाने की कमी रही है। इसीलिए 1982 में, विशेषतौर पर एक भारत सरकार के संस्थान को लाइसेंस शुदा व्यवसायियों से साँप की घोषित खालें प्राप्त करने के लिए और निर्यात हेतु वस्तुयें बनाने के लिए लाइसेंस देने के लिए इस अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त संशोधन में यह भी प्रस्ताव किया गया कि अनुसूची I में उल्लिखित जंगली जानवरों को केवल भारत सरकार की अनुमति लेकर ही पकड़ा जा सकता है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपका वाइल्ड एनीमल्स से क्या ताल्लुक है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : हमारा आपका साथ ही साथ है।

[अनुवाद]

इनके निवास स्थान को नष्ट करने के बाद वन्य जीवों को मारने का प्रमुख कारण इनका व्यापारिक उपयोग है। यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सही है जितना और जगहों पर है। आज वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत गम्भीर अपराध बिक्री के लिए या व्यापार के लिए चोरी छिपे शिकार करने से सम्बन्धित हैं। जो पशु लुप्त प्रायः होते जा रहे है या जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है यदि इन पशुओं को सुरक्षित रखना है तो इनकी खालों को सजीव रखने व उनसे बनने वाली वस्तुओं के व्यापार पर एकदम से प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए।

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 1986 द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का संशोधन इस बात को ध्यान में रख कर किया जा रहा है कि कुछ विशेष वन्य पशुओं से तैयार ट्राफियों व वस्तुओं इत्यादि के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इस प्रस्ताव का मुख्य कारण यह है कि जबकि वन्य जीवों और उनकी खालों से बनने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात नीति बहुत कठोर है, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत देश में उनके व्यापार की छूट अभी तक दी हुई है। अब जबकि देश में इन वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई बाजार नहीं है, व्यापारियों द्वारा इन वस्तुओं के संचित भण्डारों को विदेशी बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए चोरी छिपे भेजा जाता है जहां इन वस्तुओं की कीमतें बहुत ऊंची हैं। यह गुप्त व्यापार

[श्री जियाउर्रहमान अन्सारी]

वन्य जीवों की कई जातियों, को, जिनमें से कई इस कारण से नष्ट होने वाली हैं, विपत्ति में डाल रहा है। हाथी दांत के लिए जंगली हाथियों को चोरी-छिपे मारना इस बात का एक उदाहरण है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हाथी दांत के लिए हाथियों का चोरी-छिपे शिकार लगभग दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित है जो हाथी दांत पर नक्काशी करने के प्रमुख केन्द्र हैं। आज हाथी दांत से बनी वस्तुओं पर नक्काशी करने और उनको बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इस प्रकार अनाधिकृत रूप से प्राप्त भारतीय हाथियों के दांतों को आयातित हाथी दांतों में मिला दिया जाता है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के लागू होने के समय व्यापारियों द्वारा घोषित पशुओं की खालों आदि से बनी वस्तुओं के भण्डारों को अभी तक अवैध व्यापार के लिए, एक कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। खालों के घोषित भण्डारों, जैसे सांप की खालों के भण्डारों को भारत चमड़ा निगम के जरिये प्राप्त करने के प्रयासों में 1982 में अधिनियम में किये गये संशोधन के बाद आशातीत सफलता नहीं मिली है, इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुत से व्यापारी अपने भण्डारों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं और इस तरह गैर-कानूनी हथियार को खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में, वन्य जीवों की सभी जातियों, जिनकी खालों आदि के व्यापार के कारण जो लुप्त होने जा रहे हैं, के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान हैं। इस तरह की सभी वन्य जीव जातियों को अधिनियम की अनुसूची II के खण्ड दो में रखा जायेगा, जबकि ऐसे वन्य जीवों या उनकी खालों आदि में व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। तब संशोधित प्रावधान किसी भी वन्य जीव, जो भविष्य में अनुसूची-II के खंड II में रखा जा सकता है, पर भी लागू होंगे। व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अनुसूची-II के खण्ड दो में उल्लिखित वन्य जीवों को अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित संकटापन्न वन्य जीवों के बराबर रखा जायेगा, जिसमें सभी को विशेष वन्य जीवों का नाम दिया गया है और उस अनुसूची में उल्लिखित सभी वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है देश में व्यापारियों को विशेष रूप से उल्लिखित ऐसे वन्य जीवों के घोषित भण्डारों को बेचने का अवसर देने के लिए दो महीने की अवधि दी गई है ; इस विशेष अवधि के बाद आगे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उसके बाद सभी प्रचलित लाइसेंसों को रद्द कर दिया जायेगा। भविष्य में, विशेष वन्य जीवों अथवा उनकी खालों आदि के आन्तरिक व्यापार के लिए लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे। केवल अधिसूचित भारत सरकार के संस्थानों को छूट दी गई है जो दो महीने की विशेष अवधि में लाइसेंसों के जरिये केवल निर्यात हेतु वस्तुयें बनाने के लिए खरीद सकते हैं।

आजकल भारतीय हाथियों से प्राप्त हाथी दांतों और उनसे बनी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है क्योंकि हाथी को पहले ही इस अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल कर लिया गया है। फिर भी, आजकल भारत में हाथी दांत का आयात करने वालों और उनसे बनने वाली वस्तुओं के निर्माताओं को अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत छूट दी गई है जिसे अब, पूर्व उल्लिखित भारतीय हाथी दांत में अवैध व्यापार से निपटने के लिए समाप्त किया जा रहा है। संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई है कि आयातित हाथी दांत से वस्तुएं बनाना और उनका व्यापार आगे से इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों के अधीन होगा। संशोधित किये जा

रहे अधिनियम की धाराओं का किसी भी तरह उल्लंघन करने पर वर्तमान दण्ड एवं हर्जाने की अपेक्षा अधिक हर्जाने एवं दण्ड की व्यवस्था की गई है।

सभा, संसद के वर्तमान सत्र में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1986 पर विचार करे और इसे पारित करे।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सदन में भी वन्य जीव संरक्षण है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम स्वयं सौम्य है यहां कोई जंगली नहीं है, पशु भी शांतिप्रिय है। वे जंगली नहीं है।

अब श्री शोभनाद्रीश्वर राव।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री द्वारा 1972 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम पर प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करता हूं। संशोधन बहुत जरूरी हैं अन्यथा कुछ व्यापारियों और अवैध शिकारियों के गिरोह केवल अपने हितों के लिए और अधिक धन कमाने के विचार से वन्य जीवों और पक्षियों और उनकी खालें व उत्पादित वस्तुओं की तस्करी कर रहे हैं। किसी भी हालत में हमें इस प्रवृत्ति को रोकना है। इसलिए हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं। इन सभी संशोधनों के बावजूद बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी ईमानदारी के साथ इस अधिनियम को लागू करते हैं।

महोदय, यद्यपि इस समय हमें वन्य पशुओं को मारने के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डेन से आज्ञा लेनी पड़ती है जिसके बिना कोई भी वन्य जानवरों को नहीं मार सकता। इस उपबन्ध के बावजूद कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अनेक शिकारी इन जानवरों को मार रहे हैं।

महोदय, कई बार देखा भी गया है कि विभाग में कार्य करने वाले लोगों की जंगल में चोरी-छिपे शिकार करने वालों के साथ मिली भगत है और वे इनको बचाना चाहते हैं। जब कभी सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये जायें तो सरकार को इन शिकारियों और उन कार्मिकों के विरुद्ध जो ऐसी घटना में शामिल होते हैं, कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई भी इस तरह का काम करने का जोखिम न उठाये।

महोदय, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य हेतु कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मेरा सुझाव है कि इस

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

प्रक्रिया को गतिशील बनाया जाये और सरकार से मेरा अनुरोध है कि आन्ध्र प्रदेश में कोलेरू झील एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और वहां पक्षी विशेषतया दुर्लभ जाति के पक्षी न केवल हमारे देश से बल्कि साइबेरिया, चीन, इंडोनेशिया और कई दूसरे देशों से यहां आते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लालची व्यक्ति उन पक्षियो का विशेषतया उस मौसम में मारना चाहते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को कुछ लोगों द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और मैं सरकार से कोलेरु क्षेत्र में पक्षियों के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं सरकार को दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि लघु इंडोनेशिया, जकार्ता में एक प्रसिद्ध पक्षी उद्यान है, जहां हजारों उद्यान हैं और इन पक्षियों को उद्यानों में देखकर वास्तव में दृश्य बहुत उत्साहवर्धक लगता है। मैं सरकार से देश में इस प्रकार के उद्यान की स्थापना व विकास के लिए अनुरोध करता हूं जिससे लोगों में जागरूकता और तीव्र भावना पैदा हो कि इन पक्षियों की रक्षा करना नागरिकों का कर्त्तव्य है।

अन्त में मैं, सरकार से शाकभक्षी पक्षियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं जिससे जंगल के पेड़ पौधों की पुन.उत्पत्ति में सहायता मिलती है जिससे वनों के जलने में रुकावट होती है। मुझे बताया गया है कि मंत्री जी बता रहे थे कि लगभग एक लाख एकड़ का वन क्षेत्र प्रतिवर्ष जल रहा है जो वन्य जीवों के विकास के लिए हानिकारक है। मैं सरकार से इस सुझाव को अपनाने और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं पर्यावरण मंत्री और प्रधान मंत्री तथा प्रभारी मंत्री का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक लाने के लिए अभिनन्दन करना चाहूंगा। महोदय, यह स्वागत योग्य हैं क्योंकि इस विधेयक की हम पिछले 13½ वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे है लेकिन केवल विधान से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जैसे खाने का स्वाद उसके चखने से ही पता चलता है, उसी प्रकार इस विधेयक का लाभ इसे क्रियान्वित व लागू करने से पता चलेगा।

उद्देश्यों व कारणों के कथन और मंत्री जी के वक्तव्य से यह संकेत मिलता है कि यह एक गम्भीर मामला है, क्योंकि व्यापारी जानवरों की खाल और अन्य वस्तुओं को सरकार को सौंपने के लिए लगातार रोकते रहे हैं और इसलिए इसमें 13½ वर्षों का समय लग गया है।

महोदय, 1972 में हमने इस विधान को पारित किया था। जैसाकि मंत्री जी ने हमें बताया कि पहला संशोधन 1982 में लाया गया था। 1972 में यह एक नया कदम था। सर्वप्रथम हमारे

देश ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम को पारित किया था। जिसमें राज्यों को अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। अब यह एक समवर्ती विषय है। मेरे विचार से केन्द्र इस विधेयक और इसके विभिन्न उपबन्धों को लागू करने में अधिक रुचि लेगा।

महोदय, अब वास्तव में हमारे लिए यह कुछ नया नहीं है। संविधान में दिये गये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह उल्लेख है कि राज्य देश के वन्य जीवों और वनों के पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार व संरक्षण का प्रयत्न करेगा। इसका अर्थ यह है कि केवल वनस्पति और जीव जन्तु ही नहीं बल्कि जल, मिट्टी और हवा भी व्यक्ति की जीवनरेखा है। हमारे पुराणों, पवित्र धर्मग्रंथों और अशोक शिला लेखों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनके अनुसार हम वन्य जीवों को पुरातन काल से संरक्षण और सम्मान देते आ रहे हैं।

पंडित जी ने भी इसे बहुत महत्व दिया था और उन्हीं के समय में 1950 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थीं जिसने स्टाकहोम में 1970-72 में और 1980-81 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठकों में भाग लिया था और उसमें जिन्होंने विश्व संरक्षण नीति की घोषणा की थी। वह संसार में प्रथम शासनाध्यक्ष थीं उन्होंने पर्यावरण की इस संकल्पना का सूत्रपात किया था। इसके अतिरिक्त हमने 'कान्फ्रेंस आन दी इन्टरनेशनल ट्रेड आन इनडेनजर्ड स्पेसीज' की घोषणा पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इसकी कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। हम इसके पदाधिकारी भी थे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत असंगत है कि हम अभी तक निहित स्वार्थों को गैर-कानूनी व्यापार करने से रोकने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए मैंने एक संशोधन पेश किया है। जिस पर मैं खंड-वार चर्चा के समय बोलूंगा।

कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्रों की हमारे महिलाओं ने चिपको आंदोलन के माध्यम से वनों की रक्षा करने हेतु ठेकेदारों द्वारा की जा रही लूट और शोषण को रोकने के लिए काफी कुछ किया है। यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि जब देहरादून क्षेत्र के शांझापुर खण्ड में विश्व में प्रथम पर्यावरण कार्य दल की स्थापना हुई तो भारत पुन: इसमें अग्रणी रहा है और मेरे माननीय साथी श्री ब्रह्म दत्त ने बताया कि उन्होंने मंसूरी और देहरादून क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है और दूसरा दल राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। मै आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का भी प्रयास करेंगे कि ऐसे पर्यावरण कार्य दल और स्थापित किए जायें जिनमें शत-प्रतिशत उस क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक रखे जायें जिससे उन्हें यह महसूस होगा कि यह उनकी अपनी सम्पत्ति है और उनका पर्यावरण में साझा है। यह देहरादून और राजस्थान क्षेत्र में सफलता रही है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय शीघ्र ही शिवालिक के दो क्षेत्रों—एक जम्मू और काश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश में कार्य दल को स्थापित करने की मंजूरी देंगे।

इसके अतिरिक्त हमारे पास बाघ के परिरक्षण; राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य परियोजना और सातवीं योजना में हम सामाजिक वानिकी को भी बढ़ा रहे हैं; हाल ही में 13 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त एक या दो और ऐसे केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी। मैं यह

[श्री के०पी० सिंह देव]

कहना चाहता हूं कि उनसे पहले के मंत्री श्री वीरसेन जब पिछले साल सिम्पलीपल पार्क, जो नौ बाघ आरक्षित केन्द्रों में से एक है, गये तो उन्होंने वायदा किया था कि भारत सरकार भविष्य में और अधिक जीवमंडलीय आरक्षित केन्द्र की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा सिम्पलीपल पार्क जो एक अद्वितीय पर्यावरण प्रणाली है, पर भी विचार किया जायेगा।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वानिकी के प्रति अपनी सामान्य प्रवृत्ति को बदलना होगा और अधिक उत्पादन की बजाय वनों के संरक्षण की ओर अधिक ध्यान देना होगा। हमें वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। इसमें वन निगम दोषी हैं और वन निगम केवल प्रत्येक वस्तु की लागत, प्रत्येक वस्तु की कीमत के लिए चिन्तित है और वे वनों के मूल्य के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं उत्तर पूर्व के कई राज्यों का हवाला देता हूं। यहां तक कि मेरे अपने राज्य में भी जहां पर वन निगम कार्य कर रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि निगम वनों की सम्पत्ति को लूटने का दूसरा साधन है। जब बढ़ती हुई जनसंख्या और वन्य जीव और वानिकी की आवश्यकतायें परस्पर विरोधी बातें हैं तो यह नोट करना रोचक है कि बम्बई प्राकृतिक इतिहास संस्था और भारतीय वन्य जीव बोर्ड और दूसरे विशेषज्ञ निकायों ने केरल के 'साइलेन्ट वैली' पर एक अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर हजारों एकड़ वनों को नष्ट कर दिया जाये तो 25,000 टन कार्बन डाई आक्साइड पुनः परिवर्तित नहीं होगी। विश्व मौसम विज्ञान सम्बन्धी संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि इस कार्बन डाई आक्साइड से केवल तापमान और जलवायु ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं बल्कि ध्रुवीय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे है जहां इसके परिणामस्वरूप अधिक वर्षा होगी और दक्षिण पूर्व एशिया, अर्थात् भारत, नीदरलैंड और दूसरे देश अर्थात् जिसका अर्थ है कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो कि भारत के खाद्य क्षेत्र हैं बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे। इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मसला है, जिसको देखना है जिसे राज्य तथा यहां की सरकार को देखना होगा। चूंकि यह समवर्ती विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार पुनः पौधे लगाने, और वन क्षेत्र बढ़ाने में राज्य का सक्रिय सहयोग प्राप्त करेगा।

केवल कुछ मुद्दे और हैं। उनमें से एक यह है कि इसका बाढ़, सूखा और तूफान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइ-आक्साइड और सल्फर डाइ आक्साइड भी सम्पूर्ण पर्यावरण और जीव मण्डल पर प्रभाव डालते हैं और यह वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सम्पूर्ण सदन ने पर्यावरण विधेयक का एकमत से समर्थन किया है। यह एक व्यापक विधेयक है और सम्पूर्ण सदन ने इसका समर्थन किया है। मैं आशा करता हूं सरकार गंगा की तरह ब्रह्माणी तथा महानदी घाटियों को भी देखेगी जहां मुख्य उद्योग स्थित हैं और कुछ सुपर तापीय बिजली घर भी लगाये जाने हैं। किसी भी विकास परियोजना पर पर्यावरण और वातावरण के प्रभाव का विश्लेषण होना चाहिए परन्तु इसके साथ ही साथ तुच्छ पर्यावरण आधार पर रक्षा परियोजना और सुपर तापीय बिजली घरों जैसे तलचर

और इबवेली और रक्षा आयुध कारखाना जो बोलनगिर में स्थापित हो रहा है, में देरी नहीं की जानी चाहिए या उन्हें स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं और इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं।

* श्री मतिलाल हंसदा (झारग्राम) : महोदय, इस वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 1986 का उद्देश्य 1972 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में विद्यमान कमियों और खामियों को समाप्त करना है। इन कमियों से लाभ उठाते हुए एक ओर हमारे देश के दयनीय लोगों, बेरोजगारों और गरीब लोगों ने और दूसरी ओर लालची अधिक लाभ चाहने वाले व्यावसायियों और व्यापारियों ने वन्य जीवों को बुरी तरह से नष्ट करने का एक योजनाबद्ध अभियान चलाया है। प्रकृति, पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रेमियों और वैज्ञानिकों, मानवतावादी लोगों और सरकार के लिए यह बहुत ही चिन्ता की बात है। इसलिए यह विधेयक वन्य क्षेत्रों, वन सम्पति, वन्य जीवों के संरक्षण और खामियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। मैं इस विधेयक पर कुछ बातें कहना चाहता हूं और कुछ सिफारिशें भी करना चाहता हूं। मेरी पार्टी और वामपंथी मोर्चा यह आशा करता है कि प्रत्येक स्थान पर लोगों के अत्यधिक सहयोग से इस विधेयक को क्रियान्वित करके हम अपने देश में वन्य जीवों को बुरी तरह से नष्ट होने से बचा सकते हैं।

महोदय, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 14 वर्षों के पश्चात् यह संशोधन विधेयक आज फिर लाया गया है। इस विधेयक की परिभाषा के अन्तर्गत वन्य जीवन से अभिप्राय कोई पशु, मधुमक्खियों, तितलियों, क्रस्टेशियस, मछली और कीड़े, जलचर, पेड़ पौधे हैं जो किसी भी प्राकृतिक आवास में रहते हैं।" वन्य जीवों की स्थिति राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय है कुछ जाति के वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और कुछ का विनाश होने जा रहा है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट में वन्य जीवों की जातियों की सूची दी है जिनके लुप्त होने का खतरा है। इस विधेयक की अनुसूची संख्या 1 में इन सबको शामिल नहीं किया गया है। उनके पूर्ण संरक्षण के लिए यह किया जाना चाहिए था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करते समय राज्य वन्य जीव बोर्ड को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किया जाना चाहिए था। इस अनिवार्य उपबन्ध को इस संशोधन विधेयक में नहीं किया गया है 1972 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन वन्य जीवों के संरक्षण व परिरक्षण वन क्षेत्रों व बाहरी क्षेत्रों दोनों में विनियमित किया गया था। लेकिन इस विधेयक में वन्य जीवों, से निर्मित वस्तुओं, हाथी-दांत के सामान आदि के व्यापार पर देश के अन्दर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इसी को नियन्त्रित करने का एक उपबन्ध था। निर्माताओं, व्यापारियों और चर्म प्रसाधकों, आदि को इन वस्तुओं के व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं। इस विधान में विद्यमान खामियों का लाभ उठाते हुए वन्य पशुओं, पक्षियों, आदि को गैर-कानूनी व गुप्त रूप से विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। वन्य जीवों और उनसे सम्बन्धित वस्तुओं आदि का देश में कोई बाजार नहीं है, इस-

* मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मतिलाल हंसदा]

लिए देश के अन्दर व्यापार करने के लिए प्राप्त सामग्री को इकट्ठा करके विदेशी बाजारों में चोरी छिपे भेजा जा रहा है। इस प्रथा को रोकने के लिए इस संशोधन विधेयक में अध्याय 5 क जोड़ा गया है और भारत में और उससे बाहर इन वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। इस विधेयक के अधिनियम बनने के दो माह बाद आन्तरिक व्यापार के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस अमान्य हो जाएंगे। जो लोग मौजूदा सामग्री को अपने पास रखना चाहते हों उन्हें उसकी घोषणा मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी को करनी होगी जोकि उन्हें एक स्वामित्व प्रमाणपत्र देगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार के निगमों या निजी सोसाइटियों को निर्यात के उद्देश्य से छूट दी गई है। इसके अलावा, चर्म प्रसाधक के रूप में व्यवसाय करने के लाइसेंस धारकों को भी छूट दी गई है और उन्हें सरकार या किसी निगम अथवा सोसाइटी जिसे छूट मिली हुई है, की ओर से या के लिए चर्म प्रसाधक का व्यवसाय करने की अनुमति होगी। वैज्ञानिक और शैक्षिक उद्देश्य से इस कार्य में लगे उन व्यक्तियों को भी छूट होगी जिन्होंने विगत में मुख्य वन्य जीव वार्डन से लिखित में अधिकार प्राप्त किया हुआ है।

इस संशोधन विधेयक के अध्याय 5 क के अन्तर्गत किसी और को निर्माता, व्यापारी, चर्म प्रसाधक आदि के रूप में अनुसूचित जीवों, वस्तुओं और चिह्नों का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। किसी को भी किसी होटल, रेस्तरां आदि में अनुसूचित जीवों का मांस पकाने या परोसने की अनुमति नहीं है। इस विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर एक से सात साल तक की सजा और 5000 रुपए जुर्माना हो सकता है।

महोदय, मैं अब कुछ सिफारिशें/सुझाव देना चाहता हूं।

देश में ऐसे बहुत बड़े वन हैं जहां संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। वहां वन जीवों के संरक्षण के संरक्षित वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए।

देश में इस समय 247 अभयारण्य और 53 राष्ट्रीय पार्क हैं। अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्कों के रूप में और संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने चाहिएं। यह काम संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को करना चाहिए।

पशु, पक्षियों और दुर्लभ वृक्षों के सभी प्रकार के आयात निर्यात को निरापराद रूप से पूरी तरह प्रतिबन्धित करना चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अभयाण्यों, राष्ट्रीय पार्कों; बाघ परियोजनाओं आदि के लिए 16.8 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। जरूरत को देखते हुए यह राशि बहुत अपर्याप्त है। इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है।

संरक्षित वनों में वन्य जीवों के संरक्षण का काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की गैर-कानूनी शिकार करने वालों से साँठ-गांठ हैं। इसके कारण किसी को भी सजा नहीं दी

जाती चाहे कानून में जुर्माना सम्बन्धी कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो। इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर स्थिति की ओर दिलाता हूं। इसके साथ महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में शायद ही दो राय होंगी। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और उसे इस सम्माननीय सदन के समक्ष लाने पर माननीय प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री को बधाई देता हूं। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। मैं केवल इसे लागू करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके कारण आम आदमी को विभागीय अधिकारियों द्वारा परेशान होना पड़ता है।

पहला हाथी दांत के मामले में आपने प्रतिबंध लगाया है कि इसका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। निजी व्यक्तियों के पास हाथी हैं और वे उनकी देखरेख करते हैं। हाथी के मरने के बाद अगर मालिक को हाथी दांत मिलता है तो वह उसका निपटान कैसे करेगा ? मुख्य वन्य जीव वार्डन से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करके वह इसे अपने घर में रख सकता है पर अगर वह इसे बेचना चाहे तो उसे सरकारी उपक्रम या समिति या प्राधिकृत संस्थान को बेचना होगा। ऐसे में उसे जो कीमत मिलेगी यह बाजार मूल्य से काफी कम होगी। इसलिए इस उपबंध को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन हाथी के मालिकों को उपयुक्त कीमत दी जानी चाहिए। अन्यथा गैर-कानूनी व्यापार जारी रहेगा।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि गैर-कानूनी शिकार न हो। इसे खत्म करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ? लेकिन इसके साथ ही, जहां तक खाल और वन्य जीवन से संबंधित अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है वन्य जीवों के कानूनी मालिकों की रक्षा की जानी चाहिए।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों जैसे कुछ क्षेत्रों में मगरमच्छ हैं जो पशुओं और यहां तक की इन्सानों को भी मार डालते हैं। लेकिन सरकार इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ उन गरीब गांव वालों को भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनके पशु मगरमच्छों द्वारा मार दिए जाते हैं।

एक और जिस महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख मैं करना चाहता हूं वह यह है कि गैर-कानूनी तौर पर शिकार करने वाले व्यापारी ही नहीं होते बल्कि वरिष्ठ सरकारी अधिकरी भी होते हैं। मैं सदन के ध्यान में यह आरोप लाना चाहता हूं कि अधिकतर मामलों में वन अधिकारी स्वयं वन्य जीवों की हत्या करते हैं, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी देखा है कि रक्षा अधिकारी रात को वन्य जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे मामलों में वन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती और इन अधिकारियों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन उच्च अधिकारियों को जंगली जानवरों का शिकार करने से रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए।

[श्री मनोरंजन भक्त]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अम्बरग्रिस नामक एक चीज होती है। यह ह्वेल का वमन होता है। यह बहुत तेज गंध वाली वस्तु होती है जो समुद्र में पानी पर तैरती रहती है या किनारे पर मिलती है। यह केवल कचरा होता है। लेकिन वन विभाग के लोग इसके लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं और गांव वालों आदि द्वारा इसे इकट्ठा करने पर उन्हें परेशान करते हैं। किसी जीव को मारने का तो प्रश्न नहीं उठता। ये तो केवल ह्वेल का वमन होता है जो समुद्र पर तैरता रहता है या किनारे पर आ जाता है। किसी के द्वारा इसे इकट्ठा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री शरत देव (केन्द्र पाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है वह निश्चय ही प्रगतिशील है और मैं इसका स्वागत करता हूं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आज जिस संशोधन को लाया है इसे 1972 के मुख्य अधिनियम में होना चाहिए था।

भारत विश्व भर में अपने वन्य जीवों और विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कानून होने के बावजूद दुर्भाग्य की बात है कि हमारे व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर बनाए गए इन कानूनों के बावजूद गैर-कानूनी तौर पर शिकार जारी है। पशुओं की कुछ ऐसी किस्में देश से पूरी तरह लुप्त होती जा रही हैं जो विश्व में दुर्लभ हैं और जो भारत में ही पाई जाती हैं तथा जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। जो बच भी गई हैं वे भी इस समस्या का सामना कर रही हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री को बता दूं कि आज जो संशोधन लाया गया है वह वन्य जीवों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि और अधिक कड़े कानून होने चाहिएं। मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि गैर-कानूनी शिकार को रोकने के लिए कानून बनाना या अधिकारियों को इसमें शामिल करना ही काफी नहीं है। जानवरों की रक्षा का मतलब है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जाए। स्थानीय लोगों द्वारा भाग लेने पर ही गैर-कानूनी शिकार को रोका जा सकता है।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के कुछ क्षेत्रों में ब्लैक बग की रक्षा लोग धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं। इस तरह से वे बचे हुए हैं। खासकर उड़ीसा में ऐसा है। अगर हम वन वासियों और आस पास रहने वाले लोगों को शिक्षित कर सकते हैं तभी हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, गैर-कानूनी ढंग से शिकार वन अधिकारियों की सांठ-गांठ से जारी रहेगा।

वन्य जीवों की रक्षा करना ठीक है पर साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि ये जीव किसानों और लोगों के लिए खतरा न बन जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मगरमच्छ फार्म है जहां मगरमच्छ पाले जाते हैं। निसंदेह यह एक अच्छी परियोजना है पर इसके परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए हैं। व्यस्क हो जाने पर एक मगरमच्छ

खतरा बन जाता है। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें उन्होंने इन्सानों की हत्या कर दी। एक आम जंगली मगरमच्छ इन्सानों से घबराता है। पर फार्मों में पलने वाले ये मगरमच्छ बचपन से ही इंसानों को पहचान जाते हैं और बड़े होने पर उन्हें उनसे डर नहीं लगता। सवाल यह है कि उन पर कैसे नियंत्रण रखा जाए।

6.00 म०प०

जंगली सुअर बहुत खतरनाक होता है। इस पर नियंत्रण रखना सरकार का कर्त्तव्य है। इसी तरह मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्र हैं···जहां कछुओं की विभिन्न जातियां आती हैं और अंडे देती हैं। मेरा क्षेत्र इसके लिए विशेष तौर पर विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और इसका विकास नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप पिछले मौसम में 4000 कछुए मर गए। बड़ा हृदय-विदारक दृश्य था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री शरद देव : मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि अगर कछुओं के इन खोलों को आस्ट्रेलिया जैसे विदेशी राष्ट्रों में ठीक से बेचा जाए तो देश को अच्छी विदेशी मुद्रा मिल सकती है व्यावसायिक दृष्टि से भी इससे राजकोष को भी काफी पैसा मिलेगा।

जहां तक हाथी दांत का सवाल है, जो लोग हाथियों को घरेलू तौर पर पालते हैं वे लोग हाथियों के दांत बढ़ने पर उसे काटते रहते हैं। इसे बेचने पर प्रतिबंध है इसलिए उन्हें इसे राज्य परिवहन निगम को बेचना पड़ता है। संबंधित व्यक्ति को इसकी उपयुक्त कीमत दी जानी चाहिए क्योंकि वह हाथी को पालने के लिए मेहनत करता है।

अंतिम यह है कि मगरमच्छ पालन का काम बहुत पहले शुरू किया गया था पर इसका अभी तक व्यवसायिककरण नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष माननीय महोदय, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

ये जो हमारे आरक्षित वन बनाए गए हैं, इनमें भी कभी-कभी अवैध रूप से शिकार होता है और हमें सुनने में ऐसा आया है कि इस शिकार में जो वहां के अधिकारी लोग हैं उनका भी कभी-कभी हाथ होता है। लेकिन मान्यवर यह तो बात अलग हुई, किन्तु वहां आस-पास में जो गरीब मजदूर और किसान होते हैं, उनके मवेशी उन आरक्षित वनों में चले जाते हैं, तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन मवेशियों को वहां से लेने में उन गरीब और

[श्री डाल चन्द्र जैन]

मजदूर किसानों को इस कद्र परेशानी होती है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। इस बात की ओर हमें ध्यान रखना होगा कि संरक्षित वन के आस-पास जो लोग रहते हैं उनके मवेशी यदि कभी भूल से संरक्षित वन में घुस जाएं, तो उन गरीब मजदूर और किसानों को अकारण परेशान न किया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि यह हमारा देश भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अहिंसा प्रधान देश है। जहां हमको इन दुर्लभ वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण करना है वहां मैं आपका ध्यान दिनांक 25-3-86 के "नवभारत" जबलपुर से प्रकाशित समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एक समाचार निकला था कि मानव मांस का व्यापार जोरों से है और उसमें यह था कि 50 हजार मानव कंकाल यहां से विदेश के लिए निर्यात होते हैं, इतनी उपलब्धि वहां नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत-सी गुमशुदा की रिपोर्ट हमारे पास होती हैं, उनको इस तरह से गायब किया जाता है, उनके भी संरक्षण का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। हमको वन्य जीवन का तो संरक्षण करना ही है, लेकिन आम जो शिकायत होती है, उस पर भी ध्यान रखना होगा।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, वन्य प्राणियों के संरक्षण से सम्बन्धित जो विधेयक यहां लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि जो गेम्स सैंक्चुरीज बनाई गई हैं हमारे देश में, जैसाकि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, उसमें अवैध रूप से बहुत बड़े अफसरान और अच्छे से अच्छे लोग वनों में जाकर आज भी शिकार कर रहे हैं और उनका रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। हम बिल तो लाते हैं और यहां पर बैठकर एक्ट भी बना देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे वन आज भी संरक्षित नहीं है, हमारे वनों में रहने वाले प्राणी आज भी शिकारियों की टोलियों के शिकार हो रहे हैं।

वैसे जो तथाकथित शिकारी हैं, वह अच्छे से अच्छे अफसरान और अच्छे से अच्छे लोग ही हैं जिनके पास काफी पैसा है। मैं अपने जिले उत्तर बिहार के चम्पारण जिले की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वहां मदनपुर में एक गेम सैंक्चुअरी है जिसके संरक्षण का काम वहां के लोकल पदाधिकारी और वन से सम्बन्धित पदाधिकारी किया करते हैं, लेकिन मैं स्वयं इस बात को जानता हूं कि उनमें से कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मूल रूप से ऐसे शिकारियों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें खुद रात्रि को शिकार कराने के लिए ले जाते हैं।

हम यहां बैठकर बिल पास कर देते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा बिल कभी लाये हैं जिससे हम वन विभाग के ऐसे पदाधिकारियों को पकड़ें जो कि इस तरह का अवैध व्यापार करते हैं। हम जानते हैं कि वन के प्राणियों की जो चीजें हमारे वनों में रहती हैं, उनका संरक्षण बहुत आव-

श्यक है, वरना जिस हिसाब से हमारे यहां शिकार किया जा रहा है, उससे लगता है कि वन खाली हो जाएंगे।

हमारे यहां मदनपुर की सैंक्चुअरी में 2, 3 साल के सर्वे में 25 बाघ हुआ करते थे पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी संख्या घटती जा रही है और यदि हम समय रहते नहीं चेते तो हमारे यहां से बाघों का सफाया हो जाएगा।

हमारे बाल्मीक नगर पश्चिम चम्पारण का उत्तरी छोर है वहां से नेपाल शुरू होता है। नेपाल का वन और हमारा वन दोनों मिले हुए हैं। नेपाल के वन्य प्राणी हमारे वन में आया करते हैं और वहां के गैंडे भी हमारे यहां कई बार आ जाते हैं। मैं स्वयं जानता हूं कि ऐसे गैंडों का शिकार किया जा रहा है और यदि इस तरह से हमने छूट दी तो हमारे यहां वन्य प्राणियों के संरक्षण का कार्य नहीं हो पायेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की धांधलियों को रोका जाये और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक के बारे में केवल एक-दो बातें कहनी हैं।

जलपाईगुड़ी जिले में राजाभटसावा में बाघ परियोजना का प्रस्ताव है। क्षेत्र का सीमांकन किया जा चुका है और वहां रहने वालों को जगह खाली करनी होगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाघ परियोजना को लागू करने से पहले सदियों से वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि यह आस-पास के क्षेत्रों के लिए खतरा सिद्ध न हो। बाघ जानवरों, खासकर गाय, भैंसों और अन्य पालतू जानवरों को मार डालते हैं और कभी-कभी तो इन्सान भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाघ परियोजना का स्वागत है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इन सभी परियोजनाओं में हमारा अन्तिम लक्ष्य इन्सान की भलाई है इसलिए उक्त परियोजना वहां रहने वाले लोगों के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए।

इसके अलावा मैंने देखा है कि वन विभाग में काम करने वाले आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के होते है जिन्हें वन-क्षेत्र में रहने की आदत नहीं होती है। यह सही रवैया नहीं है। उसी क्षेत्र के लोगों, खासकर आदिवासियों को वन विभाग में रोजगार दिया जाना चाहिए जिन्हें वनों और पशुओं से सच्चा प्यार होता है।

हम जानते ही हैं कि वन क्षेत्र घटकर बहुत कम रह गया है वनरोपण के लिए हमें समुचित कार्यवाही करनी होगी ताकि अधिक वन हों और जंगली जानवर आजादी से वन में एक जगह से दूसरी जगह घूम सकें। अगर जानवरों को चिड़ियाघर की तरह एक ही जगह पर रहना पड़ा तो

[श्री पीयूष तिरकी]

उन्हें ऐसे अनेक रोग लग सकते हैं जिनका उपचार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक जानवर को यह रोग हो गया तो दूसरों में भी फैल जायेगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि वन विभाग में उन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए जिन्हें सारे वन क्षेत्र की जानकारी हो जो उस वातावरण में रहने के आदी हों और जिन्हें वनों से प्यार हो।

दूसरे, वनों की पहले ही बहुत कटाई हो चुकी है। अब हमने सामाजिक वानिकी की है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत-सी छोटी चिड़ियां और वन्य जीवों की अन्य किस्में लुप्त होती जा रही हैं या लुप्त हो चुकी हैं। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उन पशु-पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो वहां पहले होते थे। विशेष रूप से सदियों से वहां रह रहे आदिवासी उनकी इन जातियों से भली-भांति परिचित होते हैं और उन्हें वन्य जीवों से बहुत प्यार होता है। उन्हें सभी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में 3-4 बातें कहना चाहता हूं।

यह वैज्ञानिक सत्य है कि मानव समाज के संरक्षण के लिए वृक्षों, जीव-जन्तुओं और जंगली जानवरों का संरक्षण आवश्यक है। यह बिल इस वजह से भी लाना पड़ा क्योंकि इन वाइल्ड एनिमल्स का व्यापार बन्द किया जा सके। एक जमाने में आदमी अपना पेट भरने के लिए भी इनका शिकार खेलता था क्योंकि उस समय खेती-बाड़ी नहीं होती थी। इसके बाद में वह युग आया जब शौक के तौर पर इन एनिमल्स का शिकार खेला जाने लगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इनका संरक्षण किया जाये और उनको दुबारा पैदा किया जाये। मेरे क्षेत्र का दो तिहाई हिस्सा जंगल का है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में जीव रहते हैं, लेकिन वह आज दिखायी नहीं देते हैं। जंगल में आग लगती है।

उससे जंगल भी नष्ट हो जाता है और जानवर भी नष्ट हो जाते हैं। यह आग क्यों लगती है ? क्योंकि पहले जंगल में रहने वाले लोगों, वहां की जनता का सहयोग लिया जाता था और उनको कुछ अधिकार दिए जाते थे। वह आज छीन लिए गए। तो इसमें कोई सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दूसरे, वहां पीने के पानी की कमी हो गई है वन संरक्षण खत्म होने की वजह से और सौयल ईरोजन होने की वजह से आज वहां पीने का पानी मिलता नहीं है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी अच्छे से अच्छे काम को भी अगर हम बिल्कुल शेखचिल्लीपन में ले जाएं तो बड़ा गलत होगा। हमारे यहां एक राजाजी सैंक्चुअरी है और उसके ऊपर एक दूसरी सैंक्चुअरी है। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों सैंक्चुअरीज के बीच में तीन गांव

पड़ते हैं, रायवाला, गौरीमाफी और परतीतनगर। वहां मिलिट्री का बड़ा भारी कैम्प है और रायवाला स्टेशन भी है। मगर पता नहीं किन साहब के दिमाग में आया कि इन दोनों सैंक्चुअरीज को जोड़ दिया जाये। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हम कोई योजना नहीं चलाएंगे जब तक कि लोगों को विस्थापित होने से बचाया न जाए और उनके पुनःस्थापन की व्यवस्था न हो जाए। इन तीन गांवों में दो हजार फैमिलीज रहती हैं। इन दोनों सैंक्चुअरीज को जोड़ने के लिए दो हजार फैमिलीज को नोटिस दे दिया गया, उनकी जमीन एक्वायर करने का नोटिस दे दिया गया। लेकिन हमारे अफसरान की समझ में यह बात नहीं आई कि वहां एक स्टेशन है, उसको तो हटा नहीं सकते, मिलिट्री का बड़ा भारी कैम्प है उसको हटा नहीं सकते। तो मैंने एक रास्ता सुझाया कि इन दोनों के बीच में एक कोरिडोर आप बना दीजिए। कोरीडोर बनाने से हमारा काम चल जायेगा। हमें यह भी करना है कि वन के प्राणी संरक्षित रहें लेकिन वन के किनारे के लोग भी संरक्षित रहें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जिले का सौभाग्य है कि वहां प्रधानमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीच्यूट की नींव का पत्थर पिछले साल रखा। अभी दो हफ्ता पहले मैंने देखा, उसकी प्रगति देखने मैं चला गया तो वहां जाकर के देखा कि वह पत्थर ही कायम है, कोई भवन उस भूमि पर नहीं बनाया गया है। तो मेहरबानी करके उसके बारे में भी देखिए क्योंकि वहां पर अनुसंधान होगा उनके संरक्षण का और उनको दोबारा पैदा करने का। ये बातें मैं सुझाव के रूप में रख रहा हूं। वैसे यह है कि मानव जीवन का जो भविष्य है वह इसी बात पर निर्भर है कि हम वृक्षों की, प्राणियों की, जन्तुओं की और पक्षियों की रक्षा करें।

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका उद्देश्य कुछ ऐसे वन्य जीवों के उत्पादों और चर्म प्रसाधन के गैर-कानूनी और चोरी-छिपे व्यापार पर रोक लगाना है जो लुप्त होने वाले हैं। वर्ष 1972 में पास किए गए अधिनियम का प्रयोग ऐसे अवैध व्यापार को संरक्षण के रूप में किया जा रहा।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनेक किस्म के जंगली जानवरों से भरा पड़ा है जैसे सफेद तेंदुआ, स्टोन मार्टर, काल गर्दन वाला सारस, नीली भेंड़, मार्कवारे, जंगली याक, हिरण आदि। इनमें से कुछ प्रजातियां तो बहुत दुर्लभ हो गई हैं, क्योंकि खाल, मांस और अन्य उत्पादों के लिए इनका अंधा-धुंध शिकार किया जा रहा है। वे लुप्त प्रायः स्थिति में हैं। महोदय, जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना वन्य जीव अधिनियम है जिसमें वही कमी है जिसका उल्लेख आपने यहां संशोधन के लिए इस विधेयक में किया है। जब तक इस अधिनियम की तरह जम्मू-कश्मीर राज्य के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यापारियों को जम्मू-कश्मीर वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण मिलता रहेगा और वे अपना व्यापार कश्मीर में शुरू कर देंगे। इस प्रकार इस विधेयक में संशोधन का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। आपको जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल से जोर देकर कहना पड़ेगा कि वह

[श्री पी० नामग्याल]

इस केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के वन्य जीव अधिनियम में संशोधन करें। तभी हम इस गैर-कानूनी व्यापार को रोक सकते हैं।

महोदय, कुछ वन्य जीवों को लेकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हजारों जंगली गधे हैं जिन्हें स्थानीय तौर पर कियांग के नाम से जाना जाता है। सीमा के उस पार चीनी इन जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये जानवर चीन से हमारी सीमा में आ गए हैं। परिणाम यह हुआ है कि झाड़ियों, घास, अथवा चरागाह भूमि जैसी जो भी थोड़ी बहुत हरी भरी भूमि वहां थी उसे उन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। इससे क्षेत्र के वातावरण पर असर पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको उसे खाना होगा।

श्री पी० नामग्याल : हम उसे नहीं खाते। इसीलिए तो यह समस्या वहां है। उस छोटे से क्षेत्र में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये जानवर हैं और अब उन्होंने किसानों के खेतों पर हमला करना और उनकी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्हें पकड़ कर, बधिया करके आपको इनकी संख्या में वृद्धि पर रोक लगानी होगी अथवा आपको इनका शिकार करना होगा। इससे हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। आपको इस दिशा में विचार करना होगा।

अंतिम मुद्दा यह कि मेरे क्षेत्र में एक वन्य जीव अभयारण्य बनाने की जरूरत है। हमारे यहां वन्य जीवों की बहुत-सी दुर्लभ जातियां हैं अतः अगर भारत सरकार एक प्रस्ताव की पेशकश करे तो बहुत अच्छा रहेगा। वन्य जीव अभयारण्य बनाने के बारे में राज्य सरकार का एक प्रस्ताव था पर वह अभी तक ऐसा कर नहीं पाई है। लेकिन माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह लद्दाख में वन्य जीव अभयारण्य बनाने सम्बन्धी इस सुझाव पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

आपको बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो ही बातें कहनी हैं। एक बात यह कि हमारे जिले में जंगली सूअर होते हैं, उसे गांव में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हैं। वे फसल खराब करते हैं और ग्राउण्ड-नट खराब करते हैं। इसलिए वे लोग कन्ट्रीबाम लगाकर मारकर खा जाते हैं। इस एक्ट में प्रोवीजन न रहने पर भी उनको अरैस्ट करते हैं और परेशान करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जंगली सूअर को शैडयूल में से निकाल दिया जाए। दूसरी बात यह कि गर्मी के दिनों में जंगलों में शेर को पानी न मिलने की वजह से वे गांव में पानी पीने आते हैं और आकर गाय-बैल को खा जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि

जंगल में कहीं-कहीं पर फारैस्ट डिपार्टमेंट वालों से कह कर पानी का इन्तजाम कराना चाहिए, ताकि वे जानवर गांव के नजदीक न आएं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, गांवों में पानी पीने के लिए आते हैं और पानी के साथ-साथ गाय-बछड़े और बैल इत्यादि को खा जाते हैं, इसलिए वहां जंगलों में पानी का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जंगलों में आफिसर की परमीशन के बगैर कोई शिकार नहीं कर सकता है। अगर कोई शिकार करता है 'और उसको पकड़ लिया जाता है,' तो इसमें जंगल के आफिसर की भी रेस्पोंसिबिलिटी होनी चाहिए। ओरंगल जिले में पशुओं में एक किस्म की बीमारी फैल गई थी, इसके कारण कई सौ जानवर मर गए। ऐसी स्थिति में दिल्ली से डाक्टरों को बुलाकर इन्जैक्शन देना पड़ा। वहां वैटरनरी डाक्टर न होने से काफी हजार जानवर मर गए हैं। इन्जैक्शन देना मुश्किल है, तो गोलियों का प्रोवीजन करना चाहिए। जरूरत हो तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए। इसलिए वहां डाक्टर का इन्तजाम होना जरूरी है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री जी०एस० बसवराजु (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील विधेयक है और मुझे विश्वास है कि सारा सदन हार्दिक रूप से इसका स्वागत करेगा। वस्तुतः यह संशोधन 1972 में लाया जाना चाहिए था जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। देश भर में पशु-पक्षियों के संरक्षण की बहुत जरूरत है।

कर्नाटक में कुछ साल पहले तक हजारों हाथी थे। कब कुछ सौ ही रह गए हैं। इन हाथियों का क्या हुआ ? बहुतों को मार डाला गया। कुछ बेईमान लोगों द्वारा दिए गए जहरीले खाने के शिकार हो गये। अगर यही रवैया रहा तो हमारी अगली पीढ़ी हाथियों को देख नहीं पाएगी। अगर वे हाथी, बाघ और अन्य पशुओं के बारे में पूछेंगे तो हमें मजबूरन उन्हें उनके चित्र दिखाने पड़ेंगे। जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां लुप्त होने की स्थिति में हैं। जानवरों की इस निर्मम हत्या को रोकने के लिए कुछ कड़े उपाय किये जाने चाहिएं।

हाथियों का शिकार आमतौर पर हाथी दांत के लिए किया जाता है। हाथी दांत की चोरी और तस्करी करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि वह दोबारा ऐसा न करें। कुछ मामलों में वन विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं जिसके कारण जानवरों की संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। इसी तरह वनों में वृक्ष काटे जाते हैं। इमारती लकड़ी और ईंधन के लिए इन्हें काटा जाता है। इसलिए वनों की कटाई को तत्काल रोकने की जरूरत है।

देश भर में पक्षी अभयारण्य हैं। कर्नाटक में तीन प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य हैं। दुर्भाग्य से वहां पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। भारतीय वन के अद्भुत पक्षी मोर के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी०एस० बसवराजु]

इसलिए मैं पशु-पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों की प्रशंसा करता हूं। वन्य जीवों की रक्षा संबंधी इस विधेयक का मैं एक बार और स्वागत करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था :

"यह मानना गलत है कि मनुष्य अन्य प्राणियों के स्वामी हैं। इसके विपरीत जीवन में अधिक संसाधनों से सुसज्जित होने के कारण, वे मनुष्येतर, पशु जगत का ट्रस्टी है।"

[हिन्दी]

हर वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है और कहते हैं कि लिव एण्ड लेट लिव, जियो और जीने दो लेकिन होता यह है कि जो वन थे, वे नष्ट कर दिये गये और अब पशु स्वतन्त्र रूप से विचरण नहीं कर सकते। भारत की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था :

[अनुवाद]

"बाघ का परिरक्षण पृथक से नहीं हो सकता। यह प्रश्न भारी भरकम और जटिल प्रक्रिया से जुड़ा है उनका जीवन मनुष्य द्वारा आवासीय स्थानों, वाणिज्यिक वानिकीकरण और पशुओं को चरने के लिए भूमि का प्रयोग किये जाने से खतरे में पड़ गया है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जितने लोग बोल रहे थे, वे मांसाहारी बोल रहे थे और अब मैं शाकाहारी बोल रहा हूं जिसे आप भी पसन्द करेंगे। हम लोग अपनी जिन्दगी दे देते हैं लेकिन प्राणियों की रक्षा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिरण के बच्चे की जब मां नहीं होती है, तो हमारे यहां औरतें अपनी छाती का दूध उसको पिलाती हैं। आपके मद्रास में ऐसा नहीं होगा लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1972 में एक्ट बनने के बाद कितने लोगों को सजा दी गई और कितने आदमी जेल में गये।

कितने आदमियों के आपने लाइसेंस कैंसिल किये हैं। कुछ भी नहीं होता। बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। यह हालत हो गयी है कि जंगलों में अब पशु विचरण नहीं कर सकते। सारे जंगल काट दिये गये हैं जिनके कारण वहां पर पशुओं का विचरण करना दूभर हो गया है। जंगलों में जो पानी के सोते थे, झरने थे, उनमें बांध बांध दिये गये हैं। पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलता। आप पशुओं की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें।

हमारे राजस्थान में एक गोडावर नाम की चिड़िया पायी जाती है। उस चिड़िया का शिकार करने के लिए सऊदी अरब के राजा आये थे। मैं चाहता हूं कि इस चिड़िया की भी आप — करें।

सन् 1972 का जो आपका एक्ट है, उसकी क्या पालना हुई, इसके बारे में आप बताएं। आपके कानून बनने के बाद अल्मारियों में सजाये जाते हैं। यह कानून बनने के बाद अंसारी साहब की अल्मारी में एक और कानून की किताब रख दी जायेगी। अगर हमारे देश में कानून की पालना होती तो दस परसेंट फोरेस्ट नहीं रह जाता। एक जमाना था जब हमारे देश में 33 परसेंट फोरेस्ट हुआ करता था। फोरेस्ट नहीं रहे, फोरेस्ट के प्राणी नहीं रहे। आप फोरेस्ट प्राणियों की रक्षा नहीं करते तो कम से कम उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए। इधर आपकी घंटी बज जायेगी और उधर उन जंगल के प्राणियों की घंटी बज जाएगी। (व्यवधान) जो लोग मांस खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, वे हार्ट पेशियेंट हो जाते हैं। हमें पशुओं की रक्षा करनी चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस विधेयक का कार्य-क्षेत्र सीमित है। यह संशोधी विधेयक है। यह वन्य (संरक्षण) संशोधन विधेयक है। इसका उद्देश्य वन्य पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण करना है।

यह सच है कि अधिनियम, 1972 का दुरुपयोग किया गया है और वन्य जीवों का अवैध व्यापार होता रहा है और इस अधिनियम का उपयोग अवैध व्यापारियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। यह विधेयक उसी सीमित उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है। मुझे पता चला है कि सभी माननीय सदस्यों ने, जहां तक अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने का प्रश्न है, इस विधेयक की भावना का स्वागत किया है।

वाद-विवाद व्यापक प्रश्न पूछे गये। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता। नि.सन्देह यह स्वागत योग्य प्रवृति है। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये इन सुझावों को मैं कार्यान्वित करूंगा। जब हम अन्य मामलों में, चाहे वे वन संरक्षण का मामला हो, अथवा वन्य जीव (संरक्षण) का मामला हो, जब हम विशिष्ट कानून लायेंगे तो हम निश्चय ही इन सुझावों का उपयोग करेंगे। श्री डागा उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपनी सीख दे दी है जिसका मैं निश्चय ही उपयोग करूंगा उससे मुझे पर्याप्त ज्ञान मिला है। बेशक इस मानवीय जीवन में कभी-कभी सीख व्यावहारिक भी नहीं होती। फिर भी सीख विद्यमान हैं जो भी उसका उपयोग करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

मैं कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं। एक अत्यन्त संगत बात पूछी गई है जोकि माननीय सदस्य श्री भक्त ने पूछी है। उन्होंने पूछा है कि हाथी पालने वाले व्यक्ति का क्या बनेगा तथा जब हाथी मर जाता है तब हाथी-दांतों का क्या किया जायेगा? वह जानना चाहते हैं कि क्या वह हाथी दांत को बेच सकेंगे या उसे किसी को दे सकेंगे।

वास्तव में इस संशोधन का सम्बन्ध उन व्यक्तिगत मामलों से नहीं है, परन्तु उस हाथी के स्वामित्व के बारे में मुख्य वन्य जीव वार्डन का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह मूल अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत आता है, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा वन्य पशु है जिसका उसने पालन किया है तथा उसके पास

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

वन्य जीवन मुख्य वार्डन का प्रमाण-पत्र है—तो वह अपने हाथी को न केवल सरकारी ऐजेंसी को ही—अपितु किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है। हमने धारा 43 को नहीं छुआ है। यह संशोधन धारा 44 तथा बाद की धाराओं के बारे में है।

दूसरी बात, इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करने की कही गई है। भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार से निवेदन किया है कि वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक को जम्मू काश्मीर राज्य पर भी लागू करें। हमने कार्यवाही कर दी है और हमें विश्वास है कि वे निश्चय ही इसका पालन करेंगे।

फिर, महोदय, लद्दाख के माननीय सदस्य ने लद्दाख में एक पशु-विहार बनाने के बारे में सुझाव दिया है। मुझे पता चला है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार उस क्षेत्र में एक पशु-विहार तथा एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने जा रही है जिसके लिए हम निश्चय ही वित्तीय संरक्षण देंगे।

फिर आंध्र प्रदेश के एक सदस्य ने कोलार लेक का तथा आंध्र प्रदेश में पक्षियों के पशु-विहार का प्रश्न उठाया है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : कोलार कर्नाटक (मैसूर) में है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हो सकता है यह सीमा पर हो। वहां पर एक पशु-विहार पहले से है।

महोदय, मैं समझता हूं यह पर्याप्त है।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकनाल) : मैंने सिमलपाल बायो स्फीयर रिजर्व पशु-विहार के बारे में पूछा था। उड़ीसा के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ?

श्री जियाउर्रमान अंसारी : यह मामला विचाराधीन नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं··· (व्यवधान)

श्री के०पी० सिंह देव : चूंकि मंत्री महोदय ने अन्य बातों का उत्तर तो दे दिया है, इसी लिए मैंने उसका उल्लेख किया है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : वास्तव में मैं माननीय सदस्यों का उपयोगी सुझाव देने के लिए आभारी हूं। मैं निश्चय ही उन पर विचार करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री शरत देव : जैसे कि मंत्री महोदय बता रहे थे, वर्तमान अधिनियम के अनुसार आपने हाथी दांत की वस्तुओं के व्यापार को राज्य-व्यापार निगम के लिए सीमित रखा है। अब जिनके पास हाथी है वे हाथी-दांत बेचने के लिए खुले बाजार में नहीं जा सकते।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं समझता हूं कि धारा 43 के अधीन वे इसे बेच सकते हैं।

श्री शरत देव : यह बात परस्पर विरोधी है क्योंकि इस अधिनियम द्वारा देश में खुले बाजार में हाथी दांत के व्यापार पर विशिष्ट रोक लगाई गई है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम के अलावा किसी निजी व्यापारी को आप इस व्यापार की अनुमति दे रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : धारा 43 इस प्रकार है :

"34 धारा 2, 3 और 4 के उपबन्धों के अध्याधीन विक्रेता के अलावा कोई व्यक्ति..."

यदि वह विक्रेता नहीं कोई निजी व्यक्ति है तब इस संशोधन विधेयक द्वारा लाये जा रहे धारा 44 से बाद की धाराओं के संशोधन लाये जा रहे हैं। निजी व्यक्तियों के लिए जिनके पास हाथी है, उनका मामला धारा 43 में आता है।

श्री शरत देव : परन्तु यदि वह हाथी-दांत बेचता है तो वह उसे राज्य व्यापार निगम को ही बेच सकता है, किसी निजी व्यक्ति को नहीं। हाथी-दांत उगते रहते हैं। वे हाथी-दांत काट कर बेचते रहते हैं। इसीलिए मैं उपबन्ध के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री जियाउर्रमान अंसारी : उस हालत में उन्हें उन सरकारी उपक्रमों को बेचना होगा जोकि देशी हाथी-दांत का व्यापार करने के लिए अधिकृत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 नये अध्याय 5क का अन्तःस्थापन।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15, "संप्रदर्शन के लिए" का लोप किया जाये। (1)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15, "संप्रदर्शन के लिए" का लोप किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, परिषित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आयकर (संशोधन) विधेयक

6.45 म०प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 लेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त विधेयक, 1986 में सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तुत करते समय 24 अप्रैल, 1986 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिए गए भाषण तथा इस वर्ष के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में मुख्य रूप से यह छोटा विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

बजट भाषण में स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों या वेतनभोगियों को उनके द्वारा चिकित्सा पर किये गये खर्चों में राहत दिलाने के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। इसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में एक नयी धारा अन्त: स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने या अपने पति/पत्नी या आश्रित बच्चों एवं मां-बाप के स्वास्थ्य के बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम की राशि के लिए कुल मिलाकर वर्ष में 3000/- रुपये की कटौती करने का प्रावधान है। हिन्दू संयुक्त परिवार या व्यक्तियों के एसोसिएशन या लोगों के समूह, जिसमें पति और पत्नी आते हैं, के मामलों में दादरा और नागर हवेली और गोआ दमन और दीव में प्रचलित सामुदायिक संपत्ति प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमे के लिए दिए गए प्रीमियम के लिए भी कटौती देनी होती है। एक स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमे के लिए चेक से दिए गए प्रीमियम के सम्बन्ध में नियोक्ता को कटौती दिए जाने हेतु आयकर अधिनियम में एक नयी धारा शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव है।

आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक को कटौती दी जाती है। यह कटौती की छूट अशोध्य ऋणों और जिनकी वसूली होने में सन्देह है, उन ऋणों के लिए बनाए गए एक उपबन्ध के मामले में कर लगाने से पहले जो लाभ हुआ है, उसके 10 प्रतिशत तक होगी। यह गांव की शाखाओं द्वारा दिये गये कुल औसत ऋणों की 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, या इन दोनों में से जो भी अधिक होगी। मैं संगत धारा में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिससे सभी बैंकों को उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये कुल औसत ऋण के 2 प्रतिशत तक की छूट दी जाये और वर्तमान शर्तों के अध्यधीन उनकी कुल आय के 5 प्रतिशत तक के अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की व्यवस्था हो।

एक भारतीय कम्पनी या एक व्यक्ति, (कम्पनी के अतिरिक्त) जो भारत का रहने वाला है, अपनी विदेश स्थित परियोजनाओं से जो लाभ प्राप्त होता है उसके 25% के बराबर छूट मिलती है। विदेशों में परियोजनाओं, जो कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने का स्रोत है को कार्यान्वित करने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए कटौती की राशि जो ऐसे लाभ की राशि का 25% थी, उसे एक संशोधन द्वारा बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि इस छोटे से और साधारण विधेयक को समूचे सदन का सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु आपको धन्यवाद। मेरे विचार में पहला भाग, अर्थात चिकित्सा बीमा के लिए जो प्रीमियम है पर उसकी कटौती किये जाने का प्रस्ताव है। यह एक स्वागत पूर्ण कदम है। बजट भाषण के दौरान और वित्त मंत्री द्वारा दिए गए दूसरे भाषणों में इसकी घोषणा की गई थी और अब यह विधेयक के रूप में आया है। मैं केवल इस बात को देखता हूं कि नियोक्ता द्वारा या बीमाकृत व्यक्ति द्वारा बीमा की किश्त देने से सामान्य बीमा निगम या इसकी सहायक संस्थाओं में अवश्य अधिक धन आएगा, क्योंकि सामान्यतः बीमा योजना में हमने देखा है कि जो भी योजना बनाई गई है उनसे बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। इस विधेयक के इस नये उपबन्ध का उद्देश्य स्पष्टतया आयकर अधिनियम में संशोधन करने का है और इस अधिक धन का क्या करना है इसका नहीं। मेरे विचार में इसका एक विशेष उद्देश्य है अर्थात स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा बीमा। इसलिए इस अधिक धन को समुदाय की चिकित्सा सेवा या स्वास्थ्य में सुधार के लिए खर्च किया जाना चाहिए। यह धन उन लोगों पर भी खर्च किया जाना चाहिए जो प्रीमियम द्वारा इसे बढ़ाने में सहायक हैं। मेरे विचार में वित्त मंत्री को और सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इस फालतू राशि का इसी प्रकार प्रयोग किया जाये। अन्यथा, इस विशेष उपबन्ध में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

जहां तक तक ऐसे ऋणों, जिनकी वसूली सन्देहस्पद है, के मामले में सांविधानिक कटौती, जिसकी अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, का सम्बन्ध है, मुझे तो इसका उद्देश्य ही समझ में नहीं आता। महोदय, आयकर अधिनियम में अशोध्य और सन्देहपूर्ण ऋणों की कटौती के लिए प्रावधान किया गया है। इसीलिए अनुसूचित बैंकों के मामलों में सन्देहयुक्त ऋणों के सम्बन्ध में कुल आय की पांच प्रतिशत राशि की कटौती का सांविधिक प्रावधान करने की गुंजाइश या आवश्यकता ही कहां है। मेरे विचार से इसका इरादा सन्देहयुक्त ऋणों की व्यवस्था करने का है, जिसका अन्ततोतौगत्वा यह परिणाम निकलेगा कि ऋण अशोध्य हो जायेंगे और इसलिए सन्देहयुक्त ऋण के रूप में आय के 5 प्रतिशत की कटौती के लिए सांविधिक प्रावधान किया जा रहा है। अब इस पांच प्रतिशत की राशि के अतिरिक्त ग्रामीण शाखाओं के कुल ऋणों के लिए 2% राशि का और प्रावधान है। सन्देहयुक्त ऋणों के रूप में उनके लिए भी प्रावधान किया जा सकता है और आयकर प्रयोजनों के लिए उसकी कटौती की जा सकती है। फिर ऐसा करना आवश्यक नहीं है। क्या इसका प्रयोजन यह है कि ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण की राशि में 2 प्रतिशत तक की राशि स्वतः ही बट्टे खाते में डाली जायेगी ? क्या इसका उद्देश्य यही है ? ऐसे मामले में क्या इसका उद्देश्य यह है कि इस बात की छानबीन किये बिना कि ऋण किसको दिया जा रहा है, किस प्रयोजन के लिए दिया जा रहा है, ऋण दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋण देने की योजना इस प्रकार बनाई जा रही है कि आगे चलकर ऋण की वसूली सन्देहयुक्त हो जाये। इसका यह भी अभिप्राय है कि ऋण ऐसे कुछ शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तियों के आदेश से दिया जाएगा जिनका बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण है। महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक उपबंध है और इस सम्मानित सभा को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आयकर अधिनियम में इस बात का प्रावधान पहले से ही है, जिससे अन्तर्गत कोई भी व्यापार (चाहे वह बैंकिंग

व्यापार हो अथवा कोई अन्य व्यापार) अशोध्य अथवा सन्देहयुक्त ऋणों की राशि को बट्टे खाते में डाला जा सकता है बशर्ते कि वह इस बात को सिद्ध कर दे कि वे ऋण अशोध्य अथवा सन्देहयुक्त ऋण हैं। ऐसी कटौतियों के लिए कोई सांविधिक प्रावधान नहीं हो सकता। मेरा यह कहना है कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है। स्पष्टतः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उद्योगों को ऋण देने में राजनीतिक संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए मैं खंड 2 (ख) के अनुसार बैंकों की आमदनी और अग्रिम राशि के सन्देहपूर्ण एवं अशोध्य ऋणों की सांविधिक कटौती के सम्बन्ध मे जो प्रावधान है उसे वापिस लेने के लिए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं। इस सदन के समक्ष इस पर आग्रह नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका अभिप्राय यही होगा और लोग भी यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ऋण देने का आधार राजनीतिक संरक्षण होगा तथा बाद में ऋणों को सन्देहपूर्ण तथा अशोध्य ऋणों में बदलना होगा और उन्हें आयकर में छूट मिलेगी।

मेरा आखिरी मुद्दा यही है। मैंने बीमा तथा बैंकिंग प्रणाली पर चर्चा अथवा वाद-विवाद करते समय हमेशा इसी मुद्दे को उठाया है। इन संस्थाओं पर संसद का नियन्त्रण नहीं है। परन्तु अन्य सरकारी उपक्रमों पर संसद का नियन्त्रण है तथा संसद के माध्यम से भारतीय जनता का इन पर नियन्त्रण है। परन्तु बैंक तथा बीमा कम्पनियों जैसे वित्तीय उपक्रमों पर इनका कोई नियन्त्रण नहीं है। मुझे याद है कि एक अवसर पर अध्यक्ष भी इस बात पर मुझ से सहमत थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि वह इस बात से सहमत हैं कि इन संस्थानों पर संसद का नियन्त्रण होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री इन वित्तीय संस्थानों पर संसद के नियन्त्रण से सहमत नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि वित्त विभाग के अधिकारी ऐसा नहीं चाहते हैं। जितनी जल्दी इन पर नियन्त्रण रखना शुरू किया जायेगा देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारे लोकतान्त्रिक देश में बैंकिंग प्रणाली में जो कुछ भी हो रहा है वह असहनीय है हमने बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया था कि ऋण उन्हीं लोगों को दिया जायेगा जो उसके हकदार हैं, जो व्यक्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में समर्थ होंगे और स्वयं की भी मदद करेंगे। ऋण देने के पीछे यह उद्देश्य था परन्तु ऋण मेला तथा अन्य ऐसी ही बातों के नाम पर क्या किया जा रहा है ? 40,000 अथवा 50,000 व्यक्तियों को ऋण देने के लिए बैंकों को 15 दिन व तीन सप्ताह का समय दिया जा रहा है। वे लोगों को यों ही चुन रहे हैं। इस प्रकार के ऋण मेलों से राजनीतिक संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कुछ संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों को मंत्री या विभाग में कोई व्यक्ति पक्षपात के आधार पर आवेदन-पत्र दे रहे हैं और उन संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन-पत्रों के आधार पर ही ऋण दिये जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है। उस जिले में; एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम देखते हैं कि असामाजिक तत्व बैंक की विभिन्न शाखाओं में जाते हैं और कहते हैं कि 'यदि तुम इन संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के हस्ताक्षर को नहीं मानते तो हम तुम्हें इस बैंक की शाखा में नौकरी नहीं करने देंगे। यह कार्य आज सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा दिए जा रहे मौन प्रोत्साहन से हो रहा है। मेरे विचार में पुजारी महोदय को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है तो उन्हें इस विषय में छानबीन करनी चाहिए क्योंकि ये सब कार्य उनके नाम पर हो रहे हैं।

[श्री अमल दत्त]

वे यह कहते हुए बैंक अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि 'तुम इस आवेदन पत्र के आधार पर ऋण स्वीकृत करो क्योंकि इस पर फलां-फलां संसद सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं और यदि तुम ऋण स्वीकृत नहीं करते तो हम तुम्हें इस शाखा में काम करने योग्य नहीं छोड़ेंगे।' ये धमकियां दी जा रही हैं। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। यह केवल मेरे चुनाव क्षेत्र या जिले में ही नहीं हो रहा है परन्तु आज भारतवर्ष में हर जगह यह हो रहा है कि धमकियों द्वारा और कुछ राजनैतिक शरण प्राप्त लोगों द्वारा बैंक व्यवस्था से इस तरह के ऋण हथियाये जा रहे हैं और जनसाधारण के साथ धोखा किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। और एक कारण यह भी है कि यहां यह प्रावधान किया जा रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बिल में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर आप एम्प्लॉयर के लिए यह कर रहे हैं कि वह अपने एम्प्लॉई के लिए, रुपया जमा कराता है, तो यह बहुत खुशी की बात है। जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनके भविष्य की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, यह तो बहुत अच्छा है। यह कदम सराहनीय है।

मान्यवर पुजारी जी आंकड़ों के धनी हैं, मैं इनसे थोड़ा-सा इस बारे में पूछना चाहता हूं कि चार साल में बैड डैट कितने हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि बैड डैट को छोड़ने के बाद राइट आफ कौन करता है, किन को पॉवर्स हैं। कितने बैड डैट रूरल बैंकों में हो जाते हैं। मेरे पहले बोलने वाले वक्ता तो बहुत एक्सपर्ट हैं। वे एक बात की तरफ अपनी बात को ले गए कि मेले लगते हैं। मेले तो उन लोगों के लिए लगते हैं जिनको ऋण देना है। आई०आर०डी०पी० का जो प्रोग्राम है, उसके अन्तर्गत जो आदमी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए यह कार्य किया जाता है। यह तो उत्साह के साथ एक कदम उठाया गया है तथा गरीब लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। कई बार हम लोग भी उनको शिक्षित नहीं कर सकते हैं, सारे बैंक के एम्प्लॉइज को, प्रधान को, ब्लॉक आफिसर्स को यह मालूम होता है कि इस प्रकार से ऋण दिया जाता है, इस प्रकार से ऋण लिया जाता है और एकमुश्त ऋण मिलता है। इसको आप इस रूप में लीजिए। अगर आप बंगाल के अंदर यह काम करते हैं और मेला होता है, तो आपके बंगाल में भी मंत्री महोदय आने के लिए तैयार हैं।

7.00 म०प०

कई बार बैंकों के अंदर उन गरीब परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जब वे पैसा लेने जाते हैं, तो बैंक वाले उनको कहते हैं कि जमानत लाओ, कभी कहते हैं कि सिक्योरिटी लाओ, कभी उन्हें सामान खरीदने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है, जो बहुत तकलीफदेह

होता है । यह तो एक सीधी सेवा है कि आठ-आठ, नौ-नौ घंटे सरकार का मंत्री उनसे बात करके उन्हें ऋण देता है । यह तो काम अच्छा है और मैं समझता हूं कि पुजारी साहब इसे करें और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी साथ लेकर काम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है । गरीब तो नुक्सान उठा भी लेता है, लेकिन बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाखों रुपया खा जाते हैं । 4 हजार करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज वाले खा गये, उनको कुछ नहीं कहते । मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल में कितने बैड-डैट्स हो गये हैं और उनको राइट-आफ कौन करता है, इसको खाने वाला कौन है, इसकी एकाउन्टेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किस की है ?

जिनकी कंपनियां बाहर विदेशों में हैं जो फारेन-एक्सचेंज लाते हैं, उनको आप इनकम टैक्स में 50 परसैंट माफ क्यों कर देते हैं ? इतनी सहूलियत उनको क्यों है । जो कमा कर भारत में 50 परसैंट रखने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है । जो बाहर रहते हैं, कमाकर फारेन-एक्सचेंज लाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप 50 परसैंट देते हैं, इसको भी देखें, अन्यथा इस बिल का मैं स्वागत करता हूं ।

7.01 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । परन्तु इस विधेयक को बहुत पहले पेश किया जाना चाहिए था । मैं नहीं जानता कि इस विधेयक को जल्दबाजी में लाने के लिए सरकार को किस बात ने मजबूर कर दिया है । परन्तु स्वयं रोजगार प्राप्त लोगों का आयकर में छूट प्रदान करना एक बहुत स्वागत योग्य बात है और साधारण बीमा योजना और चिकित्सा व्यय में छूट भी एक बहुत अच्छी योजना है । परन्तु सरकार हर बार अशोध्य ऋण दिय जाने का प्रोत्साहन दे रही है । इस तरह की मनोवृत्ति को बदला जाना चाहिए और यदि सम्भव हो सरकार को शीघ्र ही राष्ट्रीय ऋण नीति लानी चाहिए ताकि उन उद्योग-पतियों पर जो राजनैतिक शरण का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऋण ले रहे हैं और तथा फिर उद्योगों को रुग्ण घोषित कर रहे हैं, रोक लगाई जा सके । वे लिए हुए ऋण का भुगतान करते नहीं कर रहे हैं । कुछ समय पूर्व इस अशोध्य ऋण जो बम्बई, बंगलोर तथा कलकत्ता में कुछ उद्योगों को दी गई है, के बारे में मैं माननीय सभा का ध्यान दिला चुका हूं । मैं फिर इस उद्धृत करना चाहता हूं । बम्बई में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कुछ बड़े उद्योगपतियों को 52.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था । उसने यह ऋण पांच वर्ष पूर्व लिया था परन्तु अभी तक 5 पैसे भी नहीं चुकाए है । मैंने माननीय मंत्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा था । परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । मैंने कुछ समय पूर्व कर्नाटक में जारी किये गये जाली चेक का जिक्र किया था जिसके द्वारा किसी आबकारी ठेकेदार ने 3 करोड़ रुपये ले लिए थे । कलकत्ता में बड़ौदा बैंक में कुछ घपला हो गया था । अभी तक सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है । मै नहीं जानता कि इस दिशा में सरकार का रवैया नकारात्मक क्यों है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे शीघ्र ही राष्ट्रीय साख नीति लायें और देश की भलाई के लिए कुछ करें ।

[डा० चिन्ता मोहन)

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि यह बहुत अच्छा उपाय है परन्तु अशोध्य ऋण के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

इस अशोध्य ऋण की समस्या पर लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में भी विचार किया गया था। जहां अशोध्य ऋण होता है वहां ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अशोध्य ऋण के लिए भी कोई प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है। अधिकार का प्रयोग कौन करता है यह एक अलग बात है। अशोध्य ऋण क्यों होता है ? मुख्यत: अशोध्य ऋण स्वयं रोजगार योजना के सम्बन्ध में और दूसरी किस्म के ऋणों जो निर्धन लोगों को दिये जाते हैं, के विषय में पैदा होते हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दिया जाता। कभी-कभी दी गई धनराशि में से कुछ अधिकारियों का भी हिस्सा होता है। इसलिए ऋण का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता और इसका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। राज्य मंत्री महोदय आप इसका निरीक्षण कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं परन्तु आपको निरीक्षण तंत्र को और भी मजबूत करना होगा। यदि आप उत्पादक उद्देश्यों के लिए आवश्यक समस्त धनराशि दे देते हैं और लोग अपनी योजनाओं को, जिनके लिए धनराशि दी गई है, लागू कर उत्पादन करते हैं तो अशोध्य ऋण नहीं होंगे। शायद बहुत कम अशोध्य ऋण होंगे। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

फिर एक और बात आती है। छोटे-छोटे बहाने बनाकर लोगों को मुकदमेबाजी में नहीं फंसाना चाहिए। आपके अधिकारियों का रवैया सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए और उन्हें लोगों को उनकी समस्याओं और उलझनों, जिनमें वे फंसे हुए हैं, से उबारने की कोशिश करनी चाहिए। परन्तु आपके अधिकारी, चाहे वे गरीब लोग हों या उद्योगपति, मेल-मिलाप या समझौते में विश्वास नहीं रखते।

जहां तक कराधान का सम्बन्ध है वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति समस्त राशि एक मुश्त रूप में चुकाने में असमर्थ है तो आपके लोग इसे किस्तों में लेने के लिए तैयार नहीं हैं ताकि लोगों को इस स्थिति से छुटकारा मिल सके। आपका रवैया रचनात्मक और उत्पादनकारी होना चाहिए ताकि लोग जो उत्पादन करते हैं और पैसा कमाते हैं और जो आपको पैसा देते हैं उनको और अधिक उत्पादन करने में सहायता मिल सके। मैं यह नहीं कहता कि अनुचित लोगों की सहायता की जाये या उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाये। परन्तु वे लोग जो वास्तविक कठिनाइयों में हैं, उन्हें बचाया जाना चाहिए। मुझे यह कहना चाहिए कि यद्यपि आपके विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में आपके विभागों में कुछ कमियां हैं तथा आपको यह एहसास अवश्य होना चाहिए कि लोग जो काम कर रहे हैं वे आपके भागीदार हैं। इन व्यवसायों में आप एक निष्क्रिय भागीदार हैं। आप यह दृष्टिकोण क्यों नहीं

अपनाते हैं ? इसलिए आपको यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि आप करदाताओं को तबाह करते हैं, तो आप एक दुधारू गाय को मार रहे हैं और इस प्रकार आप इस देश की दशा को सुधारने में किस प्रकार सक्षम होंगे ?

कृषि क्षेत्र में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जहां कहीं भी वे गलती करते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए आपके पास विशेषज्ञ होने चाहिएं, और उन्हें सहायता करनी चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो, हस्तक्षेप करना चाहिए। हम एक पिछड़े हुए एवं विकासशील देश के निवासी हैं। आप यह क्यों भूल जाते हैं ? या तो आप स्थिति का सही अंदाजा लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं या आप सुस्त हैं। हमारे अधिकारी और राजनीतिज्ञ—यदि हम अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाने के लिए तैयार हैं तो हर अवस्था में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तन्त्र होना चाहिए। वे हमारे अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़े हुए हैं। हमारे स्वयं के पास कई चीजों की कमी है। परन्तु वे लोग जो खेतों में काम करते हैं जिन्होंने हमें यहां भेजा है, वे सभी इतने विद्वान और अनुभवी नहीं हैं जितने हम हैं। अतः अपने मानदंड उन पर लागू मत कीजिये प्रत्येक नौकरशाह और राजनीतिज्ञ शासन करना चाहता है। हम यहां लोगों की (सहायता) सेवा करने के लिए हैं शासन करने के लिए नहीं यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप ये बातें ध्यान में रखते हैं, तो अशोध्य ऋण बहुत थोड़े होंगे और कठिनाइयां भी बहुत कम होंगी। फिर हमें यह भी कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बैंकों में काम करने वाले सभी लोग या सरकारी विभागों में कार्यरत सभी लोग चोर हैं। जब कभी भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, हम इसी ढंग से पूछते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। वे कौन है ? वे हमारे लोग हैं। मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आया हूं। मैंने इन क्षेत्रों में किसी को भी नियुक्त नहीं किया है। वे हमारे ही लोग हैं और नौजवान हैं। हमें उन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए। हमें उनके साथ ठीक ढंग से व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी लौटा देनी चाहिए और हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वे भले लोग हैं। इस देश पर जितना हमारा हक है उतना ही उनका हक भी है। जब हम यहां आकर बातें करते हैं तो हम इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि हम फरिश्ते हैं। यह रवैया भी बहुत बुरा है। हमें उनका आदर करना चाहिए और उनसे आदर पाना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक छोटा विधेयक है और यह इस लम्बे बजट सत्र के अन्त में हमारे सामने आया है।

इस संशोधन विधेयक का विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। इसका खण्ड अच्छा है। यह एक बहुत अच्छा उपाय है और कर्मचारियों तथा निजी करदाताओं को बीमे के द्वारा, चैक के द्वारा स्वास्थ्य योजना पर अपने निवेश के लिए कुछ छूट दी जा रही है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से कर्मचारी और श्रमिक विभिन्न वाणिज्यिक तथा औद्योगिक फर्मों, प्राइवेट फर्मों में बहुत विषम परिस्थितियों के बावजूद, प्राकृतिक विपतमाओं, के बावजूद कार्य कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य, इलाज आदि के बारे में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अतः यह अत्यन्त सराहनीय उपाय हैं और दूसरे पहलुओं के बारे में जहां अशोध्य ऋणों पर बैंक द्वारा 5 प्रतिशत तक

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

कुछ छूट देने का सभा के विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों, विशेषत: हमारे माननीय मित्र श्री अमल दत्त ने विरोध किया है। मै नहीं जानता कि इस प्रकार की बातों में विपक्ष के मेरे कुछ मित्रों को इसमें राजनीति क्यों दिखाई देती है।

वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस भावना के साथ किया गया था कि बैंक वास्तव में लोगों के धन पर, आम लोगों के धन पर समृद्ध हो रहे थे। वे समाज के प्रति कोई कर्त्तव्य तथा कोई दायित्व निभाये बगैर, विशेषत: लोगों का पिछड़ापन तथा गरीबी दूर किये बगैर समृद्ध हो रहे थे। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसके बाद यह बहुत लोकप्रिय हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं, सरकार गरीबी समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है और बैंकों की इस क्षेत्र में एक बहुत निश्चित, उपयोगी और प्रभावशाली भूमिका है। निःसंदेह इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। सुझावों का हमेशा स्वागत है।ह मारा अन्तिम लक्ष्य पददलित लोगों और निर्धनों की सहायता करना है और हम उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार के हजारों लोग हैं। उन्हें भी स्वतंत्रता का लाभ मिलना है। परन्तु हम उनके बारे में भूल जाते हैं। कुछ दोस्त हर रोज ये दावा करते हैं कि वे गरीबों के मित्र हैं, वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस देश में वे ही केवल गरीब लोगों के रक्षक हैं। मुझे यह समझ नहीं आता है कि फिर वे कैसे गरीब लोगों को बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों आदि के तहत ऋण दिये जाने का विरोध करते हैं। बैंक कर्मचारियों के कुछ वर्ग जो इस प्रकार के लोगों से सम्बन्धित हैं उनके खिलाफ हैं। समस्त देश में हम बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग को उनका विरोध करते देखते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इसके अन्तर्गत अशोध्य ऋण में वृद्धि हो रही है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत इसमें किस सीमा तक वृद्धि हुई है और बड़े लोगों, अधिक धनवान लोगों के अशोध्य ऋण में कितनी वृद्धि हुई है, क्या वे गरीब लोग भुगतान करने में असमर्थ हैं और किस सीमा तक मेरे विचार से निर्धन लोग ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तथा उसके कई कारण हैं।

महोदय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बैंक वित्त आदि अच्छे कार्यक्रम हैं। उन्हें ठीक प्रकार से चलाना चाहिए। इस देश के निर्धन लोगों में निरक्षरता है। हम उन्हें ऋण दे रहे हैं। परन्तु उसके लिए सही मार्ग-निर्देश होने चाहिए। बहुत से मामलों में इस प्रकार के मार्ग-निर्देश नहीं दिये जा रहे हैं। अनुवर्ती कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुछ स्थानों में भ्रष्ट अधिकारी हैं जोकि गलत नामों की सूची बना रहे हैं। मैं सुझाव दूंगा कि इसमें लोगों के सार्थक एक तरीके से भाग लेने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे अच्छी तथा प्रशंसनीय योजनाएं जोकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय चल रही थी उनसे उस लक्ष्य को समुचित रूप से प्राप्त तथा पूरा किया जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर विचार करें।

इस शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों को ठोस तथा मूल्यवान सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यदि मुझे ठीक से याद है तो पहला विधेयक जो इस सत्र के शुरू में लिया गया वह वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित था और यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस सत्र का समापन हम वित्त मंत्रालय के विधेयक से ही कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपने सिद्ध कर दिया है कि भौगोलिक रूप से पृथ्वी गोल है जहां से हम चले थे, उसी स्थान पर पहुंच गये हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के एक प्रावधान के सिवाय अन्य प्रावधानों का स्वागत किया है। जहां तक उस प्रावधान का सम्बन्ध है मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि धारा 36 (I) (VII क) के अन्तर्गत पहले से ही अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों को देने के लिए दस प्रतिशत का प्रावधान विद्यमान है। अब वह 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का प्रश्न अक्सर संसद में उठाया जाता है और मैंने भी इस पर अपना उत्तर दिया है। बैंकों को अशोध्य और संदिग्य ऋणों को प्रकट करने के सांविधिक संरक्षण प्राप्त हैं। यहां तक कि उस रूप रेखा में जिसे जनता द्वारा किये गये उपभोग दिखाने के लिए पेश किया गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हम उसमें भी अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के आंकड़े नहीं दे सकते हैं। केवल अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के आंकड़े निकाल कर ही हम इसे प्रकाशित करते हैं। यही नहीं, यह एक परम्परागत कानून है और इसी वजह से स्वयं बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत भी हम अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को प्रकट करने से बचे रहते हैं। महोदय, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने माननीय सदस्य श्री एच०एम० पटेल को यह मुद्दा स्पष्ट किया था—मैंने कहा था कि मुझे यह उद्घाटित करना चाहिए :जब मैंने कहा कि इसमें संरक्षण की व्यवस्था है तब आपने मुझे निदेश दिया था कि मुझे जांच कर लेनी चाहिए। महोदय मैंने इसकी जांच कर ली है। यह एक सांविधिक प्रावधान है तथा मुझे इसे प्रकट करने से मना कर दिया गया है।

ऋण सम्बन्धी कार्यों पर आते हुए मैं कहूंगा कि इस ओर के माननीय सदस्यों ने सही उत्तर दिया है। मैं एक राज्य में गया था। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। जब मैं वहां गया, तो उस जिले के जिलाधीश ने कहा कि 16000 लोगों में से 12000 लाभकर्ता समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं और अन्य कार्यक्रम काफी वर्षों से वहां लम्बित पड़े थे जोकि मेरे वहां जाने पर ही निपटा दिये गये। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के जिलाधीश ने बताया था। मैं यह निवेदन करता हूं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित स्व-रोजगार कार्यक्रमों को भी राज्य सरकारें लागू कर रही हैं। वे पता लगाने वाले प्राधिकारी हैं और उन लाभकर्ताओं का पता लगाने के बाद उन्हें बैंक को आवेदन देना होता है और फिर बैंक ऋण की स्वीकृति देता है और उसे आबंटित करता है। अब यह पूछा जाता है कि क्या बैंक राज्य मशीनरी को सम्बद्ध कर देते है। जब वे कहते हैं कि यह उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, यह ऋण नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि वे भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। यहां ये शिकायत करना कि वे इसमें सम्बद्ध नहीं हैं मेरे विचार से ठीक नहीं है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

इस बात पर आते हुए कि यह किसे दिया जाना है, आप जानते है कि इस वर्तमान व्यवस्था में यह ऋण किसे मिल रहा है। जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि इन लाभ कर्ताओं ने किसे मत दिया है उन्होंने कांग्रेस को या कम्यूनिस्टों को अथवा जनता पार्टी को मत दिया है। यह एक गुप्त बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : एक विशेष राजनैतिक दल द्वारा प्रपत्र बांटे गये हैं। मंत्री महोदय इसे जानते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : हालांकि, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मेरी पत्नी ने किस दल को मत दिया है। मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। इसलिए, यह कहना कि हम किसी विशेष दल को ऋण दे रहे हैं, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि कोई भी व्यक्ति बैंक को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यह बैंक प्राधिकारियों के हाथ है कि वे किसे ऋण दें। मैं इसे माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं—कि चाहे भारतीय साम्यवादी दल के लोग हों या देश का कोई नागरिक हो वे भी निर्धन लोगों की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर कार्यवाही करना और इसे मंजूरी देना बैंक अधिकारियों के हाथ में है।

उन प्रावधानों पर आते हुए जो 25% से 50% तक वृद्धि के लिए उठाये गये हैं, जहां तक उन परियोजनाओं के लाभ की बात है जो विदेशों में लगाई जाती है पहले से ही वहां निर्यात के लिए 50% तक की छूट का प्रावधान है। विदेशी मुद्रा आय को प्रोत्साहन देने के लिए हमने उसे 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। यह प्रवासी भारतीयों द्वारा चलाई जा रही विदेशी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक कदम है।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं इस अवसर का उपयोग आपका, अध्यक्षपीठ का इस सभा की कार्यवाही समुचित ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हू जिसके परिणामस्वरूप सभा ने परस्पर सहयोग तथा पारस्परिक सूझ-बूझ से बहुत उपयोगी कार्य किया । आपने सभा की कार्यवाही को योग्यता से और गरिमा से चलाया है । मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मैं विपक्ष के सभी नेताओं और सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । कभी-कभी हमारे मध्य मतभेद रहे हैं । वे हमेशा रहते हैं । फिर भी विपक्ष के नेताओं और सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से आपस में सहयोग किया है । मैं महसूस करता हूं कि वाद-विवाद का स्तर चाहे उसमें सत्तारूढ़ के सदस्य हों अथवा विरक्षा सदस्य बोल हों उच्च कोटि के लोगों ने कड़ी मेहनत की है । मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

समस्त कार्यवाही अन्त तक प्राय: ठीक चली, चाहे यह सरकारी कार्यवाही हो अथवा अन्य कार्यवाही हो । सब कार्य ठीक प्रकार से हुआ है । इस सभा ने काफी समय लगाया है इन घंटों की गणना की जायेगी, वस्तुत: काफी उपयोगी कार्य किया है ।

मैं लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों का उनके अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को, तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने कई समय बहुत अधिक कार्य के भार को वहन किया और आपके साथ सहयोग किया, धन्यवाद देना चाहता हू । मैं संसदीय कार्य विभाग तथा प्रेस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि कभी-कभी बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही हैं । यह सबके सहयोग से हुआ था । मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, महोदय, तथा आपके द्वारा सभी सम्बन्धित लोगों को धन्यवाद देना चाहता हू । धन्यवाद ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय हम...

श्री एच०के०एल० भगत : महोदय, इससे पहले कि श्री माधव रेड्डी जी कुछ कहें मैं अपने सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रशंसा के पात्र हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : विपक्ष की ओर से मैं आपको हार्दिक रूप से सभा की कार्यवाही निष्पक्ष ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। कई क्षण उत्तेजक और तनाव के रहे हैं। ऐसे समय आपके ऊपर बहुत दबाव रहा है परन्तु फिर भी आपने संतुलन बनाये रखा और सभा की कार्यवाही को बहुत अच्छी प्रकार चलाया।

हमें सभा में बोलने का पूरा समय मिला है। हम आपको विपक्ष के दलों की ओर से सभा को योग्यता पूर्वक चलाने के लिए धन्यवाद देते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्रीमान मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। अपने दिल में पीड़ा के साथ मुझे इस सत्र को याद रखना है। भूतकाल में समाज की उन्नति के लिए हमने कई कानून पारित किये हैं। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक कानून भी पारित किये गए हैं किन्तु संसद के इतिहास में हमने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 जैसा सामाजिक प्रतिक्रियावादी कानून कभी नहीं बनाया था। मैं नहीं जानता कि इतिहास इस स्मृति को कैसे मिटायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा तब कह सकते थे। अब यह कहने का उचित समय नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस बारे में प्रत्येक दुःखी है और मुझे आशा है कि एक दिन इसकी अभिव्यक्ति होगी।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत अधिक कष्ट दिया है किन्तु आपने खुले दिल से इसे सहन किया है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उर्दू में कहा गया है कि इन्सान चोरी से जाता है, हेराफेरी से नहीं जाता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आठवीं लोक सभा का पांचवां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। सदन के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने से पहले, मैं अपनी तरफ से, माननीय

उपाध्यक्ष की तरफ से और सभापतियों की समिति के माननीय सदस्यों की तरफ से सदन के सभी सदस्यों को इस महान सदन की कार्यवाही चलाने के लिए हमें दिये गये सहयोग और सम्मान के लिए धन्यवाद देना अपना फर्ज समझता हूं। इसने हमारे कार्य को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि आनन्दमय भी बनाया है। मैं उन पार्टी नेताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सदन के निर्बाध कार्य संचालन में एक बड़ी रचनात्मक भूमिका अदा की है। निस्सन्देह यहां तनाव का वातावरण बन जाता है, किन्तु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब कभी भी राष्ट्रीय चिन्ता के मुद्दे पर चर्चा हुई आप सभी बिना किसी अपवाद के दलगत विचारों से ऊपर उठे हैं। चर्चा के दौरान कई बार हमारे बीच उत्तेजित बहस भी हुई है किन्तु यह किसी भी समय हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धों और आपसी सहानुभूति को कभी नहीं बिगाड़ती है क्योंकि इसे हम सर्वोत्तम हित के लिए कर रहे हैं। कई बार कुछ घटनायें हुई हैं किन्तु हमने उनको चारों तरफ सहयोग, प्रतिष्ठा और स्नेह के साथ लिया है। यह सबसे उत्तम भूमिका है और हमने इसके प्रत्येक क्षण का आनन्द लिया है। यह वास्तव में हमारे संसदीय जीवन का एक बहुत सुखद लक्षण है और हम सहनशीलता तथा आदान-प्रदान की भावना पर सही रूप से गर्व कर सकते हैं जो उत्तेजित विचार-विमर्श के दौरान भी रही है समस्त राष्ट्र हमारे नेतृत्व की ओर देखता है जो सिर्फ हम ही जिन समस्याओं का देश सामना कर रहा है। उन पर काबू पाकर प्रदान कर सकते हैं मेरे दिमाग में इसमें कोई शक नहीं है कि हम राष्ट्र को कभी भी असफल नहीं होने देंगे क्योंकि इस महान सदन और लाभदायक विचार विमर्शों का सम्पूर्ण यथा सम्भव उपयोग राष्ट्र और सारे समाज के हित में होना चाहिए और इसको हमने पा लिया है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति के संरक्षक हैं। यह एक लाभदायक पेड़ है जिसका पोषण करना है, खाद डालनी है और सिंचाई करनी है जिससे कि यह बहुत अच्छी छाया, उत्तम फूल और फल दे सके ताकि हम सब इसका फायदा उठा सकें और इस बात में आनन्द लें कि हम इसके मालीं हैं और हम इस कार्य में असफल नहीं हुए।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान हमारी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। यह सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 20 फरवरी, 1986 को प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन दिन के दौरान 13 घण्टे तक वाद-विवाद होता रहा। हमारी लगभग 357 घण्टों की कुल 49 बैठकें हुई। जैसा कि आपको पता है कि सोमवार 5 मई, 1986 की बैठक मंगलवार 6 मई, 1986 की बहुत सुबह तक चली। हाल ही के भूतकाल की मुझे सिर्फ एक अवसर की याद आती हैं जब सदन की इससे भी ज्यादा लम्बे समय तक अर्थात् 3.58 म०पू० बैठक हुई थी—और यह 15/16 सितम्बर, 1981 को हुई थी जब आवश्यक सेवा बनाये रखना विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा था।

इस सत्र के बिल्कुल प्रारम्भ में ही हमें हमारे बीच में असम से 14 नये निर्वाचन सदस्यों का स्वागत करने का अवसर मिला जिन्होंने शपथ ग्रहण की, सदस्य सूची में हस्ताक्षर किए और सदन में अपने स्थान ग्रहण किये। वास्तव में, हम सबके लिए यह एक सुखद विषय है कि कई वर्षों बाद, आज इस सदन में इस संघ के सभी राज्यों का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

21 फरवरी, 1986 को सदन द्वारा प्रो० मधु दण्डवते तथा दूसरे माननीय सदस्यों के उर्वरक

तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित रखे गये स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी थी। इस प्रस्ताव पर 6 घंटे 45 मिनट तक वाद-विवाद चला।

हालांकि बजट सत्र पूर्णतया वित्तीय मामलों के संचालन के लिए होता है, उदाहरण के तौर पर, रेल तथा सामान्य बजट, विनियोग विधेयकों और वित्तीय विधेयक इत्यादि को पारित करना। इस सत्र के दौरान सदन ने 16 दूसरे विधेयकों पर विचार किया और उनको पारित किया, इनमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर उत्तेजित वातावरण में चर्चा हुई, वह मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 था। इस विधेयक पर लगभग 13 घण्टे तक वाद-विवाद चला था। इसके अतिरिक्त, हमने 10 ध्यानाकर्षक प्रस्तावों, 8 अल्पकालीन चर्चाओं और 5 आधे घण्टे की चर्चाओं पर चर्चा की।

सदन में पंजाब पर चर्चा के समय सभी पक्षों ने असाधारण नियंत्रण रखा और रचनात्मक भाषण दिये। मुझे विश्वास है कि इस मामले पर सदन में इस समस्या पर व्यक्त किए गए विचारों ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के हाथों को निपटने में मजबूत किया है।

सदन ने अमेरिका के लीबिया के विरुद्ध आक्रमण पर भी चर्चा की थी। सदन ने अन्य बातों के अलावा बैर-विरोध को तुरन्त समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और 15 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों तथा शिष्ट-मंडलों के प्रधानों द्वारा समन्वय ब्यूरो की मन्त्रीय स्तर की आपातकालीन बैठक में लिए गए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संयुक्त निर्णय की पुष्टि की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर चर्चा, जो आज ही दोपहर के बाद समाप्त हुई है, 12 घण्टे तक चली चल और लगभग 65 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया।

संक्षेप में, यह एक बहुत लाभदायक सत्र रहा और इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मुझे माननीय सदस्यों को उनके द्वारा किए गए भरसक प्रयासों और समय-समय पर चर्चा में आने वाले विभिन्न विषयों पर दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

मैं अपने इस तरफ बैठे हुए दोनों माननीय साथियों का भी बहुत-बहुत धन्यवादी हूं। विशेषकर मैं उपाध्यक्ष महोदय और सभी सभापतियों का आभारी हूं जिन्होंने सदन की चर्चाओं की कार्यवाही को उस समय सम्भाला जब मैं इसे पीछे बैठकर देख रहा था। आज सुबह माननीय श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) ने कहा कि : "श्रीमान, जब भी मैं सदन में उपस्थित होता हूं तो इसका पता चल जाता है।" हम जहां भी होते हैं वहीं उनको पाते हैं। वह बहुत तत्पर थे और वहां पर सभी उपस्थित माननीय सदस्य भी बहुत अच्छे थे। वे सब लोग बहुत अनुभवी हैं। मैं अपने कर्मचारी गण, यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों और सुरक्षा विभाग तथा प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उत्तम व्यवहार निभाया है और श्रेष्ठ कार्य किया है और उनको आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है और मैं अपनी तरफ से कसौटी पर खरा उतरने के लिए उनकी तारीफ करता हूं। मैं हमारे ऊपर वाली दर्शक दीर्घा में बैठे थे। मैं साथियों को भी

मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। भारत की जनता द्वारा सौंपे गए शुभ कार्य को करने के लिए भविष्य में भी हम सब मिलकर चलेंगे।

मैं आपको एक बार और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अच्छी वर्षा व मानसून के बाद वर्षा कालीन सत्र में एक बार फिर स्वागत करने की शुभकामना करता हूं। क्या यह ठीक है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने थोड़ा सा और कहना है कि जब सदन सत्र में नहीं होता है तो मैं अकेलापन महसूस करता हूं। और मुझे यह पसन्द नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सदन का सत्र चलता रहे। अन्यथा मैं परेशान सा हो जाता हूं। कोई नहीं, क्योंकि ये तो कानून हैं, और कभी आप इनको पसन्द नहीं करते और कभी मैं इनको पसन्द नहीं करता हूं। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

7.35 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्स, दिल्ली-110053